तृतीय माला, खण्ड ३—अंक २९

गुरुवार, २४ मई, १९६२
३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

PA[illegible]ARY
Acc. 74
8.8.62

लोक-सभा वाद-विवाद

(पहला सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— पृष्ठ

*तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ से १०००, १००२, १००४ से १०१०, १०१२ १०१५, १०१६ और १०२० . . २९९७—३०२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००१, १००३, १०११, १०१३, १०१४, १०१६ से १०१८ और १०२१ से १०३७ . . . ३०२६—३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८८९ से १९३८ . . ३०३६—५६

सदस्य का निलम्बन . . . . ३०५६—५८

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एलिजाबेथविल में हुई रेल दुर्घटना . . . . . ३०५८—५९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०५९

अनुदानों की मांगें . . . . ३०६०—३१०९

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ३०६०—९७

श्री विश्राम प्रसाद . . . . ३०६०—६४

डा० रामसुभग सिंह . ३०६५—६६

श्री प्र० के० देव . . . ३०६७—६८

श्री राधेलाल व्यास . . . . ३०६८—६९

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती . . . ३०६९—७१

श्री कृ० चं० शर्मा . . . ३०७१—७२

श्री विभूति मिश्र ३०७२—७५

श्री कामत ३०७५

श्री लीलाधर कटकी . . ३०७५—७६

श्री त्यागी . ३०७६—७७

श्री मुत्तु गौंडर . . . ३०७७—७८

श्रीमती लक्ष्मी कांतमा . . . . . ३०७८—७९

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न का सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, २४ मई, १९६२
३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तान के साथ व्यापार

†*९९३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार समझौते की कार्यान्विति का पुनर्विलोकन करने के लिये मार्च, १९६१ में आयोजित भारत-पाकिस्तान सम्मेलन के बाद अधिक व्यापार की सहूलियत के लिये भारत और पाकिस्तान ने कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो क्या ; और

(ख) वर्ष १९६१-६२ के अन्त में पाकिस्तान के साथ हमारा आयात निर्यात व्यापार कितना था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मार्च, १९६१ में पुनर्विलोकन सम्मेलन के बाद भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौते के अधीन अधिक व्यापार की सहूलियत के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये :—

(क) समझौते के प्रोटोकोल १ के पैरा ४ के अधीन रखी हुई सीमा (स्विंग लिमिट) को, जिसके अनुसार किसी भी देश द्वारा आयात निर्यात के बीच का अन्तर ५० लाख रुपये की सीमा से अधिक न हो सकेगा, स्थगित रखा गया ताकि दोनों देशों के बीच वस्तुओं का स्थानान्तरण रोकना बन्द किया जा सके ।

†मूल अंग्रेज़ी में

1077(Ai)LSD—1

चाय का निर्यात

*९९४. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय का निर्यात पिछले वर्ष कम हो गया था ; और

(ख) इसको बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) अभी हाल में जो कदम उठाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :–

(१) २४–४–१९६२ से चाय पर निर्यात शुल्क ४४ नये पैसे प्रति किलोग्राम से घटाकर २५ नये पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया गया है और निर्यात की गयी सभी चाय पर १५ नये पैसे प्रति किलोग्राम की एक ही दर से उत्पादन शुल्क की वापसी की जाती है ।

(२) कुछ विदेशों में जो मुख्य रूप से भारतीय चाय का उपयोग करते हैं, चाय संवर्धन आन्दोलन को और अधिक जोरदार किया जा रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या चाय का निर्यात परंपरागत यूरोपीय बाजारों तक ही सीमित रखने का सरकार का विचार है या लैटिन अमरीकी देश, मोरक्को, पश्चिम एशिया आदि जैसे देशों में नये बाजार भी ढूंढने का विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अधिक बिक्री की सामान्य नीति के रूप में हम सदा ही नये बाजार ढूंढने का प्रयत्न करेंगे लेकिन मूल भूत विदेशी मुद्रा कम न हो जाये इसके लिए परम्परागत बाजारों का भी और अधिक विकास करना होगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या चाय बोर्ड विदेशों में प्रदर्शन कक्ष (शो रूम) खोलकर, फिल्में दिखाकर और भाषण देकर आन्दोलन चला रहा था और क्या उससे चाय के निर्यात पर कोई असर पड़ा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** चाय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और उस चाय शिष्टमंडल के कथनानुसार, जो अमरीका यूरोप और दुनिया के दूसरे भागों में गया था यह स्पष्ट है कि भारतीय चाय के लिये बाजार तैयार करने के आन्दोलन का बहुत काफी असर पड़ा है ?

†**श्री वारियर :** यूरोपीय बाजारों को लन्दन एक्सचेंज के अतिरिक्त भारत से चाय खरीदने में कठिनाई न हो इस ओर ध्यान देने के लिए सरकार ने कौन सी संस्था स्थापित की है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं है जो हमें मालूम हुई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या माननीय मंत्री का इस ओर ध्यान दिलाया गया है कि नीलगिरि में सर्वसाधारण चाय के उत्पादकों को ऊंचे उत्पादन-शुल्क के कारण जिससे विदेशों में सर्वसाधारण चाय के निर्यात में बाधा हो रही है, कठिनाई हो रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** पहले तो यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता, लेकिन चूंकि यह विषय निर्यात से सम्बन्धित है इसलिये नीलगिरि और ब्ल्यू माउंटन क्षेत्र के छोटे उत्पादकों के साथ मेरी बातचीत हुई थी। चाय उत्पादन के कारखाने कायम करने के मामले में हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हरी पत्ती से उन्हें अधिक अच्छी क़ीमतें वसूल हों ?

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि अभी हाल के परिवर्तनों के सम्बन्ध में किसी ने विरुद्ध आलोचना की है। उनसे चाय के निर्यात को काफी अधिक प्रोत्साहन मिलने में मदद हुई है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मुझे खुशी है कि हमारा चाय-निर्यात कम नहीं हुआ है। लेकिन मैं श्रीलंका जैसे चाय निर्यात करने वाले दूसरे देशों के मुकाबले में अपनी स्थिति जानना चाहता हूं। क्या यह सच है कि जब कि उस देश से चाय का निर्यात काफी बढ़ गया है, हमारा निर्यात उतना ही रहा है जितना पहले था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यह ठीक है कि पहले के वर्षों में कुछ देर से थोड़े से निर्यात के मुकाबले में वर्तमान निर्यात बढ़ गया है। हमारे निर्यात का परिणाम भी बढ़ गया है। निर्यात का नया रुख इतना अच्छा है कि मैं इस सम्बन्ध में निराशाजनक दृष्टिकोण अपनाने के लिये तैयार नहीं हूं।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

+

*†९९५. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले क्षेत्रों का विकास करने के लिये जानकारी प्राप्त करने, पड़ताल करने और विशेष रूपरेखा बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है जिससे विभिन्न राज्यों में विकास-कार्य शीघ्रता से हो सके;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) काम आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा इसके कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :** (क) से (ग). संतुलित प्रादेशिक विकास की नीति के अनुसार, तीसरी योजना में खास कम आमदनी वाले क्षेत्रों के विकास के लिए और काम करने की व्यवस्था कर दी गई है। फिलहाल, राज्य सरकारों के सहयोग से कम आमदनी वाले क्षेत्रों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं, साधनों और विकास के लिए आगे किये जाने वाले जरूरी कामों का अध्ययन किया जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए योजनाएं प्रस्तुत की हैं और क्या उन पर विचार किया गया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** पूछताछ जारी है और कुछ राज्य सरकारें निश्चित जानकारी दे पायी हैं। लेकिन अभी तक हमें केवल तीन या चार राज्यों से जानकारी मिली है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** केन्द्रीय सरकार का कौन सा मंत्रालय इस विषय का काम करता है और राज्य सरकारों में वह कौन सा मंत्रालय है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य खुद ही मालूम कर सकते हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए कोई विशेष प्रणाली स्थापित की जायेगी ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** यह तो आंकड़े प्राप्त करने और उन्हें परस्पर संबद्ध करने का प्रश्न है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या सरकार उन-उन राज्यों पर निर्भर रहती है कि वे पिछड़े क्षेत्रों के अपने मामले पेश करें या वह उन विभिन्न क्षेत्रों का जिनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, संपूर्ण चित्र अपने सामने रखती है और उस आधार पर आगे बढ़ती है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** उन्नत राज्यों में भी पिछड़े क्षेत्र हो सकते हैं। आंकड़े इकट्ठे करने के मामले में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सहायता पर निर्भर रहती है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों में सड़कें और पीने के पानी की सुविधाओं के लिए विशेष अनुदान देने की कोई विशेष सिफारिश की है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** जहां तक सहायता का संबंध है, सड़क एक मद है।

†**श्री प्र० के० देव :** ढेबर समिति की विभिन्न सिफारिशें, जहां तक कि वे इन पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित हैं, कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** यह भी विषय का एक अंग है जिस पर विचार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियर :** यह मालूम करने की क्या कसौटी है कि कौन सा क्षेत्र पिछड़ा है और कौन सा उन्नत है ? किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र निर्धारित करने की कसौटी क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है जिसे सदस्य पिछड़ा समझते हैं

†**श्री वारियर:** उसके अन्तर्गत सिद्धान्त क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** जो उत्तर दिये गये हैं उन से क्या मैं यह समझूं कि योजना आयोग को आज तक यह मालूम नहीं है कि कौन सा क्षेत्र पिछड़ा है और वह कोई कार्यवाही नहीं कर सका और वह अभी जांच-पड़ताल की दशा में है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :** हमारे पास राज्य सरकारों द्वारा भेजी गयी उन क्षेत्रों की सूचियां हैं जिन्हें वे पिछड़े क्षेत्र समझते हैं। एक दूसरी सूची भी है जिसे उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में नियुक्त समिति ने तैयार की थी और उन्होंने जो कसौटियां अपनायी हैं वे इस प्रकार हैं :—प्रति व्यक्ति कम आय, संसाधनों के विकास के मुकाबले जनसंख्या का अधिक घनत्व, संचार साधनों का अभाव, बहुत अधिक बेरोजगारी और कम रोजगार, बिजली की खपत । एक सूची में कुछ कसौटियां ये थीं। राज्यों की, भिन्न भिन्न मामलों में अपनी अलग-अलग कसौटियां हो सकती हैं, ये दोनों सूचियां पूरी तौर एक दूसरे के साथ मेल नहीं खातीं और उचित सूचियां प्राप्त करने के लिये हम राज्यों के साथ लिखा पढ़ी कर रहे हैं। इस बीच, जहां तक पिछड़े क्षेत्रों के लिए निधि की व्यवस्था का संबंध है, केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई अलग व्यवस्था नहीं है । जो सूचियां बनायी जा रही हैं या बनायी जायेंगी उन के आधार पर यह कल्पना की जा रही है कि राज्यों को अपने पिछड़े क्षेत्रों के लिए अधिक रकमें नियत करने के लिए कहा जायगा । इसी कारण हमने उन्हें उन क्षेत्रों की एक ऐसी सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा था जिसे वे बहुत अधिक पिछड़ा समझते हों, और खासकर उन क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ योजनाएं भी हमने मांगी थीं।

केन्द्रीय श्रम अनुसंधान संस्था

+

†*९९६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकर एक केन्द्रीय श्रम अनुसन्धान संस्था स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह संस्था कहां स्थापित की जायेगी ;

(ग) क्या इस संस्था की योजना और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना का कुल प्राक्कलन कितना है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) बम्बई में ।

(ग) इस संस्था के लिये तुरन्त कोई अलग इमारत बनाने की कोई योजना नहीं है ।

(घ) तीसरी योजना की अवधि में १४,००,००० रुपये ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस अनुसन्धान संस्था में किस प्रकार की श्रम समस्याओं का अध्ययन किया जायगा और क्या वे समस्याएं औद्योगिक मजदूर, खेतिहर मजदूर या भूमिहीन मजदूर के संबंध में होंगी ?

†**श्री हाथी** : इस में अनुसंधान के प्रश्नों का विवेचन होगा, मुख्यतः मालिक और मजदूर के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास, अधिकाधिक उत्पादकता के लिए वातावरण का निर्माण, मजदूरों के काम करने तथा रहने की स्थितियों में सुधार, युक्तियुक्त मजूरी और लाभ संबंधी नीतियों का विकास और दूसरी समस्याएं जो अन्य अभिकरणों द्वारा उसे प्रस्तुत की जायें । उसमें खेतिहर तथा दूसरे मजदूर भी शामिल होंगे ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस तरह की प्रादेशिक अनुसन्धान संस्थाएं स्थापित करने की कोई योजना है ?

†**श्री हाथी** : अभी फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है यह एक अनुसन्धान संस्था होगी ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न व्यापारों के संबंध में कुछ प्रादेशिक संस्थाएं हैं, और यदि हां, तो क्या उन संस्थाओं और इस केन्द्रीय श्रम अनुसन्धान संस्था के बीच कोई समन्वय होगा ?

†**श्री हाथी** : एक केन्द्रीय श्रम अनुसंधान संस्था बम्बई में है और तीन प्रादेशिक संस्थाएं हैं । यह एक अलग अनुसन्धान संस्था है जो श्रम संस्था की इमारत में ही काम करेगी ताकि समन्वय हो सके । बाकी तीन संस्थाएं प्रादेशिक हैं । उन में से एक बम्बई में है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस संस्था में उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें इस काम के लिये फिलहाल नियुक्त किया गया है ।

†**श्री हाथी** : अभी तक किसी को नियुक्त नहीं किया गया है ।

†**डा० मेलकोटे** : यह संस्था कब तक स्थापित हो जायेगी ?

†**श्री हाथी** : संभव है कि अगस्त या सितम्बर तक ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या इस संस्था का कोई संबंध टाटा समाज विज्ञानशाला (टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज) से भी होगा जो इस बिषय का विवेचन करती है ।

†**श्री हाथी** : जी नहीं । मेरी समझ से उस के साथ उस का कोई संबंध नहीं रहेगा । इस संस्था में विश्वविद्यालयों तथा दूसरी अनुसन्धान संस्थाओं के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** जैसा कि अभी हाल में समाचार पत्रों में बताया गया है, क्या इस संस्था को चलाने में मदद करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों को लाया जायेगा ?

†**श्री हाथी :** प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रशासन चलाने के लिये नहीं ।

†**श्री दाजी :** इस से मजदूर संघों द्वारा उद्योग में हिस्सा लेने के विषय में किस प्रकार की सहूलियत होगी और इस अनुसन्धानशाला के लिये व्यक्तियों के चुनाव का क्या आधार होगा ?

†**श्री हाथी :** इस संस्था के प्रशासी निकाय में मजदूर संघों तथा मालिक संघों के प्रतिनिधि होंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रशासी निकाय में विभिन्न केन्द्रीय मजदूर संघों, जैसे आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि होंगे ?

†**श्री हाथी :** मैं ने वही बताया है । प्रशासी निकाय में केन्द्रीय मजदूर संघों और मालिक संघों तथा दूसरे विश्वविद्यालयों और अनुसन्धानकर्ताओं के प्रतिनिधि होंगे ।

†**श्री दाजी :** मैं ने यह पूछा था कि अनुसन्धान के लिये प्रवेश करने वाले लोगों की क्या योग्यताएं या आधार होगा ?

†**श्री हाथी :** एक अर्थशास्त्री भारसाधक संचालक होगा । उस के अधीन चार प्रभाग होंगे, अर्थशास्त्र प्रभाग, मानव संबंध प्रभाग, व्यावहारिक मनोविज्ञान प्रभाग, और सांख्यिकी प्रभाग । कर्मचारियों के पास आवश्यक योग्यतायें तो होंगी ही । यह वास्तविक अनुसन्धान के लिये होगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस संगठन को कुछ विशेषज्ञों की सेवायें देने जा रहा है ?

†**श्री हाथी :** अभी नहीं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या विशिष्ट उद्योगों के लिये निर्वाह मजूरी निर्धारित करना अनुसन्धान का एक अंग होगा ।

†**श्री हाथी :** वह अनुसन्धानों की समस्याओं का जैसे युक्तियुक्त मजूरी, निर्वाह मजूरी तथा दूसरी बातों का विवेचन करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आणविक विद्युत् केन्द्रों के सम्बन्ध में हायाथ समिति की रिपोर्ट

+

†*९९७. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मोहसिन :
श्री बड़े :
श्री ब्रह्मजीत :
श्री बसुमतारी :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री महेश्वर नायक :
श्री चन्द्रिकी
श्री सु० पा० सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आणविक विद्युत् केन्द्रों के सम्बन्ध में हायाथ समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह):** (क) और (ख). हायाथ समिति ने दिल्ली-पंजाब-राजस्थान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दो स्थानों की सिफारिश की है। रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

भारत के अन्य भागों में स्थानों की सिफारिशों संबंधी हायाथ समिति की पूर्ण रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री वारियर :** क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं को इस पंचवर्षीय योजनाकाल में या अगली योजनाकाल में आरम्भ करने का है और यदि इस योजनाकाल में आरम्भ करने का है तो कितना आवंटन किया गया है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** समूची रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री वारियर :** कम से कम कोई तो आवंटन किया गया होगा। मैं उसी को जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या अभी तक कोई आवंटन किया गया है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** नहीं। हमें आशा है कि उन में से कम से कम एक इस योजनाकाल में आरम्भ हो जायेगा ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या हायाथ समिति की रिपोर्ट पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह :** यह बात इस पर विचार किये जाने के बाद निर्भर होगी।

†**श्रीहेडा :** हायाथ समिति की नियुक्ति से पहिले तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में कितने केन्द्र आरम्भ करने का विचार था ?

†**श्री दिनेश सिंह :** मैं ने अभी बताया है कि हम ने अभी कोई दृढ़ निश्चय नहीं किया है। आशा है कि तीसरी और चौथी योजनाओं में इस प्रकार के कुल सात केन्द्र बन सकते हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, यदि माननीय मंत्री जी पूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रख सकते, तो क्या वह यह बता सकते हैं कि कमेटी ने किन दो स्थानों की सिफारिश की है ?

श्री दिनेश सिंह : मेरा ख्याल है कि जब तक रिपोर्ट पर अच्छी तरह से गौर न किया जाये, तब तक इस तरह की कोई बात कहना मुनासिब नहीं होगा।

†**डा० क० ल० राव :** क्या सरकार को इन विद्युत् केन्द्रों को समुद्र तट के बजाये देश में भूमि पर स्थापित करने के खतरों की जानकारी है ? इन विद्युत केन्द्रों को देश में स्थापित करने में खतरा है, अच्छा यह है कि इन्हें समुद्र तट पर स्थापित किया जाये। क्या सरकार को इस खतरे की जानकारी है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** रिपोर्ट पर विचार किये जाने के बाद इन सब बातों पर आणविक विद्युत् आयोग विचार करेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** हायाथ समिति ने किस किस राज्य की यात्रा की है और क्या समिति ने उन राज्यों के वैज्ञानिक प्रतिनिधियों से भेंट की थी ताकि आणविक विद्युत् केन्द्रों की स्थापना संभव बन जाये ?

†**श्री दिनेश सिंह :** समिति सारे देश की यात्रा करती रही है। सारे देश में लगभग सात केन्द्र खोलने का विचार है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने अपने मतानुसार सभी आवश्यक व्यक्तियों से भेंट की होगी।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या इन विद्युत् केन्द्रों की स्थापना में वैदेशिक सहयोग की कोई वार्ता हो रही है और यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह :** कनाडा के साथ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या बिहार सरकार ने इस उद्देश्य के लिये किसी केन्द्र का सुझाव दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम राज्यों के ब्यौरे की बात कर रहे हैं।

†**श्री भक्त दर्शन :** मैं ने पहला प्रश्न इस कारण से पूछा था कि राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने कई बार यह घोषित किया है कि यह अणुशक्ति का केन्द्र उन के राज्यों में स्थापित होने वाला है, इसलिये क्या यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि कौन कौन से स्थान इस संबंध में निश्चित किये गये हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह:** मैं ने अभी अर्ज किया है कि यह ख्याल है कि पहला जो पावर स्टेशन बनेगा, वह दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एरिया में किसी जगह बनेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महेश्वरनायक :** क्या सरकार ने आणविक विद्युत् केन्द्र की स्थापना की तुलनात्मक लागत सुनिश्चित कर ली है, और यदि हां, तो यह साधारण बिजलीघर की स्थापना लागत से कम है या अधिक है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** हां, सरकार ने इस का अध्ययन किया है और यह अनुकूल है ।

†**श्री बालकृष्णन् :** क्या यह समिति मद्रास, केरल और आन्ध्र प्रदेश जैसे दक्षिण राज्यों में भी गई थी ?

†**श्री दिनेश सिंह :** हां ।

समाचार पत्र उद्योग

+
*९९८. { **श्री भक्त दर्शन**
श्रीमती मिनीमाता :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचारपत्र उद्योग में स्वामित्व के केन्द्रीय और एकाधिकारिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के प्रश्न पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कब तक इस बारे में किसी निश्चय पर पहुंचने की आशा करती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) (क) जी, हां ।

(ख) बहुत जल्दी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने जवाब दिया है, "जी हां" और "बहुत जल्दी" । इतना तो सब समझ गये होंगे । इस को दोहराने की जरूरत नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि समाचारपत्र उद्योग में इस तरह की जो एकाधिकार, मानापली, की भावना चल रही है, उस का अध्ययन किस के द्वारा किया जा रहा है—क्या प्रेस रजिस्ट्रार के द्वारा या इस के लिये मंत्रालय में किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है ?

श्री शामनाथ : प्रेस रजिस्ट्रार के जरिये किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे मालूम है, इस प्रश्न पर दो वर्षों से विचार हो रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय में वे कौन सी खास अड़चनें हैं, जिन के कारण निर्णय लेने में इतना विलम्ब हो रहा है ।

श्री शामनाथ : १९६१ की जो पोजीशन रही है, उस के मुताल्लिक जब रिपोर्ट आ जायगी, उस वक्त गवर्नमेंट इस के मुताल्लिक फ़ैसला करेगी ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या श्रमजीवी पत्रकार संघों ने इस मामले की जांच करने के लिए कोई समिति या आयोग नियुक्त करने के लिये सरकार से प्रार्थना की है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शामनाथ** : हां, श्रमजीवी पत्रकारों ने त्रिवेन्द्रम में आयोजित अपनी कान्फ्रेंस में एक संकल्प स्वीकार किया था और उन्होंने इस प्रश्न की जांच करने के लिये सरकार से एक आयोग नियुक्त करने को कहा था ।

†**अन्सार हरवानी** : इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री श० ना० चतुर्वेदी ।

†**श्री शामनाथ** : मामला विचाराधीन है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने माननीय मंत्रियों से निवेदन किया है कि वे प्रश्न का उत्तर देने से पहिले मेरी ओर भी देख लें । कभी कभी मैं प्रश्न की अनुमति नहीं देता, परन्तु वे उत्तर दे देते हैं । उत्तर देने से पहिले वे मेरी ओर देखने की कृपा करेंगे कि मैं प्रश्न की अनुमति दे रहा हूं या नहीं ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या अध्ययन समाप्त हो गया है और अखबारों के स्वामित्व के समूहन के बारे में क्या प्रवृत्ति पैदा हो रही है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है । यह मामला विचाराधीन है । हम मामले की जांच कर रहे हैं ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या सरकार सारे अखबारों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में लंका सरकार के पद चिन्हों का अनुकरण करने का विचार कर रही है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं नहीं जानता कि लंका में क्या हो रहा है ।

†**श्री वारियर** : सरकार की जानकारी के अनुसार आजकल भारत में कौन कौन एकाधिकार कार्य कर रहे हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : यह सब इस पर निर्भर है कि हम एकाधिकार किसे कहते हैं । अतः हमें प्रश्न के अनेक पहलुओं को देखना है ।

†**श्री मे० क० कुमारन्** : प्रेस आयोग ने सिफारिश की है कि प्रेस परिषद् की स्थापना से इस मामले में बड़ी सहायता मिलेगी । क्या इस मामले में सरकार का विचार कुछ कार्यवाही करने का है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : हम इस पहलू पर भी विचार कर रहे हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस अध्ययन के साथ, क्या समाचार एजेंसियों के एकाधिकार तथा समहन की प्रवृत्ति का भी अध्ययन किया जा रहा है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : प्रश्न का प्रत्येक पहलू विचाराधीन है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या सरकार देश में हो रहे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों का ध्यान रख कर इस मामले में शीघ्र निश्चय करने का महत्व स्वीकार करती है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : हम किसी मत विशेष का समर्थन नहीं चाहते । अतः हम देखना चाहते हैं कि कोई एकाधिकार न हो और न ही एक ओर के ही विचार व्यक्त किये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काश्मीर में कागज का कारखाना

+

†*९९९. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज का एक कारखाना स्थापित करन की संभावना का पता लगाने के लिये रूसी विशेषज्ञों के एक दल ने भारतीय विशेषज्ञों के साथ जम्मू और काश्मीर राज्य में चिनाब घाटी का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हों ने इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की हैं ?

† **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) यह रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री रघुनाथ सिंह : काश्मीर में जो पेपर मिल की व्यवस्था है, उस के बारे में क्या रिपोर्ट में कोई इंडीकेशन है कि कहां पर वह स्थापित होगी, जम्मू में होगी या श्रीनगर में होगी ?

†**श्री कानूनगो** : मैंने उत्तर दिया है कि रिपोर्ट अभी नहीं मिली है । वस्तुतः दल ने अपना कार्य ११ मई को समाप्त कर दिया था ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या यह पेपर मिल प्राइवेट सैक्टर में होगो ?

†**श्री कानूनगो** : स्पष्ट है कि कागज एक ऐसी वस्तु है जो गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये खुली है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रूसी विशेषज्ञों ने सुझाव नहीं दिया है कि काश्मीर में कागज़ के केवल एक ही कारखाने के लिये नहीं अपितु अधिक कारखानों के लिए सामान भी है और संभवता भी है । यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री कानूनगो** : रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है । हम केवल यह जानते हैं कि संसाधन उपलब्ध हैं । परिवहन तथा पुनः जनन की कठिनाई है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, इस रिपोर्ट के कब तक मिल जाने की आशा की जा सकती है और कब तक इस बारे में फैसला हो जायगा ?

श्री कानूनगो : जल्दी से जल्दी ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या कागज़ का कारखाना स्थापित करने का लाइसेन्स पाने के लिये किसी गैर-सरकारी पार्टी ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है ?

†**श्री कानूनगो** : नहीं, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री महेश्वर नायक : इस में रूसी विशेषज्ञों की सहायता लेने की क्या आवश्यकता थी ? क्या सर्वेक्षण करने के लिये भारतीय विशेषज्ञों को कुशल नहीं समझा गया ?

†श्री कानूनगो : अभी हम ने भारत में लकड़ी की लुगदी बनाने का प्रयत्न नहीं किया है। अतः विदेशी विशेषज्ञों की सहायता ली गई।

†श्रीमती सावित्री निगम : अभी माननीय मंत्री ने कहा था उत्पादित वस्तुओं के परिवहन की कठिनाई से परियोजना में देर हो रही है। यह कठिनाई दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्री कानूनगो : मैंने यह नहीं कहा। अब कोई निर्मित वस्तु विचाराधीन नहीं है।

†श्री भक्त दर्शन : श्रीमान, जहां तक मुझे ज्ञात है रूसी विशेषज्ञों से पहिले एफ० ए० ओ० के किसी एक्सपर्ट ने भी इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल की थी। म जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ ?

†श्री कानूनगो : मुझे मालूम नहीं है। वन पुनः उगाने और वन का प्रयोग करने के प्रश्न पर निरन्तर अध्ययन हो रहा है। अभी तक हम कागज़ के लिये किसी एक विशिष्ट प्रकार की लकड़ी का प्रयोग करने के मार्गोपाय मालूम नहीं कर सके हैं।

निर्यात

†*१०००. श्री अ० सिं० सहगल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष की पहली तिमाही में निर्यात पिछले वर्ष इसी अवधि में किये गये निर्यात की तुलना में कम होता दिखायी पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस के कारणों की जांच की है ;

(ग) निर्यात बढ़ान के लिये और क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ; और

(घ) वह निर्यात कितने प्रतिशत कम हुआ है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) नहीं, श्रीमान्। इस वर्ष जनवरी-मार्च में १६६ करोड़ रु० का निर्यात हुआ जबकि पिछले वर्ष की पहिली तिमाही में १६१ करोड़ रु० का निर्यात हुआ था।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(ग) एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

निर्यात बढ़ाने के लिए की जाने वाली कुछ और बड़ी कार्यवाही निम्न हैं :—

(१) निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा देने में प्राथमिकता।

(२) निर्यात घरों और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार फर्मों का बड़ी संख्या में बनाया जाना।

†मूल अंग्रेजी में

(३) राज्य व्यापार निगम और निर्यात संवर्धन परिषदों का काम बढ़ाना और सहकारी संघों द्वारा निर्यात बढ़ाना ।

(४) निर्यात करने वाले बड़े उद्योगों तथा निर्यात होने वाली वस्तुओं के मल्य-ढांचे में कमी करने के प्रोग्राम का आरम्भ होना ।

(५) प्रत्येक निर्यात संवर्धन योजना में आयातित पूंजीगत वस्तुओं और सामान को अनिवार्य मशीनरी अधिकार के रूप में उपलब्ध करके उद्योगों का तेज़ी से आधुनिकीकरण करना, अर्थात् अर्जित विदेशी मुद्रा का कुछ भाग, अर्थात् १० प्रतिशत से २० प्रतिशत तक की राशि, उद्योग के अनुसार, अनिवार्य रूप से निर्यातकर्ताओं तथा निर्यात निर्माताओं द्वारा आधुनिकीकरण के लिए मशीन का निर्यात करने के लिए प्रयोग करने की अनुमति होगी ।

(६) पहिले मिलने वाली सीमाशुल्क और उत्पादन-कर की वापसी के अलावा निर्यात से संबंधित उत्पादन-बोनस जैसे अनेक नये वित्तीय उपाय आरम्भ करना ।

(७) निर्यात-कर्ताओं को आय कर सहायता ।

(८) बाज़ार सर्वेक्षण और उत्पाद प्रदर्शन जैसी कार्यवाही बढ़ाना ।

(९) निर्यात के लिए निर्माण करने के लिए स्वदेशीय तथा आयातीत कच्चे सामान की सरल उपलब्धि ।

(१०) निर्यात-कर्ताओं को ढीली और विस्तृत वित्तीय तथा ऋण सुविधायें ।

(११) किस्म का नियन्त्रण, वर्गीकरण और जहाज में लादने से पहिले निरीक्षण की प्रभावी प्रणाली की स्थापना ।

(१२) निर्यात होने वाली वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तथा रेलवे और समुद्री किराये की रियायती दरों में प्राथमिकता ।

†**श्री अ० सिं० सहगल** : क्या यह सच है कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों में तालमेल की कमी के कारण पछली तिमाही में कम निर्यात हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा कि निर्यात अधिक हुआ और आप कहते हैं कि कम हुआ । क्या आप कोई और प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री चक्रवर्ती ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग ने अनेक अन्य उपायों का सुझाव दिया था जैसे अधिकतर निर्यात-शुल्कों का समापन, उत्पादन करों की वापसी, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में परिवहन में प्राथमिकता, और . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वे सारी सिफारिशें पढ़ेंगे ?

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : यदि हां, तो वे कहां तक लागू किये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जो भी उपाय किये जा रहे हैं, वे सब मैंने विवरण में बताये हैं । हम केवल यही देखने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं कि सिफारिशें ही की जायें अपितु हम जो भी उपाय करें उसे कार्यरूप दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : अन्तर्देशीय व्यापार पर १.५ प्रतिशत या २ प्रतिशत उप कर, जिसका सुझाव दिया गया है कितना होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह अभी चर्चाधीन और विचाराधीन है । अभी किसी भी राजस्व की प्राप्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार पिछले ३, ४ वर्ष के निर्यात आंकड़े देने और यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वे पहिले के कुछ वर्षों की अपेक्षा वस्तुत: कम नहीं हो रहे हैं?

†**श्री मनुभाई शाह** : पिछले ४ वर्षों में ऐसी कोई कमी नहीं हुई है यद्यपि यह पिछले दशक की अपेक्षा कम है । हमारी इच्छा निर्यात बढ़ाने की है । सभा को विदित है कि तीसरी योजना में हमने निर्यात में निरन्तर वृद्धि का लक्ष्य रखा है, और हम यदि उससे आगे नहीं निकल सके तो वहां तक तो पहुंचना चाहेंगे ।

†**श्री त्यागी** : तीन वर्ष क्या आंकड़े थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

श्री प्र० के० देव ।

†**श्री प्र० के० देव** : विवरण से पता लगता है कि निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक बड़े उपायों का प्रस्ताव किया गया है । मेंगनीज-अयस्क के निर्यात में कमी से हम सबको ही चिन्ता रही है क्योंकि विदेशी मुद्रा का अर्जन करने वाली बड़ी कार्यवाहीं में से यह भी एक है । मेंगनीज का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और कौन कौन सिफारिश लागू की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हर्ष है कि यह प्रश्न पूछा गया है क्योंकि जिन वस्तुओं का निर्यात कम हो रहा है उनमें से यह भी एक है । सभा को यह जानकर हर्ष होगा कि हमने ७.५ लाख टन मेंगनीज का ठेका पूरा कर लिया है और अगले कुछ महीनों में हम १० लाख टन तक पहुंच जायेंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गप्त** : विवरण की मद संख्या ४ में उल्लेख है कि निर्यात करने वाले बड़े उद्योगों के लागत-ढांचे में कमी करने का प्रोग्राम आरम्भ किया जायेगा । क्या इसमें उस कच्चे सामान के मूल्यों का संरक्षण शामिल है जिन पर निर्यात करने वाले बड़े उद्योग निर्भर हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमने यही कहा है । हमने कहा है 'निर्यात उद्योग और निर्यात-वस्तुएं' । पण्य वस्तुओं से उस प्रारम्भिक कच्चे सामान से है जो वस्तुओं के निर्माण के लिए मूल वस्तुयें हैं । अतः हमें उत्पादिता और उस कृषि धनोपार्जक फसल के मूल्यविशलेषण की जांच करनी होगी जो उद्योग और निर्मित वस्तुओं में प्रयोग होती है और यह भी देखना होगा हम जो उपचारात्मक कार्यवाही करते हैं उसका व्यय कैसे कम किया जाये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मध्यम दज के और मोटे कपड़े की क्या स्थिति है और क्या हम उस कठिनाई का ध्यान रख कर, जो हमारे सामने आई, कपड़ा तैयार कर सके हैं क्योंकि हमें मुकाबला करना पड़ता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह विशेष प्रश्न पूछें, तो मंत्री महोदय उस का उत्तर देंगे । श्री हेम बरुआ ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की गई कार्यकारी पार्टी ने अपनी रिपोर्ट में निश्चित रूप से कहा है कि यदि ब्रिटेन योरोपीय साझा बाजार में शामिल होता है तो भारत के कपड़ा-निर्यात में कमी हो जायेगी ? यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : मे मत हैं जिन्हें देश भली भान्ति जानता है। परन्तु हम यह नहीं देखते कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध से हमारा निर्यात कैसे कम होगा ? हमारी विक्रयकला नीति और देश व्यापार से संबंधित देशों के साथ वार्ता से इसे बनाये रखा जायेगा।

हथकरघा और बिजली से चलने वाला करघा

†*१००२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० और १९६१ के लिए अलग अलग हथकरघे और बिजली से चलने वाले करघे से उत्पादन का लक्ष्य कितना था और वास्तविक उत्पादन कितना रहा ; और

(ख) यदि कोई कमी और असन्तुलन रहा, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हथकरघों और बिजली से चलने वाले करघों के उत्पादन के लिए वर्ष १९६० तथा १९६१ में वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे । वास्तविक उत्पादन निम्न हैं :—

	(दस लाख गज़ों में)
१९६०	
(क) हथकरघा	१,८६०
(ख) बिजली का करघा	३४२
१९६१	
(क) हथकरघा	२,१९४
(ख) बिजली का करघा	४००

वर्ष १९६१ के लिए दिये गये आंकड़े प्राक्कलित आंकड़े हैं जिनका आधार ११ महीनों के वास्तविक आंकड़े हैं । क्योंकि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे, इसलिए कमी या असन्तुलन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हमारा एक बोर्ड होने और समस्त प्रोत्साहन देने पर भी हमारे हथकरघे के कपड़े का निर्यात प्रतिवर्ष कम होने का क्या कारण है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बात तथ्ययुक्त नहीं है । यह ठीक है कि वह उतना अधिक नहीं है जितना कि हम चाहते हैं । यदि आंकड़े देखे जायें, तो उत्पादन वर्ष १९६० में १८६ करोड़ गज़ से बढ़कर वर्ष १९६१ में २१९.४ करोड़ गज़ हो गया है । निर्यात ४.५ करोड़ गज़ बढ़ गया है यद्यपि हम इस से भी अधिक चाहते थे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर : 'इण्डियन इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड'**, १९६१ में हमें दिये गये आंकड़ों में कहा गया है कि वर्ष १९५६ में ६ करोड़ गज कपड़ा निर्यात हुआ और उसका मूल्य ८६ लाख रुपया था ; वर्ष १९५७ में ५.६ करोड़ गज़ कपड़ा निर्यात हुआ और उसका मूल्य ५६ लाख रुपया था ; वर्ष १९५८ में ५२ लाख रु०, वर्ष १९५९ में ६५ लाख रु०, वर्ष १९६० में ५० लाख रु० था । अत: यह कम हो गया है । बढ़ने की बात कहां है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : श्रीमान, इसमें कुछ गलती है। पहले तो वे लाख में नहीं हैं बल्कि दस लाख में हैं। अर्थात्, उन सबको दस से गुणा किया जाना चाहिये। फिर वे वास्तविक आंकड़े होंगे। मैं वस्तुत: दो वर्षों के उन उत्पादन-आंकड़ों की तुलना कर रहा था जो अब उपलब्ध हैं। वे पहले से कम नहीं हैं, यद्यपि वे उस से कम हो सकते हैं जो कि हथकरघा के कपड़े के निर्यात में हम चाहते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : रिपोर्ट में कहा गया है कि आंकड़े लाखों में हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह नहीं हो सकता वे करोड़ में हैं। उन्हें ६.५ करोड़, ५.४ करोड़, आदि पढ़ा जाना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इसमें प्रति वर्ष कमी हुई है। हमारा निर्यात कम होने के क्या कारण हैं जब कि हमारा एक विशेष बोर्ड है और सभी प्रोत्साहन दे रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं पहले ही यह कह चुका हूं।

श्री अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हाथकरघे और बिजली के करघे को लाइसेंस देना क्यों बन्द कर दिया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : हाथकरघे का लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं होती। बिजली के करघे का लाइसेंस देना बन्द किया है क्योंकि पावरलूम फैक्टरी हैंडलुम को भी तंग करती है और आरगेनाइज्ड इंडस्ट्री को भी तंग करती है।

†**श्री अब्दुल वहीद** : निर्यात बढ़ाने के लिए और कार्यवाही कब की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे धीरे धीरे लागू किये जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि शायद माननीय सदस्य इस बारे में मुझसे अधिक जानते हैं।

श्री ज० ब० सिंह : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कौन कौन से कदम उठाये हैं हैंडलुम इंडस्ट्री को मदद करने के लिये, ताकि पैदावार ज्यादा बढ़े जो कि घटती जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : हालांकि यह सवाल इसमें से पैदा नहीं होता लेकिन क्योंकि सदस्य श्री ने इंटरेस्ट दिखाया है इसलिये म बताना चाहता हूं कि हमने कुछ दिन पहले तै किया है कि पिछले साल साढ़े ६ करोड़ का जो एक्सपोर्ट टारजेट था उसको अगले साल बढ़ा कर ११ करोड़ कर दिया जाए। उसके लिए प्रिंटिंग आदि जो दूसरे किस्म की फैसिलिटीज हैं उनका भी इन्तिजाम कर रहे हैं। एक हाई पावर्ड आफिसर रख रहे हैं जो देखेगा कि किस तरह से हैंडलुम में मिकेनाइजेशन और माडरनाइजेशन लाकर नई टैकनीक लायी जाए। अभी जो टारजेट है वह बहुत कम है, उसे हम ज्यादा कर रहे हैं।

महिला कर्मचारियों के लिये होस्टल

†*१००४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १५० से ५०० रुपये के वेतन क्रम में ८० प्रतिशत सरकारी अकेली महिला कर्मचारियों और ५० प्रतिशत पुरुष कर्मचारियों को आवास देने के लिए, जैसा कि सरकार ने २० फरवरी, १९६१ को इस सभा में अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से इच्छा प्रकट की थी, कोई कार्यवाही की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या महिला कर्मचारियों के प्रस्तावित होस्टल के लिए क ेन रोड क्षेत्र में सिरमुर प्लाट खरीद लिया गया है ; और

(ग) उसी होस्टल में अकेली महिला कर्मचारियों को जिनके साथ छोटे बच्चे हों, आवास देने के बारे में सरकार ने यदि कोई निर्णय किया हो, तो वह क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :** (क) अकेले कर्मचारियों के निवासस्थान की मांग को पूरा करने का लक्ष्य, महिलाओं के मामले में ८० प्रतिशत और पुरुषों के मामले में ५० प्रतिशत है । तथापि, प्रारम्भ में, दो होस्टल बनाने का विचार है—एक २५० पुरुषों के लिए और दूसरा १०० स्त्रियों के लिये—१५० रुपये से ५०० रुपये तक के वेतन-वर्ग के कर्मचारियों के लिये । पुरुषों के होटल सम्बन्धी योजनाओं और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं । गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को स्थान देना स्वीकार नहीं किया । अन्य उपयुक्त स्थान चु ा जा रहा है । वह हो जाने के उपरात, स्त्रियों के लिये होटल बनाने के प्रस्ताव को लिया जायेगा ।

(ग) होटल पूरा हो चुकने के पश्चात् ही उसका विचार किया जा सकता है ।

†**श्री पु० रं० चक्रवर्ती :** सिरमूर प्लाट कों खरीदने के लिये क्या रूकावट है ? यह मामला पिछले दो वर्षों से लटक रहा है ।

†**श्री जगन्नाथ राव :** मैंने बताया कि सिरमूर प्लाट गुजरात सरकार का है और वे इसे देने के लिये तैयार नहीं हैं ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में मजदूर की मृत्यु

†*१००५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, १९६२ में नई दिल्ली में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के विद्युत विभाग में एक भारी दुर्घटना हुई थी जिसके फलस्वरूप एक मजदूर की मृत्यु हो गई ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) जांच करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :** (क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी सिमित के प्रिस्ट्रेस विभाग का एक कर्मचारी एक दुर्घटना में मर गया था जो २४ अप्रैल, १९६२ को हुई थी ।

(ख) बिजली लगने के कारण उस कर्मचारी की मृत्यु हुई थी ।

(ग) जांच की आज्ञा दी गई है और शीघ्र ही रिपोर्ट मिलने की आशा की जाती है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या जांच विभागीय जांच है या कोई बाहर का व्यक्ति नियुक्त किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगन्नाथ राव :** यह बाहर की जांच है। सभापति श्री ई० कृष्णामूर्ति है, जो औद्योगिक न्यायाधिकरण दिल्ली का सेवा निवृत्त सभापति है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या उस जनरल मैनेजर ने जांच के सामने साक्ष्य देने को कहा गया था, ऐसा करने से इन्कार कर दिया और बार बार की प्रार्थनाओं के बावजूद वह पेश नहीं हुआ ?

†**श्री जगन्नाथ राव :** यह सही नहीं है।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या उसके आश्रित लोगों को कर्मकर प्रतिकर अधिनियम के अधीन कोई मुआवजा दिया गया है ?

†**श्री जगन्नाथ राव :** कर्मकर कर्मचारी राज्य बीमा योजना का भागीदार था अतः उसके आश्रित लोगों को पेंशन और भविष्य निधि मिलने का हक है।

†**श्री प्र० के० देव :** मैं प्रतिकर के बारे में जानना चाहता हूं।

†**श्री भक्त दर्शन :** ऐसी दुर्घटनायें भविष्य में फिर न हों इसके लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री जगन्नाथ राव :** हमें दुर्घटना का अभी कारण पता नहीं लगा। जब तक रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए कुछ कहना संभव नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी कार्मिक संघ व्यवस्थापकों को उचित पूर्वोपाय करने और फैक्टरी अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये लिखता रहा है और क्या इस अधिनियम के उपबन्ध कार्यान्वित किये जा चुके हैं ?

†**श्री जगन्नाथ राव :** अभी तक, जब तक दुर्घटना हुई, यह मानना होगा कि अधिनियम पूरी तरह कार्यान्वित किया गया था। अफसर की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। यदि कुछ सुझाव दिये जायेंगे तो उनको अवश्य कार्यान्वित किया जाएगा।

अमरीका को कपड़े का निर्यात

+

†*१००६. { **श्री प्र० सिं० सहगल :**
श्री मुहम्मद इलियास : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की सरकार ने हाल में आयात किये जाने वाले कपड़ों पर कर लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कर के लगने से भारतीय कपड़े के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

'आजाद भवन', दिल्ली के सामने मकानों का गिराया जाना

†*१००७. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि बिजली घर के निकट 'आजाद भवन' के सामने बिना किसी चेतावनी अथवा नोटिस के इस भूमि पर रहने वाले ३६ परिवारों, जिनके पास यह सिद्ध करने के दस्तावेज़ हैं कि वे यहां पर १९४० से रह रहे हैं, के मकानों को गिरा दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनको अपने मकानों में से सामान निकालने के लिये भी कोई चेतावनी नहीं दी गई ;

(ग) क्या उनको कोई लिखित नोटिस दिया गया था और यदि हां, तो किस तारीख को ;

(घ) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ङ) क्या मकानों के लिये तथा सब्जी उगाने के लिये, जो कि उनका पेशा है, उनको भूमि आवंटित की जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) आजाद भवन के सामने सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से बनाए गये २४ मकान २४ अप्रैल, १९६२ को गिराये गये थे, क्योंकि केन्द्रीय बिजली घर बनाने के लिये भूमि की बहुत अधिक आवश्यकता थी ।

(ख) और (ग). सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत मार्च, १९६० में नोटिस जारी किये गये थे और निष्कासन के अन्तिम आदेश "सम्पदा अफसर" द्वारा जनवरी १९६१ में दिये गये थे, जिनमें उन परिवारों को वह स्थान खाली करने के लिये ४५ दिन का समय दिया गया था । अर्ह २८ परिवारों को वैकल्पिक स्थान पेश किये गये थे किन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किये ।

(घ) और (ङ). निगम द्वारा अर्ह परिवारों को पुनः विकसित प्लाट पेश किये जा रहे हैं, किन्तु यह पेशकश अभी स्वीकार नहीं की गई है । झुग्गी और झोपड़ी हटाने की योजना में इन लोगों को कृषि भूमि देने का विचार नहीं है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : जब नोटिस दिये गये थे क्या कोई रसीद ली गई थी, क्योंकि लोगों का कथन यह है कि उनको नोटिस दिये ही नहीं गये ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : १९५८ के अधिनियम संख्या ३२ के अधीन कार्यवाही की गई थी । सब औपचारिकताओं का पालन किया गया, नोटिस दिये गये, एक जांच की गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निष्कासन के लिये आदेश जारी किये गये ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या किसी अफसर ने इन लोगों से मुलाकात की या ये नोटिस डाक द्वारा भेजे गये ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : नोटिस विधि द्वारा निर्धारित तरीके से जारी किये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती सावित्री निगम : उसे—

†अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मुझे इस का ध्यान नहीं रहा। प्रश्न जिस रूप में पूछा गया है, वास्तव में कुछ लोगों की ओर से अभ्यावेदन है। ऐसा नहीं होना चाहिये। यह गैर-सरकारी तौर पर लिया जा सकता है।

जाली पारपत्र

+

†*१००८. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री महेश्वर नायक :
श्री हेम बरुआ : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली पारपत्र कूटयोजना अब भी जोरों से चल रही है;

(ख) ऐसे चालबाजों को पकड़ने के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयास किया है; और

(ग) उस दिशा में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जाली पारपत्र बनाने वालों की गतिविधियों को बहुत बड़ी सीमा तक कम कर दिया गया है यद्यपि इक्का दुक्का मामले होते रहते हैं।

(ख) जालीपारपत्रों के विरुद्ध किये गये सामान्य पूर्वोपायों के अतिरिक्त, अर्थात् फोटो में छेद करना, विशेष किस्म की स्याही का प्रयोग आदि, कूटयोजना करने वालों को दंड देने के लिये जो जाली पारपत्रों के लिये उत्तरदायी थे और उन के साथियों को जो इस अवैध व्यापार को करते हैं, दंड देने के लिये समन्वित प्रयत्न किये जाते हैं। बहुत से व्यक्ति जो जाली पारपत्रों के साथ जाने में सफल हो गये, अन्ततोगत्वा भारत वापिस भेज दिये गये जहां उन पर न्यायालयों में मुकद्दमे चलाने की दृष्टि से, भारत पहुंचते ही उन को पकड़ लिया गया। भारत में तलाशी लेने वाली चौकियों पर यात्रा सम्बन्धी दस्तावेजों की जांच का काम भी कड़ा कर दिया गया है, जिसके लिए जांच अधिकारियों को प्रादेशिक पारपत्र कार्यालयों में अल्प-कालीन प्रशिक्षण दिया गया है और उन को जाली पारपत्र पकड़ने के लिये विशेष प्रकार के औजार दिये गये हैं। "करो" और "न करो" की सूची भी सभी तलाशी चौकियों के जांच करने वाले कर्मचारियों के मार्ग दर्शनार्थ परिचालित की गई है।

(ग) किये गये उपायों की दृष्टि से जाली पारपत्र कूट योजना लड़खड़ा रही है। जाली पारपत्रों पर लोगों का निष्कासन काफी कम हो गया है और अब केवल जाली पारपत्र के इक्का दुक्का मामलों की ही सूचना मिलती है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : देश में ये जाली पारपत्र वाले गिरोह कितने वर्षों से काम कर रहे हैं और अब तक उन में से कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, कितनों पर मुकदमा चलाया गया तथा कितनों को दंड दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दिनेश सिंह : १९५६ से। १४५ व्यक्तियों पर अभियोग चलाये गये।

†श्री हरि विष्णु कामत : पिछले पांच वर्षों में कितने भारतीय रोके गये और दूसरी ओर से वापिस देश भेजे गये, अर्थात् उन देशों से जहां उन्होंने इन जाली पारपत्रों की सहायता से उतरने का प्रयत्न किया ?

†श्री दिनेश सिंह : लगभग १०८ व्यक्ति।

†श्री हरि विष्णु कामत : इन जाली पारपत्र गिरोह वालो की वास्तविक कार्यप्रणाली क्या है और वे साधारण लोगों को किस प्रकार धोखा दे पाते हैं ? वे कैसे काम करते हैं ? क्या सरकार को पता है ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या कूट योजना का सारा तरीका यहां बताया जायेगा

†श्री हरि विष्णु कामत : उन्होने जांच करके बहुतेरे लोगों को पकड़ा है। मामले न्यायालयों में आये हैं। ये बदमाश किस प्रकार लोगों को ठगते हैं ?

†श्री दिनेश सिंह : हम चाहते हैं कि हमें जाली पारपत्र बनाने के लिये उन के द्वारा अपनाये जाने वाले सब तरीकों का पता है। जहां तक इन लोगों का सम्बन्ध है, जाली पारपत्र या तो हमारे कर्मचारियो द्वारा उन के देश से जाते समय पकड़े जाते हैं या उस देश के कर्मचारियों द्वारा पकड़े जाते हैं जहां वे जाते हैं, और यदि हमें उन का पता लगता है तो हम उन को स्वदेश भेज देते हैं।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या जांच से उनके अन्तर्प्रान्तीय गिरोह का पता चला है ?

†श्री दिनेश सिंह : जी हां।

†श्री महेश्वर नायक : क्या सरकार ने पता कर लिया है कि इन लोगो का पारपत्र जारी करने वाले किसी सरकारी कर्मचा ी से सम्बन्ध नहीं रहा है ?

†श्री दिनेश सिंह : जी हां, एक या दो सरका ी कर्मचारी भी अन्तर्ग्रस्त थे और उन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार अब तक यह सिद्ध करने में सफल हो पाई है कि क्या इस जाली पारपत्र उद्योग का कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध है और क्या यह भी सच है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी विमान समवायों के कुछ कर्मचा ी भी इस कार्य में अन्तर्ग्रस्त हैं ?

†श्री दिनेश सिंह : यह कहना कठिन है कि क्या कोई संगठित अन्तर्राष्ट्रीय गि ोह है। हो सकता है उन के कुछ सम्बन्ध इधर उधर हो। किन्तु यह सच है कि एक विमान समवाय के एक या दो कर्मचारी पकड़े गये थे और उन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

†श्री प्र० क० देव : क्या श्री फिजो ने इन में से किसी तरीके का प्रयोग किया था . . . .

†अध्यक्ष महोदय : वह जाली पारपत्र नहीं था। किसी ने यह आरोप नहीं लगाया।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि हाल ही में दो आदमी गिरफ्तार किये गये हैं और उन में से एक निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय का कर्मचारी है ? क्या उसे गिरफ्तार किया गया है ? यह समाचारपत्रों में भी छपा है—बहुत हाल में—२ या ३ दिन पहले।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह** : हमें निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के किसी कर्मचारी के इस में अन्तर्ग्रस्त होने का पता नहीं है।

†**श्री इकबाल सिंह** : क्या पंजाब की अधिकांश अर्जियां रद्द की गई हैं और इसी कारण उन को बाध्य होना पड़ा है . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें इस मामले में अपने राज्य को क्यों इतनी प्रसिद्धि में लाना चाहिये ?

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या सरकार को पता है कि बहुतेरे यात्रा अभिकरणों के जाली पारपत्रों का काम करने वाले कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों को निकाल दिया और यदि हां तो कितनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह वह बता चुके हैं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघजी** : ये जाली पारपत्र साधारणतया किन देशों के लिये होते हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : साधारणतया इंग्लैंड के लिये।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रतीत होता है कि यह कहा गया था कि श्री फिजो के पास वास्तविक पारपत्र था। उसके पास वास्तविक पारपत्र नहीं था बल्कि 'ऐल सालवाडो पासपोर्ट' था जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम जाली पारपत्र कूट योजना के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। यह किसी ने भी आक्षेप नहीं लगाया कि वह उन में से था। यदि हमें प्रत्येक पारपत्र के मामले में जाना पड़े, कि आया अमुक व्यक्ति द्वारा दिखाया गया पारपत्र जाली है या नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते।

†**श्री प्र० के० देव** : यह हम सब के लिये चिन्ता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : अवश्य, माननीय सदस्य की अपेक्षा मेरे लिये अधिक।

नकली रुई (स्टेपल फाइबर) के कारखानों की स्थापना

†*१००९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रुई की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार से नकली रुई (स्टेपल फाइबर) तयार करने वाले कई कारखाने स्थापित करने का आग्रह किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह मामला कब से विचाराधीन है और क्या इस पर एक समिति या कर्मचारियों के दल अथवा विशेषज्ञों के द्वारा विभागीय तौर पर विचार किया जा चुका है ? किस प्रकार की जांच चल रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि यह मामला बहुत दिनों से विचाराधीन है। दुर्भाग्यवश, हम योजना आयोग की सहमति प्राप्त नहीं कर सके। किन्तु प्रति वर्ष रुई की अत्यधिक कमी की दृष्टि से, हम योजना आयोग के सामने इस मामले पर जोर दे रहे हैं और हमें आशा है कि लम्बे रेशे की रुई के उद्योग को अग्रेतर बढ़ने दिया जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : देश की इस अत्यन्त आवश्यक जरूरत को पूरा न करने के लिये योजना आयोग ने क्या कारण बताये हैं ?

†**श्री मनभाई शाह** : सामान्य विश्वास यह था कि कृत्रिम रेशम या रेशा कुछ विलासता वाला है, जो सच नहीं है। यह बुनियादी रेशा है जो रुई का विकल्प है। हम अब योजना आयोग को मना सकेंगे और हमें आशा है कि लक्ष्यों में संशोधन किया जायेगा।

†**श्री वारियर** : क्या इस रेशे के लिये सरकार वृक्ष बागान का उपयोग करने का विचार करती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें पहले लक्ष्य संशोधित करने चाहियें। तब हम कच्चे माल को देखेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय को योजना आयोग को मानाने में कितना समय लगेगा ? क्या योजना आयोग मान सकता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : नहीं यह बात नहीं है। कई बार तथ्य तर्कों की अपेक्षा मनाने की अधिक क्षमता रखते थे। पिछले साल मौनसून पवनें असफल रहीं और फसल खराब हो गई। उससे सिद्ध हो गया कि वाज्यि तथा उद्योग मन्त्रालय की बातचीत ठीक थी और वह मना सकती है।

†**श्री पी० रा० रामकृष्णन** : लम्बे रेशे का वर्तमान उत्पादन क्या है और देश में आयात कितना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग ७६० लाख पौण्ड उत्पादन है तो तीसरी योजना के लक्ष्य में कहीं अधिक है आयात लगभग १५०,००० गांठें हैं ;

पश्चिम एशियाई प्रदेशों में भारतीय राजदूतों का सम्मेलन

†*१०१०. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशियाई देशों में भारतीय राजदूतों का सम्मेलन शीघ्र होने वाला है ; और

(ख) क्या ऐसे सम्मेलन किसी विशेष प्रयोजन से बुलाये जाते हैं या सामान्य विचार विमर्श के लिये ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां। बेरुत में ३० और ३१ मई को।

(ख) प्रदेश से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार के लिये।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या इस सम्मेलन में दिल्ली से वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के कोई प्रतिनिधि भाग लेंगे ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० के० देव : क्या इस सम्मेलन में इजरायल को मान्यता देने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ?

†श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पश्चिम एशिया में कुवैत का स्वतन्त्र राज्य भी शामिल होगा और क्या इस सम्मेलन में वहां पर एक वाणिज्य दूतावास खोलने पर कोई विचार किया जायेगा ?

†श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं । इस सम्मेलन में उन सामान्य साधनों पर जिनसे पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत के सम्बन्ध दृढ़ किये जा सकते हैं, और दूतावासों की अन्य प्रशासनिक समस्याओं पर विचार किया जायेगा ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य दूतावास खोलना हमारे सम्बन्ध दृढ़ करना नहीं है ? किसी देश के साथ सम्बन्ध दृढ़ करने का यह भी एक साधन है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम कुवैत के साथ, जो एक स्वतन्त्र देश है, वहां पर वाणिज्य दूतावास खोल कर अपने सम्बन्ध दृढ़ करेंगे ।

†श्री दिनेश सिंह : वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय वहां पर भारत सरकार द्वारा किया जाना है । इस सम्मेलन में देशों की समस्याओं पर विचार किया जायेगा ।

राजहरा और नन्दनी खानें

†*१०१२. श्री दाजी : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राजहरा और नन्दनी खानों में खान अधिनियम के उपबन्धों के लागू न किये जाने की कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) शिकायतों की जांच की गयी और प्रबन्धकों से त्रुटियों को दूर करने को कहा गया । एक या दो को छोड़ कर सभी त्रुटियां दूर कर दी गयी हैं । बाकी त्रुटियों को दूर करने के लिये प्रबन्धक कदम उठा रहे हैं ।

†श्री दाजी : शिकायत कब मिली, इसके दूर किये जाने के बारे में सरकार को कब सूचना मिली और क्या शिकायतें दूर की गयी हैं ?

†श्री हाथी : शिकायतें विभिन्न बातों के बारे में मिलीं, उदाहरणतः अतिरिक्त समय की मजूरी का भुगतान, छुट्टी की मजूरी, पीने के पानी की सुविधायें और अल्पाहारगृह के बारे में । निस्सन्देह किसी न किसी बात की शिकायतें आ रही हैं और उन्हें दूर किया जा रहा है ।

†श्री दाजी : क्या मैं जान सकता हूं . . . .

†अध्यक्ष महोदय : वह तीनों प्रश्न एक साथ पूछ चुके हैं । अब वह और प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

†श्री दाजी : बस एक प्रश्न। क्या यह सच है कि खान अधिनियम न लागू किये जाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शिकायतें अभी तक लम्बित पड़ी हैं जिससे श्रमिकों में बड़ी बेचैनी है ? कम से कम खान अधिनियम को लागू करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : मैं समझता हूं कि अभी दो बातें ठीक होनी बाकी हैं। एक तो यह कि प्रबन्धकों ने अभी तक छुट्टी की मजूरी के रिकार्ड पूरे नहीं किये हैं और दूसरे यह कि यद्यपि उन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था की है, परन्तु यह सन्तोषजनक नहीं है।

†श्री स० मो० बनर्जी : इस मामले की जांच करने के लिये केन्द्र से कोई पदाधिकारी नियुक्त किया गया था या यह कार्य स्थानीय पदाधिकारियों पर छोड़ दिया गया था ?

†श्री हाथी : केवल पदाधिकारी ही नहीं अपितु श्रम मन्त्री स्वयं रांची गये और वहां विचार विमर्श किया। परन्तु स्थिति के बारे में मुख्य खान निरीक्षक को प्रतिवेदन देना है।

राज्य व्यापार निगम

†*१०१५. श्री पी० रा० रामकृष्णन् : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की जाने वाली कुछ वस्तुएं उनकी आयात सूची में से निकाल दीं गई हैं और पुराने आयातकों को उनका आयात करने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन सी वस्तुएं निकाली गई हैं ; और

(ग) यह परिवर्तन करने के कारण क्या हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†श्री पी० रा० रामकृष्णन् : क्या इन वस्तुओं में से किसी को हटाने का कोई प्रस्ताव था ?

†श्री मनुभाई शाह : कुछ चीजों को, जिनसे विदेशी मुद्रा अथवा लाभ की अपेक्षा अधिक प्रशासनिक भार बढ़ता है, हटाने के प्रस्ताव हैं।

बर्मा के साथ व्यापार

†*१०१६. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन बर्मा की मण्डी से भारतीय वस्तुएं बाहर निकाल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं के व्यापार में कमी हो रही है ; और

(ग) पिछली चार तिमाहियों में से प्रत्येक में बर्मा को किये गये निर्यात के क्या आंकड़े हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

पिछली चार तिमाहियों में बर्मा को भारत के निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

	(मूल्य करोड़ रुपयों में)
अवधि	बर्मा को भारत से निर्यात
अप्रैल, जून १९६१ (तीन महीने)	१.७७
जुलाई-सितम्बर, १९६१ (तीन महीने)	.९५
अक्तूबर-दिसम्बर, १९६१ (तीन महीने)	१.०२
जनवरी, १९६२ (एक महीना)	.५२

(फरवरी और मार्च, १९६२ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान**: क्या यह सच है कि बर्मा और भारत के बीच व्यापार करार समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्योंकि इससे हमारे निर्यात पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा, इस करार को पुनरीक्षित करने के लिये क्या विशिष्ट प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम बर्मा सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं । हम अपने और बर्मा के बीच निर्यात और आयात व्यापार की अधिक सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये बर्मा को एक गैर-सरकारी शिष्टमण्डल भेजना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न, श्री हेम बरुआ ।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रश्न संख्या १०२०

पुर्तगाली जेलों में बन्दी भारतीय

†*१०२०. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्तगाली सरकार ने गोआ के स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी सर्व श्री मोहन रानाडे और दत्तात्रेय देशपांडे को, जो पुर्तगाल में लम्बी सजा काट रहे हैं, रिहा करने से इंकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब जबकि गोआ समस्या समाप्त हो गई है, उनको छुड़वाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं !?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** :(क) और (ख) पुर्तगाली सरकार ने चार राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया है । उन्होंने अभी तक सर्वश्री मोहन रानाडे और दतात्रेय देशपांडे को रिहा नहीं किया है । संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार के माध्यम से भारत सरकार इन भारतीय राष्ट्रजनों को छोड़ाने का सतत प्रयास कर रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुर्तगाली जेलों में स्थिति लगभग, बर्बर, अमानविक और यातनामय है—मुझे बताया गया हैकि इन दो भारतीय नेताओं को बड़ी यातना दी जा रही है —ऐसा क्यों है कि सरकार पुर्तगाल सरकार को यह नहीं समझा सकी है कि जब उन्होंने चार भारतीय राष्ट्रजनों को छोड़ दिया है, तो वह इन दो व्यक्तियों को क्यों नहीं छोड़ती ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह वक्तव्य और भर्त्सना ठीक है परन्तु प्रश्न यह है सरकार उनको क्यों छुड़ा नहीं सकी है ? सरकार ने उत्तर दे दिया है कि उनको छुड़ाने के लिये यह भरसक प्रयत्न कर रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं.........

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने पहला प्रश्न क्यों पूछा था ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या उस सरकार ने इन दो राष्ट्रवादी नेताओं को रिहा न करने के कोई प्रबल कारण बताये हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : उन पर पुर्तगाली जेल में मुकदमा चलाया गया और कैद की सजा दी गयी। उनका कहना है कि अभी तक उनकी कैद की अवधि समाप्त नहीं हुई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

त्रिपुरा और दूसरी पंचवर्षीय योजना

†*१००१. **श्री दशरथ देव** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में दूसरी पंचवर्षीय योजना की लागत तथा व्यय कितना था ;

(ख) उसका कितना हिस्सा त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् को हस्तांतरित किया गया था ; और

(ग) योजना अवधि में त्रिपुरा प्रशासन और त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् ने किस सीमा तक लक्ष्य पूरे किये ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८.४७ करोड़ रुपये के परिव्यय की अपेक्षा पूर्वेक्षित परिव्यय ८.९२ करोड़ रुपये है।

(ख) पशु पालन, डेयरी और दुग्ध वितरण से सम्बन्धित कार्यक्रमों और सड़कों, शिक्षा स्वास्थ्य और पिछड़े वर्गों का कल्याण के अधीन कुछ योजनाओं की क्रियान्विति का काम प्रादेशिक परिषद् को सौंपा गया है।

(ग) क्यों त्रिपुरा प्रशासन की योजना के अन्तर्गत व्यय में ६ प्रतिशत की वृद्धि होगी, प्रादेशिक परिषद् की योजना के अधीन १० प्रतिशत की कमी हो सकती है।

साइकिलें

†*१००३. **श्री** विश्वनाथ **राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइकिलों के सम्बन्ध में भारत ने अब तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात बढ़ रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी हां।

प्याज का निर्यात

†*१०११. **श्री मा० ल० जाधव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्याज के निर्यात के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या प्याज का निर्यात करने वाले सभी राज्यों में उसी नीति का पालन होता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार इसके लिये सहकारी समितियों को अधिक सुविधायें देने का इरादा कर रही है ; और

(घ) क्या प्याज के निर्यात के लिये नई मण्डियों का पता लगाने का कोई प्रयास किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) पाकिस्तान को प्याज के निर्यात की खुले सामान्य लाइसेंस संख्या ४ के अधीन इजाजत है । अन्य सभी अनुमति वाले स्थानों को निर्यात के लिये सहकारी समितियों समेत सभी श्रेणी के निर्यातकों को कुल अधिकतम सीमा के आधार पर, प्रथम आवे, प्रथम पावे' आधार पर लाइसेंस दिये जाते हैं । और छूट देने पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) देश के सभी भागों से प्याज के निर्यात की समान नीति है ।

(ग) सहकारी समितियों को प्याज के निर्यात के लिये पूरी सुविधायें मिलती हैं ।

(घ) क्योंकि सरकार द्वारा दिये गये प्याज के लाभांश का सन्तोषजनक रूप से इस्तैमाल किया जा रहा है, प्याज के निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई विशेष कदम नहीं उठाये जा रहे हैं ।

सिंगरेनी कोयला खानें

†*१०१३. **श्री प० कुन्हन** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी के विलयरीज कम्पनी के उपदान नियमों में संशोधन करने के सम्बन्ध में सिंगरेनी कोयला खानों के कर्मचारी संघ और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी के बीच चला रही समझौते की बातचीत असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने असफलता सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इस मामले को न्याय निर्णयन के लिये सौंपना उचित नहीं समझा गया क्योंकि उपदान के बारे में प्रमुख मामले को कोयला उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है ।

गुआ में लोह अयस्क की खानें

†*१०१४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुआ में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की लौह अयस्क की खानों में २८ अप्रैल, १९६२ को एक खनिक मर गया था ;

(ख) क्या ३० अप्रैल, को अन्य पांच खनिक काम करते हुए बेहोश हो गये थे;

(ग) क्या १ अप्रैल, १९६२ को भी एक खनिक बेहोश हो गया था ;

(घ) क्या वहां कोई निर्वाचित रक्षा समितियां हैं ; और

(ङ) क्या इस खान सख्या १०, ओ० टी०, पहाड़ी, गुआ में कोई खनन शेड नहीं है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां । लू लगने के कारण

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १ अप्रैल को नहीं बल्कि १ मई को एक खनिक तेज बुखार के कारण बेहोश हो गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) वहां पर सात विश्राम स्थान हैं।

सिंगापुर को आयोजन के लिये प्राविधिक सहायता

†*१०१६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत आयोजन के लिये सिंगापुर को प्राविधिक सहायता देने का विचार रखता है ;

(ख) यदि हां, तो किन विशिष्ट विषयों में यह सहायता/मन्त्रणा मांगी गई है ; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाई की गई है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग). सिंगापुर सरकार की प्रार्थना पर योजना आयोग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को, जून के प्रथम सप्ताह में लगभग १८ दिन के लिये सिंगापुर की यात्रा करने और उस देश में योजना यूनिट के संगठन के बारे में सुझाव देनें के लिये, भेजने का प्रस्ताव है।

पाकिस्तान में छूटे पावन स्थान

†*१०१७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** २४ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न सख्या २४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान में छूटे पावन स्थान के सम्बन्ध में क्या अग्रेतर फैसला किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : अभी तक पावन स्थानों सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान संयुक्त समिति की दूसरी बैठक नहीं हुई है। प्रस्तावित बैठक के बारे में फरवरी, १९६२ में पाकिस्तान सरकार को एक औपचारिक आमन्त्रण भेजा गया था परन्तु अभी तक उनका उत्तर नहीं आया है।

मद्रास राज्य में ग्रामीण आवास योजना

†*१०१८. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **निर्माण, आवास और सभंरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण आवास योजना के अधीन मद्रास राज्य के लिये कोई धनराशि मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ के लिये कितना धन आवंटित किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष १९६०–६१ में ६,५८,६०० रुपये और

वर्ष १९६१–६२ में ४,४४,००० रुपये।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

लक्ष्मी नारायण जूट मिल

†*१०२१. { **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मी नारायण जूट मिल के प्रबन्धकों ने अपने सूती अनुभाग (काटन सेक्शन) में १२४ करघों में से ७५ करघे बन्द कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण वित्तीय कठिनाई बताया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने सूती अनुभाग को पुनः खोलने के लिये कोई कदम उठाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). सरकार को कोई ठीक जानकारी नहीं है, यद्यपि शक्तिचालित करघों की संख्या में कमी करके उन्हें ५० से कम करने की प्रवृत्ति है ।

गोआ में बम विस्फोट

†*१०२२. { **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १० मई, १९६२ को गोआ में वास्कोडिगामा में नगरपालिका भवन के हॉल में बम विस्फोट हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा है, कितने व्यक्ति हताहत हुए और कितनी क्षति हुई ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) १० मई, १९६२ को प्रातः ७–३० बजे वास्कोडिगामा में नगरपालिका भवन में एक विस्फोट हुआ । एक व्यक्ति मारा गया और चार अन्य घायल हुए । इमारत को भी क्षति पहुंची । जांच पड़ताल हो रही है ।

पाकिस्तान में भारतीय व्यापारी

†*१०२३. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान में भारतीय व्यापारियों के साथ अन्य राष्ट्र-जनों से भिन्न व्यवहार किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में भारतीय व्यापारियों की सम्पत्ति बेकार पड़ी है क्योंकि उनको वीसा नहीं दिया जाता ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं; अथवा उठाये जायेंगे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) हमें पता है कि भारतीय व्यापारियों को पाकिस्तानी बीसा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है परन्तु इस बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है कि उन्होंने अपने व्यापार संस्थान बन्द कर दिये हैं, अथवा वे अपने अभिकर्ताओं द्वारा व्यापार करा रहे हैं।

(ग) भारतीय व्यापारियों को हुई कठिनाइयों के सारे मामले पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ उठाये जाते हैं।

बिहार में छोटे पैमाने के उद्योग

†*१०२४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में उत्तर बिहार के अल्पविकसित क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये कोई गहन आन्दोलन आरम्भ किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक चलाई गई योजनाओं की क्या संख्या है और इसमें कितने जिले आते हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।]

विवरण

(क) जी हां—उत्तर बिहार के शाहाबाद जिले में।

(ख) बिहार राज्य सरकार द्वारा शाहाबाद और मुंगेर के जिलों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये गहन आन्दोलन के लिये निम्नलिखित सात योजनायें ली गयी हैं :

१. उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अधीन छोटे पैमाने के उद्योगों को राज्य वित्त निगमों, भारत के राज्य बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना।
२. सम पूंजी में राज्य द्वारा योगदान।
३. क्रयविक्रय आधार पर मशीनों का संभरण।
४. प्राथमिकता आधार पर कच्चे माल और उत्पादन के अन्य सामान, जैसे बिजली का संभरण।
५. औद्योगिक बस्तियों की स्थापना।
६. श्रमिकों का प्रशिक्षण।
७. अच्छी संभावना वाले उद्योगों और उपलब्ध सरकारी सहायता के बारे में प्रचार और जानकारी।

दिल्ली से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को बाहर भेजना

*१०२५. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री बाल्मीकी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को अन्यत्र भेजने का प्रश्न काफी समय से विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अब तक कौन कौन दफ्तर किन किन स्थानों को भेजे जा चुके हैं; और

(ग) और किन किन दफ्तरों के किन किन स्थानों को कब तक भेजे जाने का विचार है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०]**

(ग) कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं, परन्तु यदि समुचित स्थान प्राप्त न हो तो कार्यालयों को अन्यत्र नहीं भेजा जा सकता ।

एक्स-रे उपकरणों का निर्माण

†*१०२६. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री जंघे :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्स-रे उपकरणों के निर्माण के लिये पश्चिम बंगाल में एक लिमिटेड कम्पनी बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी बना ली गई है;

(ग) क्या इस ने उपरोक्त एक्स-रे उपकरण निर्माण परियोजना स्थापित कर ली है ; और

(घ) यदि नहीं तो यह कब तक स्थापित होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). हां जी, हां ।

(ग) जी, अभी नहीं ।

(घ) यह आशा की जाती है कि यह शीघ्र ही स्थापित किया जायेगा ।

त्रिपुरा के लिये भवन निर्माण सामग्री

†*१०२७. { **श्री दशरथ देव :**
श्री बीरेन दत्तः

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा के लिये धातु चढ़ी नालीदार लोहे की चादरें (जी० सी० आई० शीट) इस्पात, लोहा, तथा सीमेन्ट का कुल कितना कोटा था;

(ख) उस कोटे में त्रिपुरा को कितनी मात्रा का संभरण किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि इस सामान की कमी के कारण त्रिपुरा में इस समय भवन निर्माण के कार्य को नुकसान पहुंच रहा है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति सुधरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) से (घ). यह प्रश्न गृह-कार्य मंत्री से सम्बन्धित है और अगली तीथि को वह इस का उत्तर देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगों में प्रशिक्षार्थी इंजीनियरों की भरती

†*१०२८. { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं बरुग्रा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिये प्रशिक्षार्थी इंजीनियरों की भरती की कोई नवीन योजना विचाराधीन थी; और

(ख) यदि हां तो उस की रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस के कब क्रियान्वित हो जाने की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की स्थानीय उत्पादकता परिषदों के परामर्श से युवक इंजीनियरों को भरती करने औद्योगिक इंजीनियरों में उन को प्रशिक्षण देने और फिर उन्हें स्थानीय उत्पादकता परिषदों में औद्योगिक इंजीनियरों को पदालों में रखने की योजना है। ये इंजीनियर स्थानीय उत्पादकता परिषदों के सदस्यों की विभिन्न रूप से सेवा करेंगे।

(ग) योजना को क्रियान्वित करने के लिये कदम उठाये जा चुके हैं। कुछ स्थानीय उत्पादकता परिषदों ने औद्योगिक इंजीनियर नियुक्त कर लिये हैं और कुछ राज्यों ने भी इस कार्य के लिये वित्तीय सहायता मंजूर की है ?

नेफा में कुटीर उद्योगों का विकास

†*१०२९. **श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में कुटीर उद्योगों के विकास के विस्तृत कार्यक्रम की रूप रेखा बना ली गई है ;

(ख) यदि हां तो कार्यक्रम की रूप रेखा क्या है; और

(ग) कार्यक्रम की अनुमानित लागत क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री डी० एरिंग)** : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य टोकरियां बनाना और लेकर्डी पर पच्चीकारी करना जैसे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, उपयुक्त नये शिल्प, जैसे लोहारी, बढ़ईगीरी, दर्जीगीरी लागू करना, शिल्पियों को अच्छे तरीके बताना, औजारों और कच्चे माल का संभरण करना; और तैयार किये गये माल के विपणन की व्यवस्था करना है।

(ग) १९५३-६२ की अवधि में ३०६ लाख रुपये का व्यय हुआ। चालू वर्ष के आयव्ययक में ५.९ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

कलकत्ते में परिचालित पाकिस्तान के नक्शे

†*१०३०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन पर्यटक नक्शों को देखा है जिन में भारत के कुछ इलाकों को पाकिस्तान का अंग बताया गया है तथा जो कुछ दिन पहले कलकत्ता में पाकिस्तानियों उच्चायोग द्वारा परिचालित किया गया बताया जाता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां। पर्यटक नक्शे में जूनागढ़ व मानवदर को इस प्रकार दिखाया गया है कि वे पाकिस्तान के भाग लगते हैं और काश्मीर विवादग्रस्त क्षेत्र बताया गया है।

(ख) सरकार ने वर्ष १९६१ में कराची में पाकिस्तान सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के पर्यटक निदेशक द्वारा प्रकाशित किये गये 'पाकिस्तान पर्यटक नक्शा' की सभी कापियां भारत सरकार को जब्त घोषित करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की है और राज्य सरकारों से अपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, १९६१ की धारा ४ के अधीन कार्यवाही करने को कहा गया है।

भारतीय कार्मिक संघियों का चीन का दौरा

†*१०३१. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन में मई दिवस के अवसर पर निमंत्रित भारतीय कार्मिक संघियों को पेकिंग जाने की अनुमति न देने के सम्बन्ध में चीन ने भारत सरकार को विरोध-पत्र भेजा है ?

(ख) यदि हां, तो विरोध पत्र में क्या कहा गया है; और

(ग) भारतीय कार्मिक संघियों को अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां। चीन सरकार ने अपने ८ मई, १९६२ के नोट में, जो उन्होंने पेकिंग में हमारे राजदूतावास को दिया, स वर्ष मई दिवस समारोह पर पीकिंग जाने के लिये भारतीय व्यापार संघ वालों को सरकार द्वारा अनुमति न दिये जाने का विरोध किया है।

(ख) चीनी नोट में मुख्यतः उन के निमंत्रण के अस्वीकरण के बारे में शिकायत है।

(ग) चीनी दूतावास को अपने उत्तर में हम ने कहा था "कि चीनी सेनाओं द्वारा भारतीय प्रदेश पर कब्जा किये जाने और बार बार चीन द्वारा भारत की प्रादेशिक अखंडता का उल्लंघन किये जाने के कारण भारत से किसी भी शिष्टमंडल को मई दिवस समारोह में भाग लेने के लिये चीन जाने की कोई सुविधायें देना संभव नहीं है।"

इस बारे में पत्र-व्यवहार की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११]**

तिब्बत में भारतीय व्यापारी

†*१०३२. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री वी० श्रं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि तिब्बत में चीनी पदाधिकारी स्थानीय तिब्बती व्यापारियों को तिब्बत में भारतीय व्यापारियों के बिना बिके माल को न खरीदने के लिये उकसा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : जी, हां। भारतीय व्यापारियों से व्यापार करने के लिये तिब्बतियों को रोकने के लिये कई उपाय किये जा रहे हैं।

हमारी जानकारी के अनुसार, तिब्बत में चीनी अधिकारियों ने भारतीय वस्तुओं के साथ वस्तु-विनिमय न करने के लिये तिब्बतियों को चेतावनी दी है। अब कुछ समय से वे भारत में भारतीय व्यापारियों को ऊन और अन्य वस्तुओं का निर्यात करने या वस्तु विनिमय न करने के लिये उकसा रहे हैं। अतः भारतीय व्यापारियों के लिये तिब्बत में अपने इकट्ठा स्टाक को बेचने की अधिक संभावना नहीं है।

बाद में व्यापार की संभावनायें और भी बिगड़ी हैं क्योंकि चीनियों द्वारा नये टैक्स लगाये गये हैं और नियंत्रण किया गया है और भारतीय मुद्रा में सभी सौदे पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया गया है।

पाकिस्तान द्वारा पत्रकारों की अन्तर्राष्ट्रीय विशेषाधिकार संहिता का उल्लंघन

†*१०३३. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन का एक प्रतिनिधिमंडल हाल में ही उनसे मिला था और उसने उन्हें पाकिस्तान द्वारा पत्रकारों की अन्तर्राष्ट्रीय विशेषधिकार संहिता के उल्लंघन से उत्पन्न कठिनाइयां बताई थीं;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री महोदय को क्या मुख्य कठिनाइयां बताई थीं; और

(ग) इस सम्बध में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अश्लील सिनेमा पोस्टरों पर प्रतिबन्ध

*१०३४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अश्लील सिनेमा पोस्टरों पर प्रतिबन्ध लगाने के जिस सुझाव पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही थी, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी) : बम्बई में तैयार की गई फ़िल्मों के पोस्टरों की, छपने से पहले जांच करने के लिए, भारत सरकार ने फ़िल्म निर्माताओं की सलाह से, अनौपचारिक रूप से, एक समिति बनाई है जिसमें प्रमुख फ़िल्म निर्माता शामिल हैं और जिसके चेयरमैन फ़िल्म डिवीज़न के कंट्रोलर हैं।

ब्रिटेन आप्रव्रजन अधिनियम

†*१०३५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की संसद् द्वारा हाल के ही पारित ब्रिटेन आप्रव्रजन अधिनियम तथा यदि उसके अधीन कोई नियम बनाये गये हों तो उन नियमों पर सरकार ने विचार कर लिया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इनका भारतीय आप्रवासियों पर किस प्रकार सीधा प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या ब्रिटिश सरकार ने विधानों का ध्वनितार्थ स्पष्ट करने के लिये कोई दस्तावेज प्रकाशित किया है तथा उनका राष्ट्रमंडलीय देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो भारत के सम्बन्ध में उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) यह अधिनियम राष्ट्रमण्डलीय देशों के उन नागरिकों के आने पर नियंत्रण के बारे में, जो रोजगार के लिये ब्रिटेन में आते हैं, बनाया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, जो व्यक्ति रोजगार के लिये जाना चाहते हैं, उन्हें ब्रिटिश श्रम मंत्रालय से रोजगार वाउचर लेना पड़ेगा। विद्यार्थी, अधिकृत व्यापारी, पर्यटक आदि बिना किसी कठिनाई के ब्रिटेन जा सकेंगे। अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये प्रतिबन्ध सभी राष्ट्रमण्डलीय देशों के आव्रजकों पर लागू हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्रिटेन की सरकार द्वारा प्रकाशित अधिनियम में अथवा व्याख्यात्मक ज्ञापन में विशेषतः भारत के बारे में कोई विशेष बात नहीं है। यह अधिनियम सभी राष्ट्रमंडलीय देशों पर समान रूप से लागू होता है और इसकी महत्वपूर्ण बात प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बता दी गयी है।

पुराने किले, नई दिल्ली के निकट भूदृश्य में सुधार

†*१०३६. **श्री वी० चं० शर्मा** :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री जेना :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के पुराने किले के निकट भूदृश्य में सुधार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी रकम खर्च होगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) जी, नहीं। परन्तु दो प्रस्ताव, एक पुराना किला के चारों ओर ढलान के सुधार के लिये और दूसरा पुराना किला के चारों ओर बंध के आगे की भूमि को सुन्दर बनाने के लिये, भूदृश्य समिति ने ३ मई, १९६२ की अपनी बैठक में स्वीकार किये हैं।

(ख) विस्तृत योजना अभी बनाई जानी है और सरकार को पेश की जानी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

ईरान के उद्योगीकरण के लिये भारत से प्रविधिक सहायता

†*१०३७. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने **की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने अपने औद्योगिक विकास कार्यक्रम के लिये भारत से प्रविधिक सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो मांगी गयी सहायता का व्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पश्चिम बंगाल में काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध अनुसूचित जाति के लोग

†१८८९. **श्री कार्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) पश्चिम बंगाल के विभिन्न काम दिलाउ दफ्तरों में १९६१–६२ में **अनु-**सूचित जाति के कितने लोग (स्नातक तथा गैर-स्नातक) पंजीबद्ध किये गये थे; और

(ख) उपरोक्त अवधि में दोनों श्रेणियों के ऐसे कितने लोगों को रोजगार दिलाया गया था ?

†**श्रम ्र रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) २१,९६०

(ख) २,२५७

शिलग अर्हता की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

चुनाव सम्बन्धी प्रसारण

१८९०. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से गत आम चुनावों में कुछ गलत चुनाव परिणाम प्रसारित किये गये थे; और

(ख) क्या यह सच है कि चुनाव परिणाम निर्वाचन आयोग द्वारा की गई अधिकृत घोषणाओं के आधार पर नहीं प्रसारित किये गये थे, अपितु एक समाचार एजेंसी द्वारा दिये गये समाचारों पर आधारित थे ?

सूचना सौर प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) चार दिन की थोड़ी सी अवधि में ३,४०० से अधिक परिणामों की घोषणा करने में दो या तीन ग़लतियां हुईं।

(ख) आकाशवाणी ने सभी परिणाम निर्वाचन आयोग द्वारा की गई अधिकृत घोषणाओं के आधार पर, जो रर्टनिंग अफ़सरों के तारों द्वारा उपलब्ध होते थे, प्रसारित नहीं किये। समय बचाने के लिए, कुछ परिणामों के विषय में यह अपने संवाददाताओं और एक समाचार एजेंसी द्वारा भेजे गये समाचारों के ऊपर भी निर्भर रही। जो चन्द ग़लतियां हुईं वे गलत सुनने या गलत टाइप हो

---

†मूल अंग्रेजी में

जाने जैसी इन्सानी भूलों के कारण हुई । घोषित परिणामों की पूरी तरह जांच करने के लिए विस्तृत व्यवस्था थी । जिन गलतियों का पता लगा उन्हें या तो उसी समाचार बुलेटिन में ठीक कर दिया गया या अगली उपलब्ध बुलेटिन में ।

कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

१८६१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के उन कार्यालयों में जो हिन्दीभाषी राज्यों में स्थित हैं, कितने ऐसे कार्यालय हैं जिनमें हिन्दी में नोट लिखे जाने लगे हैं;

(ख) उनमें से कितने ऐसे कार्यालय हैं जिनमें अभी हिन्दी में नोट लिखना आरम्भ नहीं हुआ है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) २३ ।

(ख) २० ।

(ग) हिन्दी प्रशिक्षित स्टाफ की कमी ।

हिन्दी टाइपराइटरों के की-बोर्ड

१८६२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी टाइपराइटरों के स्टेंडर्ड की-बोर्ड के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या रूप है और वे कब से बनने प्रारम्भ हो जायेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) सभा के पुस्तकालय में की-बोर्ड की प्रतिलिपियां उपलब्ध हैं । इस की-बोर्ड को लेकर टाइपराइटरों का निर्माण शीघ्र आरम्भ हो जायेगा ।

कोचीन बन्दरगाह में जहाजी कुलियों की हड़ताल

†१८६३. { **श्री वारियर** :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) क्या मार्च १९६२ के अन्तिम सप्ताह में कोचीन बन्दरगाह में जहाजी कुलियों ने हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस का कारण क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जहाजी कुलियों ने हड़ताल नहीं की थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तामिलनाड में छोटे पैमाने के उद्योग

†१८९४. **श्री नम्बियार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों विशेषतया तमिलनाड में स्थित, को कच्चे माल का नियमित संभरण करने के लिये तुरन्त क़दम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को कच्चा माल जैसे तार के अपर्याप्त तथा अनियमित संभरण के बारे में गंभीर शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण सम्बद्ध है ।

विवरण

(क) तामिलनाड समेत समस्त भारत में छोटे पैमाने क उद्योगों को कच्चा माल का नियमित संभरण करने के लिये सरकार ने सभी संभव क़दम उठाये हैं ।

(ख) और (ग). कभी कभी कुछ प्रकार के कच्चे माल के अपर्याप्त संभरण के बारे में शिकायतें मिली हैं । गत कुछ वर्षों में छोटे पैमाने के उद्योगों के शीघ्र विकास के कारण उपलब्ध कच्चे माल से मांग बहुत बढ़ गई । देशी कच्चे माल जैसे तार, चादरें आदि के उपलब्ध न होने के कारण और आपात की मदों के लिये विदेशी मुद्रा की कमी के कारण मांग और संभरण का अन्तर पूरा नहीं किया जा सका ।

नियंत्रित वस्तुयें जैसे लोहा तथा इस्पात और अलौह धातुओं का इकट्ठा आवंटन राज्य सरकारों के उद्योग निदेशक को कर दिया जाता है और इस के बाद राज्य के एक एक यूनिटों को इस के ठीक वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । भारत सरकार एक एक यूनिट को आवंटन नहीं करती है और नियंत्रित वस्तुओं के बारे में प्राप्त शिकायतें उचित कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं ।

सरकारी भवनों में लोहे की चादरों से बने पाइपों का प्रयोग

१८९५. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नई दिल्ली की सब सरकारी इमारतों में और विशेषतया सार्वजनिक शौचालयों में जो पाइप लगाये जाते हैं उस में आधा पाइप जी० सी० का न लगा कर केवल चादर का लगाया जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने इस की जांच करवाई है कि इस से कितना नुक्सान होता है ; और

(ग) शौचालय का नीचे का फर्श तोड़ कर उस में दूसरी बार पाइप फिटिंग करने में कितना खर्च पड़ेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) फ्लश की टंकियों और पानी वाले मलाधार (क्लॉजैट) को जोड़ने वाले फ्लश पाइप अंशतः जी० आई० पाइप और अंशतः चादर के पाइप से बने होते हैं । सरकारी क्वार्टरों में शौचालयों में और सार्वजनिक

---

† मूल अंग्रेजी में

शौचालयों में जी० आई० पाइप के स्थान पर चादर का पाइप नहीं लगाया जा रहा। दोनों प्रकार के पाइप का प्रयोग स्वीकृत विशिष्टियों (स्पैसिफिकेशन्स) के अनुसार किया गया है।

(ख) जांच की कोई आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि इस कारण से कोई नुकसान नहीं हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चाय संस्था[1]

†१८९६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सर आई० एफ० मौलिस द्वारा भारतीय चाय संस्था की वार्षिक आम बैठक में कही गई उस बात की जानकारी है कि १५,००० मन का उत्पादन करने वाले एक बाग के प्रबन्धकों को अन्य कागज़ी कार्यवाही के अतिरिक्त वर्ष में लगभग १४,००० बार उत्पादन शुल्क पत्रों पर हस्ताक्षर करने होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया को आसान बनाव के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिस से अधिक समय चाय के उत्पादन में लग सके?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) बागान जांच आयोग ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि विभिन्न अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के लेखे प्रस्तुत करने के कारण चाय बागानों को बहुत रजिस्टर और रिकार्ड बनाने पड़ते हैं। सरकार ने सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार कर लिया है कि दोहरा काम कराना अनुचित है और चाय बोर्ड से अनुरोध किया है कि जहां तक संभव हो वहां तक फार्मों तथा लेखों को मान्य बनाने की जांच करे। जांच के परिणामस्वरूप श्रम और कारखाना नियमों के अधीन फार्म और लेखों तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के अधीन भी फार्म और लेखों को मान्य तथा साधारण बना दिया गया है।

त्रिपुरा में जूट का मूल्य

†१८९७. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष त्रिपुरा में जूट के औसत मूल्य क्या हैं;

(ख) जूट के इन मूल्यों से पहले वर्ष के मूल्यों में कितना अन्तर है; और

(ग) मूल्यों को ऊंचा रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). लगातार दो फसलों के खराब होने के कारण रेशों की बहुत कमी होने से १९६०-६१ की मौसम में कच्चे जूट के मूल्य बहुत बढ़ गये थे। मूल्य असामान्य होने के कारण उन की तुलना नहीं की जा सकती। त्रिपुरा में १९६१-६२ में आसाम बारम के मूल्य २० रु० से २९ रु० तक थे जबकि कलकत्ता में क्रमशः ३० रुपये से ३९ रुपये तक थे। बफर स्टाक एसोसियेशन द्वारा क्रय के द्वारा मूल्यों को रोकने के विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indian Tea Association.

अभ्रक निर्यात शुल्क दर

†१८९८. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अभ्रक खान मजदूर कल्याण निधि को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिये अभ्रक निर्यात शुल्क की दरें बढ़ाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) क्योंकि अभ्रक खान मजदूर कल्याण निधि के पास लगभग २.० करोड़ रुपये की निधि है ।

तिहाड़ ग्राम (दिल्ली) का पुनर्निर्माण

१८९९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २४ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के विस्थापित व्यक्तियों की एक बस्ती तिहाड़ ग्राम के पुनर्निर्माण के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): १३ जुलाई, १९६१ को दिल्ली नगर निगम ने तिहाड़ ग्राम के पुनर्निर्माण के लिये लगभग २७·४४ लाख रुपये की लागत की योजना मंजूर की थी । अपेक्षित योजना के अनुसार ६२·३३ एकड़ भूमि का विकास होना था और विकसित खंडों पर ६७८ परिवारों को बसाने की व्यवस्था की गयी थी। योजना के अनुमोदित होने के उपरान्त, नगर-निगम ने क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया और योजना के अन्तर्गत भूमि के हस्तान्तरण तथा अर्जन के बारे में बातचीत आरम्भ कर दी । १९६२ के आरम्भ तक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो गया और यह ज्ञात हुआ कि मौलिक अभिन्यास (ले आऊट) योजना जोकि नगर योजना सघटन ने तैयार की थी, गत काल की होने के कारण वर्तमान वास्तविक स्थितियों से मेल नहीं खाती । इसलिये अब पुनरीक्षित अभिन्यास (ले आऊट) योजना तैयार की जा चुकी है और टेंडर बुलाने के लिये विस्तृत तखमीने तैयार किये जा रहे हैं । जून, १९६२ में कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है ।

पुनर्वास विभाग ने विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये योजना पर हुए अनुपातिक खर्च देने की अनुमति दे दी है ।

बिहार के लिये आवास योजनायें

†१९००. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में मध्यम तथा अल्प आय आवास योजनाओं के लिए बिहार राज्य को वर्ष वार कितना ऋण स्वीकार किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक कितने मकान बनाये गये ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सुविधा को चालू रखने का है ; और

(घ) यदि हां, तो किस अवधि के लिये तथा बिहार के लिये अब तक कितनी राशि अलग रखी गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सम्बद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ग) जी हां ।

(घ) तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में योजनायें चालू की जा रही हैं । अल्प आय वर्ग आवास योजना के अधीन तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए बिहार सरकार ने २२५ लाख रुपये की व्यवस्था की है । मध्यम आय की आवास योजना के अधीन आवंटन बताना संभव नहीं है क्योंकि यह आवंटन प्रत्येक वर्ष राज्यों की मांगों के, उनकी प्रगति के तथा जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध किए गए धन के आधार पर किए जाते हैं ।

भारत-नेपाल व्यापार

†**१९०१. डा० लक्ष्मिमल्ल सिंघवी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल के कुछ वर्षों में भारत और नेपाल के बीच व्यापार पर कुछ बुरा असर पड़ा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी नहीं ।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान

†**१९०२. श्री प० कुन्हन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(घ) केरल राज्य में १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए कितने मकानों का निर्माण किया गया था ;

(ख) द्वितीय योजना में आवास योजना के लिए कुल कितना आवंटन किया गया था ;

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत कौन से उद्योग आते हैं ; और

(घ) इससे कितने कर्मचारियों को लाभ हुआ है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन केरल राज्य में १९६१–६२ (सितम्बर, १९६१ तक) १६ मकान और १९६०–६१ में १५० मकान बने थे । सितम्बर १९६१ के बाद के निर्माण के संबंध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

(ख) ५१ लाख रुपये ।

(ग) और (घ). पात्र औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन केरल सरकार द्वारा बनाये गये मकानों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने निम्न संस्थाओं

---

†मूल अंग्रेज़ी में

को ४४० और मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकार की है :—

	संस्था का नाम	स्वीकृत मकान संख्या	स्वीकृत लागत	निर्मित मकानों की संख्या
			(लाखों में रुपये)	
१	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, अलवाई . . .	१००	३.८५	१००
२	कन्नानूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कन्नानूर . . .	५०	१.९३	५०
३	त्रावनकोर-कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड, अलवाई	४०	१.५४ (१६ सितम्बर १९६१ तक)	
४	ग्वालियर रेयन मैनुफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	२५०	८.२५	—
		४४०	१५.५७	१९६

रबड़ के मूल्य

†१९०३. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ के उत्पादकों से रबड़ के मूल्य बढ़ाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि रबड़ के मूल्य निर्धारित करते समय कर्मचारियों की मजूरी तथा उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि और केरल सरकार द्वारा लगाया गया बागान-कर आदि बातों को ध्यान में नहीं रखा गया ;

(ग) क्या यह सच है कि रबड़ उद्योग के लिये गठित मजूरी बोर्ड ने रबड़ बागान उद्योग में लगे कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन देने की सिफारिश के साथ रबड़ के मूल्य बढ़ाने की सिफारिश की थी ;

(घ) क्या मूल्य बढ़ाने सम्बन्धी सिफारिश सरकार ने मान ली है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) एक बागान संगठन से ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) सरकार ने रबड़ के जो नये मूल्य निर्धारित किये उनमें मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के फलस्वरूप बागान मालिकों के बढ़े हुए व्यय का आयात भी शामिल किया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

चन्दन का तेल

†१९०४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के बाजार में भारत के चन्दन के तेल की स्थिति बेजोड़ होने के बावजूद आस्ट्रेलिया चन्दन के सस्ते तेल से, जो खालिस नहीं होता, भारत के चन्दन के तेल के साथ प्रतियोगिता कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). यह सच है कि आस्ट्रेलिया चन्दन के तेल के मामले में विश्व के बाजार में भारत के साथ प्रतियोगिता कर रहा है किन्तु आस्ट्रेलिया का तेल घटिया होता है । आस्ट्रेलिया द्वारा चन्दन के तेल का जो निर्यात किया जाता है वह भारत के निर्यात की अपेक्षा, जो बनाये रखा गया है, अब भी कम है । इसलिये फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

प्रति व्यक्ति आय में कमी

†१९०५. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत १० वर्षों में कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति आय घट गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में यह स्थिति पाई गई है ; और

(ग) सरकार इस विचित्र स्थिति को रोकने के लिये क्या उपाय करने जा रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) गत १० वर्षों में किसी राज्य की कुल या प्रति व्यक्ति आय घटी हो ऐसे प्रमाण नहीं मिलते ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रत्येक राज्य की आय में निरन्तर वृद्धि हो और उसके निवासियों का निर्वाह-स्तर उन्नत हो इसके लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्य किये जा रहे हैं ।

साड़ियों का निर्यात

१९०६. **श्री बाल्मीकी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ७ वर्ष में साड़ियों का निर्यात किस किस देश को हुआ ;

(ख) सबसे अधिक निर्यात किस देश को हुआ ; और

(ग) इसको विदेशों में जनप्रिय बनाने के लिये सरकार की ओर से क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) अदन, बर्मा, लंका, मलाया और सिंगापुर, पाकिस्तान, ईरान की खाड़ी के बन्दरगाह, सऊदी अरब, पूर्वी अफ्रीका (ब्रिटिश), मारीशस, सीमालोलैण्ड, सुडान, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, पश्चिमी अफ्रीका-इथोपिया—इन देशों को पिछले ७ वर्षों में साड़ियों का निर्यात किया गया है ।

(ख) लंका ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) विदेशों में साड़ियों को लोकप्रिय करने के लिये नीचे लिखे कदम उठाये गये हैं :—

(१) विभिन्न विदेशी बाजारों में फैशन शो, प्रदर्शन और नुमायशें की गई हैं ।

(२) निर्यात संवर्द्धन परिषद् के विदेश स्थित कार्यालयों अथवा भारतीय दूतावासों में स्थित प्रदर्शन-कक्षों में प्रदर्शन किए गए हैं ।

कर्मचारियों के लिये पे-स्लिप

†१९०७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ में कर्मचारियों को पे-स्लिप देने का उपबन्ध किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कई मामलों में मालिक कर्मचारियों को पे-स्लिप नहीं देते ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे संविहित उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वय को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का इरादा है ताकि सभी कर्मचारियों को अपनी कुल मजूरी और उसमें से काट ली गई राशि का पूरा ब्यौरा प्राप्त हो सके ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां । न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत बनाये गये नियम २६(२) के अनुसार मालिकों द्वारा कर्मचारियों को मजूरी की पुस्तक या स्लिप दी जानी चाहिये ।

(ख) मालिकों द्वारा कुछ मामलों में मजूरी की स्लिप नहीं दी जाती ।

(ग) जो मालिक मजूरी स्लिप नहीं देते उन पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा २२-क के अन्तर्गत अभियोग चलाया जाता है । इस धारा के अन्तर्गत ऐसे अपराधों के लिये ५०० रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है ।

राजहरा और नन्दनी खानें

†१९०८. **श्री दाजी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजहरा और नन्दनी खानों के कितने विवादों में १ जनवरी १९६० से १ अप्रैल, १९६२ तक समझौता कराने का प्रयत्न किया गया ;

(ख) मुख्य विवाद क्या थे ;

(ग) समझौते का क्या परिणाम हुआ ;

(घ) क्या संराधक के समक्ष इस समय कोई विवाद लम्बित है ; और

(ङ) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) ६४ ।

(ख) मुख्य विवाद ये हैं—नाममात्र हाजिरी रजिस्टर में दर्ज तथा काम के आधार पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों को नियमित पदालियों (कैडर) में खपाना ; उत्पादन बोनस और खनन भत्ते का भुगतान ; जल संभरण, आवास और परिवहन की व्यवस्था, मजूरी, पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन-वृद्धि न देना और छंटनी का मुआवज़ा न देना ; कुछ मजदूरों की मजूरी में कटौती ; और सवेतन अवकाश आदि ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ६४ में से ५६ विवाद या तो आपस में तय कर लिये गये या समझौते की कार्यवाही में सम्बन्धित पक्षों के उपस्थित न होने से समाप्त कर दिये गये। ८ मामलों में समझौता न होने की सूचना दी गयी है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) (१) नन्दनी खान में काम के आधार पर मजूरी पाने वाले कर्मचारियों को खनन भत्ता देना बन्द कर दिया गया।

(२) लाभ में भागीदारी बोनस।

रत्नागिरी जिले में लौह अयस्क

†१९०९. **श्री नाथ पाई :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में रत्नागिरी जिले की रेड्डी खान से कुल कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** गत दो वर्षों में रत्नागिरी जिले की रेड्डी खान से कुल ६.९६ लाख टन (१९६० में ३.६८ लाख टन और १९६१ में ३.२८ लाख टन) लौह अयस्क का निर्यात किया गया।

काठमांडू-ढाका विमान सम्पर्क

†१९१०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और नेपाल काठमान्डू से ढाका विमान सम्पर्क स्थापित करने के लिये बातचीत कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यदि यह सम्पर्क स्थापित हो गया तो उसका भारतीय उड्डयन उद्योग पर संभवतः क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां। हमारी जानकारी के अनुसार कुछ समय पूर्व इस प्रकार का विमान सम्पर्क स्थापित करने के बारे में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच कुछ बातचीत हुई थी।

(ख) यदि यह प्रस्तावित सम्पर्क स्थापित हो गया तो उससे एयर इंडिया इन्टरनेशनल और किसी हद तक इंडियन एयरलाइन्स का पर्यटक परिवहन पर प्रभाव पड़ सकता है।

कोलम्बो प्लान में भूटान की सदस्यता

†१९११. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने भूटान को कोलम्बो प्लान का सदस्य बनाने के लिये प्लान के सभी सदस्यों से समर्थन की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां।

(ख) कोलम्बो प्लान के १९ पूर्ण सदस्यों में से सात प्रस्ताव का समर्थन करने पर सहमत हो गये हैं। शेष ग्यारह देशों की प्रतिक्रिया अभी ज्ञात नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

निःशस्त्रीकरण सम्मेलन

†१९१२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १७ राष्ट्रों के निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि ने हाल में शस्त्रों की जांच के किसी नये सूत्र का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस सुझाव के बारे में सम्मेलन की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) से (ग). जांच के बारे में भारत द्वारा अब तक प्रवर्तित एक मात्र प्रस्ताव आणविक परीक्षणों के प्रश्न के बारे में १६ अप्रैल, १९६२ को निःशस्त्रीकरण समिति के ८ नये सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में निहित है। इस ज्ञापन की एक प्रति, जिसे आणविक शस्त्रों वाले देशों ने चर्चा के लिये आधार के रूप में स्वीकार कर लिया है, सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३]**

१८ देशों की निःशस्त्रीकरण समिति में ३ मई, १९६२ को भाषण देते हुए भारत के प्रतिनिधि ने पूर्ण और सामान्य निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी सन्धि के पालन को सुनिश्चित करने के लिये दोनों शक्तिशाली गुटों के बीच मतभेदों को दूर करने हेतु आवश्यक नियंत्रण के बारे में एक अनौपचारिक सुझाव दिया। दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि सन्धि करने वाले दोनों देशों में से प्रत्येक देश अपनी सेना व शस्त्रों को उतनी मात्रा में कम कर रहा है जिसके लिये वह सहमत हो गया था इस बात की जांच करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण संगठन होना चाहिये । पश्चिमी शक्तियों का मत है कि यह संगठन इस बात की जांच भी करे कि किसी भी समय ये देश अपनी सेना और अस्त्रों को निर्धारित मात्रा से अधिक न बढ़ायें। सोवियत दल ने इसका विरोध किया है क्योंकि उसकी राय में यह प्रणाली निःशस्त्रीकरण तो नहीं वरन् शस्त्रास्त्रों की अनावश्यक जांच है। भारतीय प्रतिनिधि का सुझाव यह था कि सन्धि में किसी हद तक यह उपबन्ध रहे कि जब निःशस्त्रीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित हो जाये तो सम्बधित देश अपने विभिन्न अस्त्र और सेना की जांच कराने के अतिरिक्त नियंत्रण संगठन को अपने देशों के अधिक बड़े क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिये कहें । यह औपचारिक प्रस्ताव नहीं बल्कि एक अनौपचारिक सुझाव था। अन्य देशों ने इस सुझाव में दिलचस्पी ली और संभव है कि बातचीत के दौरान सुझाव के बारे में और कोई कार्यवाही की जाये ।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्

†१९१३. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अन्तर्गत जो आर्थिक विभाग गठित किया गया है उसे किस प्रकार का अनुसन्धान कार्य सौंपा गया है ; और

(ख) अब तक किये गये अनुसन्धान के प्राप्त परिणामों से परिषद् के लक्ष्य प्राप्त करने में क्या सहायता मिली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने आर्थिक विभाग का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया है :—

(१) औद्योगिक उत्पादकता का अनुमान लगाना और देशनांक तैयार करना ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और उपयोगिता का मूल्यांकन करना ; और

(३) औद्योगिक उत्पादकता के बारे में आंकड़े इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण।

इसके अतिरिक्त विभाग को देश के उत्पादकता के क्षेत्र में अनुसन्धान को प्रोत्साहन व प्रेरणा देने का कार्य भी सौंपा गया है ।

(ख) परिषद् द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं उनका अनुसन्धान एक भाग है और परिणामों के बारे में कुछ कहा जा सके इसके लिये अभी काफी कार्य किया जाना है ।

कच्छ में अणु शक्ति के उत्पादन के लिये कच्चा माल

†१९१४. **श्री याज्ञिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग द्वारा भेजे गये दल गत दो वर्षों में कच्छ में अणु शक्ति उत्पादन के लिये कच्चे माल की खोज कर रहे हैं ;

(ख) क्या उनसे प्राप्त प्रतिवेदनों में से किसी में उन क्षेत्रों में जस्ता तथा सीसा और यूरेनियम के निक्षेप होने का उल्लेख है ; और

(ग) यदि वहां कोई निक्षेप नहीं पाये गये हैं तो ये दल वहां क्यों कार्य कर रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अणु शक्ति विभाग के आणविक खनिज विभाग के एक सर्वेक्षण दल ने गुजरात राज्य के काठियावाड़ और कच्छ क्षेत्र में आणविक खनिजों के निक्षेपों का पता लगाने के लिये १९६०–६१ और १९६१–६२ में रेडियोमीट्रिक सर्वेक्षण किये थे ।

(ख) अब तक किये गये सर्वेक्षणों के फलस्वरूप यूरेनियम, जस्ता या सीसे के कोई निक्षेप नहीं मिले हैं । किन्तु जिन क्षेत्रों में सर्वेक्षण किये गये वहां के कुछ भागों के पत्थरों (सैन्डस्टोन) में मोनाज़ाइट मिला है । जस्ता और सीसे के निक्षेपों का पता लगाने के लिये नियमित सर्वेक्षण करने का दायित्व भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण पर है ।

(ग) आणविक खनिजों का सर्वेक्षण एक निरन्तर प्रक्रिया है जो उन क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें यूरेनियम के निक्षेप होने की संभावना होती है । यह काम तभी बन्द किया जाता है जब कि किसी क्षेत्र में आणविक खनिज होने या न होने की संभावना अन्तिम रूप से सिद्ध हो जाती है ।

मर्मागाओ पत्तन

†१९१५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मर्मागाओ पत्तन के विकास के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) मर्मागाओ बन्दरगाह के क्रमबद्ध विकास के लिये एक अस्थायी योजना बनाई गयी है । पहली और दूसरी अवस्था में जहाज़ खड़े करने की अतिरिक्त सुविधायें देने का कार्यक्रम है जबकि तीसरी अवस्था में आगे सामान्य विकास किया जायेगा । भारत सरकार इस योजना की जांच कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोआ में खनिजों का सर्वेक्षण

†१९१६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में खनिजों के सर्वेक्षण में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण इस कार्य के लिये एक अधिकारी को गोआ भेजने का इरादा रखता है। किन्तु अधिकारी के गोआ जाने की तिथि अभी निश्चित नहीं है।

पश्चिम बंगाल में अम्बर चरखा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

†१९१७. **श्री कार्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजनावधि में पश्चिम बंगाल में अम्बर चर्खे में कितने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गये ;

(ख) कुल कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया ; और

(ग) उक्त अवधि में कितनी राशि खर्च की गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). दूसरी योजनावधि में पश्चिम बंगाल में अम्बर चर्खे के प्रशिक्षण के कितने पाठ्यक्रम आयोजित किये गये यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु उक्त अवधि में १९७४० कातने वालों, ९४५ जुलाहों, ९२९ शिक्षकों और ७४ बढ़इयों को प्रशिक्षण दिया गया।

(ग) ३४.१० लाख रुपये ।

हैदराबाद में सिलाई की मशीनों का कारखाना

†१९१८. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्ज जय इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता को सनतनगर, हैदराबाद में सिलाई की मशीनों का कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने का निर्माण कब आरंभ होगा ; और

(ग) क्या औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कोई ऋण दिया जा रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) कारखाने का निर्माण आरंभ कर दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

आंध्र प्रदेश के लिये तकुओं का आवंटन

†१९१९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में आंध्र प्रदेश के लिये कुल कितने तकुए (सूती कपड़ा) आवंटित किये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकार ने कितने लाइसेंसों की तथा किन किन लोगों की सिफारिश की है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कायवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) २२५,००० तकुए ।

(ख) विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४**] ।

(ग) लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं।

विदेशों में भारतीय राजनयविज्ञों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध

†**१६२०. श्री हरिविष्णु कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन देशों की सरकारें उन देशों को भेजे गये मान्यता प्राप्त हमारे राजनयिक मिशनों के लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाती हैं ;

(ख) किस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार ऐसे मामलों में पारस्परिकता के आधार पर प्रतिबन्ध लगाती है;

(घ) यदि हां, तो वे देश कौन से हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस के कारण क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) चीन और पाकिस्तान ।

रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों के कुछ सामान्य नियम हैं जो सब राजनयिक मिशनों पर लागू होते हैं और केवल खास तौर पर भारतीय मिशनों पर ही नहीं है ।

(ख) पेकिंग में विदेशी मिशनों पर जिन में भारतीय राजदूतावास शामिल हैं, बहुत से प्रतिबन्ध हैं। पेकिंग स्थित भारतीय राजदूतावास के सदस्यों को पेकिंग को केन्द्र से २० किलोमीटर से अधिक दूरी वाले किसी स्थान पर जाने के लिये चीनी प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। महत्वपूर्ण कृषि केन्द्रों, कम्यूनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य नगरों को जाने के लिये अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाती। तिब्बत के बारे में, चीनी प्राधिकारियों ने तिब्बत में हमारे लोगों की गतिविधियों की स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित करने के लिये बहुत से उपाय किये हैं। तिब्बत में १९५९ के उपद्रवों के पश्चात् ये प्रतिबन्ध धीरे धीरे बढ़ा दिये गये हैं। और इस समय हमारे अफसर सब व्यावहारिक कार्यों के लिये अपने दफ्तर की चार दीवारी तक सीमित हैं। तिब्बत स्थित हमारे प्रतिनिधि तथा कर्मचारी स्थानीय प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त किये बिना अपने स्थानों की नगरपालिका की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते ।

यद्यपि पाकिस्तान में सरकारी तौर पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये, हमारे राजनयविज्ञ को उस देश में विविध स्थानों पर जाने में कई कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों में, अपनी राजधानी के स्थान से कुछ अर्ध व्यास के परे जाने की इच्छा करने वाले राजनयविज्ञों को विदेशी कार्यालय को अपनी प्रस्तावित यात्रा की अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। तथापि उन्हें उन क्षेत्रों को छोड़ कर जो विशिष्ट रूप से सुरक्षा के आधार पर निषिद्ध हैं, सब क्षेत्रों में जाने दिया जाता है।

(ग) भारत सरकार ने भारत में कुछ निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़ कर, विदेशी मिशनों के सदस्यों की गतिविधियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये। तथापि उन को दिल्ली से बाहर की अपनी यात्रा के लिये पूर्व सूचना देनी पड़ती है ताकि भारत सरकार उन के लिये आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर सके।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

(ङ) भारत सरकार विदेशी मिशनों के सदस्यों की गतिविधियों पर कष्टदायक प्रतिबन्ध लगाने के विरुद्ध है। और न ही वह पारस्पारिकता के आधार पर ऐसी रुकावटें लगाना आवश्यक समझती है।

मुकेरियां, पंजाब में कागज का करखाना

†१९२१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंजाब में मुकेरियां में एक कागज का कारखाना लगाने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन थी; और

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में क्या फैसला किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). पंजाब में मुकेरियां के समीप मीरथल क्षेत्र में किसी उपयुक्त स्थान पर एक अखबारी कागज का संयंत्र स्थापित करने की प्रस्थापना थी। किन्तु सब पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह फैसला किया गया कि उस राज्य के कांगड़ा जिला में एक योजना को लाइसेंस दिया जायेगा।

जिला सेलम (मद्रास) में कृष्णगिरि में कताई मिल

†१९२२. **श्री राजा राम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के सेलम जिला में कृष्णगिरि के स्थान पर एक कताई मिल लगाने के लिये एक लाइसेन्स दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस को; और

(ग) यह कब बनाया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) कृष्णगिरि में सूती कताई मिल के लिये अभी कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू व काश्मीर में कपड़ा और प्लाईवुड फैक्टरियां

†१६२३. **श्री समनानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा और प्लाईवुड के निर्माण के लिये फैक्टरियां स्थापित करने के लिये जम्मू और काश्मीर राज्य से किसी गैर-सरकारी लोगों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि दी गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हथकरघे के वस्त्र का निर्यात

१६२४. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९६१ से मार्च, १९६१ तक कुल कितने मूल्य के आर्डर विदेशों से हैण्डलूम के कपड़ों तथा बनारसी साड़ियों के प्राप्त हुए;

(ख) इसी अवधि में अब तक कितना माल भेजा जा चुका है और उस से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है; और

(ग) उन देशों के नाम जिन से आर्डर प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में उद्योग

†१६२५. **श्री यशवंत मेहता :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिये गुजरात राज्य की ओर से तथा लोगों की ओर से कितनी अर्जियां आई हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है :—

विवरण

वर्णन	संख्या	की गई कार्यवाही
१. गुजरात राज्य से प्राप्त अर्जियां . . .	..	..
२. लोगों से प्राप्त अर्जियां	४	३ अर्जियां अस्वीकार कर दी गई हैं और १ अर्जी विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेजी में

गुजरात में उद्योग

†१९२६. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उद्योगों की स्थापना के लिये राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने कितने लाइसेंस दिये हैं ।

(ख) सरकार के पास कुल ऐसी कितनी अर्जियां आई हैं ; और

(ग) १९६१-६२ के आंकड़े क्या हैं ?

तिथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) उद्योग (विकास तथा नियम १९६१ के अन्तर्गत मई, १९६० से मार्च, १९६२ तक की अवधि में गुजरात ये १७८ लाइसेंस दिये गये हैं ।

(ख) मार्च, १९६२ के अन्त तक गुजरात में उद्योगों के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ४९७ प्रार्थना पत्र आये थे ।

(ग) गुजरात में उद्योगों के लिये १९६१-६२ में २७७ अर्जियां प्राप्त हुईं और ११९ लाइसेंस दिये गये ।

आसाम के चाय कर्मचारियों की संयुक्त बैठक

†१९२७. **श्री प्र० चं० बरुग्रा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई १९६२ के प्रारम्भ में 'आसाम चाय कर्मचारी संघ' और 'आसाम चाय मजदूर संघ' डिबरूगढ़ शाखा की संयुक्त बैठक हुई थी,

(ख) यदि हां, तो यदि बैठक में कुछ मांगें उन के द्वारा की गई थीं, तो वे मांगें क्या थीं; और

(ग) उन के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी):** (क) से (ग). ऐसी किसी बैठक के बारे में हमें सूचना नहीं है ।

औद्योगिक बस्तियां

†१९२८. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०, १९६१, और १९६१ में राज्यवार कितनी औद्योगिक बस्तियां खोली गयी थीं, और

(ख) वर्ष तथा राज्यवार इस काम के लिये केन्द्र द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योगमंत्री (श्रीकानूनगो):** (क) और (ख). दो विवरण अनुबन्ध संख्या १ और २ क्रमशः जोड़ दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५]**

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी योजना में मद्रास में रोजगार

†१९२९. **श्री इलयापेरुमाल**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास राज्य की ओर से दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में रोजगार की समस्या के अनुमान के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : नहीं ।

मद्रास में औद्योगिक बस्तियां

†१९३०. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में दूसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में (जिलावार) कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गईं; और

(ख) इन इकाइयों में कुल कितने लोग काम पर लगाये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय** में उद्योग **मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

जिला	दूसरी पंच वर्षीय योजना में औद्योगिक बस्तियों में स्थापित की गई औद्योगिक इकाइयों की संख्या	इन इकाइयों में काम पर लगाये गये लोगों की संख्या
१. मद्रास .	४८	१४८२
२. मदुरै	८	१८८ (७ इकाइयों में काम पर लगाये गये)
३. तिरुचिरापल्ली . .	६	६२
४. कोयम्बटूर	४	४८
५. तिरुनलेवली	६	७८
६. रामनाथपुरम . .	५	५७
७. कन्याकुमारी . . .	२	४५
योग . . .	७९ इकाइयां	१९६० लोग

†मूल अंग्रेज़ी में

पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को ऋण और अनुदान

†**१९३१. श्री राम सेवक यादव :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २ मई १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उल्लिखित सांख्यिकी पुनर्वास वित्त प्रशासन के द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में भी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पुनर्वास वित्त प्रशासन तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा किये गये ऋणों की पृथक २ सांख्यिकी को दर्शाने वाला एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) जिस तरीके से ऋण वसूल न किये जाने वाले हैं इस बात को निर्धारित करने की कसौटी क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :** (क) जी नहीं।

(ख) पुनर्वास वित्त प्रशासन वित्त मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है और इस मंत्रालय के पास, दिल्ली राज्य में उस प्रशासन द्वारा किये गये ऋण के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये गये पुनर्वास ऋण की राशि, ५२.४१ लाख रुपये है।

(ग) साधारणतया ऋण वसूल न किये जाने वाले समझे जाते हैं, जब ऋण लेने वाले और उस की प्रत्याभूति देने वाले के पास उस को लौटाने की न तो क्षमता है और न ही अस्तियां हैं।

गोआनी

†**१९३२. श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने गोआनियों ने पुर्तगाली या पुर्तगाल बस्तियों में जाने की अनुमति मांगी है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** २ मई, १९६२ तक ७५० गोआनियों ने गोआ, दमन और दीव छोड़ने की अनुमति मांगी है।

पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों संबंधी चलचित्र

†**१९३३. श्री दलजीत सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ६ सिदसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों संबंधी चल चित्रों के निर्णय में तब से क्या अग्रतर प्रगति की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बे० गोपाल रेड्डी) :** चलचित्र की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

कांगड़ा और कुल्लू घाटी संबंधी रंगीन चलचित्र भी प्रायः पूरे हो गये हैं।

लाहौल और स्पिति संबंधी एक चलचित्र १९६१–६३ के लिये चलचित्र प्रभाग के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जा चुका है।

मद्रास कुटीर उद्योग

†**१९३४. श्री इलियपेरूमाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अधीन मद्रास राज्य में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विशेष लाभ के लिये कोई कुटीर उद्योग आयोजित किये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इसमें से कितनी राशि का प्रयोग किया किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

सराय रुहीला (दिल्ली) में मकानों का निर्माण

†**१९३५. श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों की सफाई योजना के अधीन सराय रुहीला, दिल्ली में मकान बनाने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना पर कितनी लागत आयेगी ? और

(ग) कितने मकान बनाये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :** (क) से (ग). सराय रुहीला क्षेत्र के पुनर्निर्माण की एक सामान्य योजना, दिल्ली नगरपालिका निगम द्वारा तैयार की गई है, जिस में अन्य बातों के साथ साथ गन्दी बस्तियों की सफाई योजना के अन्तर्गत लगभग १.२० करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर २३८० मकान बनाने की व्यवस्था है। विस्तृत योजना निगम द्वारा बनाई जा रही है। इस बीच लगभग ६ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर, १४४ मकान बनाये जा चुके हैं जबकि लगभग १०.४४ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर २०८ और मकान इस क्षेत्र में बनाये जाने के लिये हाल ही में मंजूर किये गये हैं।

चलचित्रों का निर्यात संवर्धन

†**१९३६. श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र निर्यात संवर्धन संबंधी एक योजना हाल ही में बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मोटी रूप रेखा क्या है; और

(ग) योजना को कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क

†**१९३७. श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि हाल ही में सूती कपड़े पर नये उत्पाद शुल्कों की घोषणा हो जाने के पश्चात् थोक व्यापारियों ने मिलों से सूती कपड़ा उठाना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो मिलों में अनावश्यक माल जमा होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में 'पावर एल्कोहल' संयंत्र

†**१९३८. श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी-मुद्रा उपलब्ध न होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार सरकारी क्षेत्र में (१) 'पावर एल्कोहल' संयंत्र, (२) एक द्रावक निस्सारण संयंत्र, और (३) सूती कताई मिल स्थापित करने की योजनाओं की कार्यान्विति की अनुसूची के अनुसार काम करने में असफल रही है तथा उसे इन योजनाओं को तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये स्थगित करना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उस सरकार को विदेशी मुद्रा देने के लिये अब क्या उपाय किये जा रहे हैं ताकि वह तीसरी योजना के अन्दर इन योजनाओं की कार्यान्विति को तेज कर सके ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, नहीं । द्रावक निस्सारण संयंत्र और कपड़ा मशीनरी के आर्डर दिये जा चुके हैं और बाद वाली वस्तुओं का आंशिक संभरण प्राप्त हो चुका है । 'पावर एल्कोहल' संयंत्र के लिये बहुत अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मशीनरी भारत में तैयार की जाती है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

सदस्य का निलम्बन

†**अध्यक्ष महोदय :** अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने का प्रस्ताव । श्रीमती मैमूना सुलतान ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, मेरा एक एडजर्नमेंट मोशन है. . . .

अध्यक्ष महोदय: जो काम पहले पेपर पर है उस को तो लेने दीजिये । आप बैठ जाएं । बैठ जाइए ।

श्री बागड़ी : मेरा एडजर्नमेंट मोशन पहले होगा या . . . .

अध्यक्ष महोदय: आर्डर, आर्डर, उन को बता दिया गया है कि मैंने उन का एडजर्नमेंट मोशन रिजेक्ट कर दिया है ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, यह एडजर्नमेंट मोशन गांधी जी के नाम से दिया गया है, अगर यह नामंजूर होता है तो फिर . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने उस की अनुमति नहीं दी है ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, एक मामूली आदमी के नाम से देशों में बगावत हो जाती है । गांधी जी तो राष्ट्र के पिता थे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : आज आप मेरी जबान को बन्द कर सकते हैं लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों की जबान को बन्द नहीं कर सकेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय**: आप अपना आसन ग्रहण करेंगे, या नहीं ?

श्री बागड़ी : नहीं साहब . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सभा-भवन त्याग दें ।

श्री बागड़ी : गांधी जी के नाम . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य बैठेंगे नहीं, तो उन को सभा-भवन से बाहर जाना पड़ेगा ।

श्री बागड़ी : बेशक मुझे निकाल दीजिये लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता बिड़ला भवन को घेर लेगी । इस को रोकना चाहिये । यह बड़ा संजीदा मामला है . . .

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं सभा को बता दूं कि माननीय सदस्य ने इस के बारे में मार्शल को पहले ही बता दिया था ।

इन आनरेबिल मेम्बर साहब ने चन्द रोज पहले ही मार्शल से कह दिया था कि आप तैयार रहिए । मैं ऐसा कोई काम करूंगा कि आप को मुझे निकालना होगा । अब तक मैं बार बार कह रहा हूं . . . . . .

श्री बागड़ी : मैं पहले से जानता था . . . . . .

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य को इतनी दफा कह चुका हूं कि अपनी सीट रिज्यूम करें . . . . . .

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : मेरा सुझाव है कि अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य का नाम लें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तो मैं कर चुका हूं । मैंने उन से सभा-भवन त्यागने के लिये कहा, पर उन्होंने उस का पालन ही नहीं किया । अब यदि उन के दल के अन्य सदस्य और नेता भी उन को नियंत्रित नहीं कर सकेंगे, तो मैं देखूंगा कि उन के दल की मान्यता ही क्यों दी जाये ।

श्री बागड़ी : यह गांधी जी का सवाल है । आज सदन के मेम्बर इस बात को नहीं समझते । मामूली लोगों के नाम पर देशों में बगावत हो जाती है । गांधी के नाम पर देश में बगावत होगी . . .

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, अभी आप ने फरमाया था कि जिस ग्रुप के माननीय सदस्य हैं उस की मान्यता आप छीन लेंगे . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले बतलाया कि उस ग्रुप को चाहिये कि इन्तिजाम करे । अगर वह नहीं कर सकते तो फिर मुझे सोचना होगा कि मान्यता रखी जाय या नहीं । आप पूरा फिकरा कहिए ।

श्री राम सेवक यादव : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो एडजर्नमेंट मोशन दिया है उस के बारे में अखबारों में भी निकल चुका है । जिस स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी वह एक बहुत ही अहम स्थान है । मुझे दुःख है कि वह अभी तक बिड़ला की निजी सम्पत्ति बना हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैं हाउस को इस से सूचित करना चाहता हूं। इन माननीय सदस्य ने खुद प्राइम मिनिस्टर को यह लिखा है कि बिड़ला हाउस को ले लिया जाय, नेशनलाइज़ कर कर लिया जाये, गवर्नमेंट उस को अपने कब्जे में ले ले, नहीं तो मैं जा कर उस को घेर लूंगा। तो यह उस को वहां जा कर घेरते हैं और यहां पर एडजर्नमेंट मोशन लाते हैं और कहते हैं कि—ए सिचुएशन हैज़ एरिजिन। इन सदस्य ने हठपूर्वक और जान बूझ कर सभा के कार्य में बाधा डाल कर अध्यक्ष-पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा की है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि श्री मनीराम बागड़ी को सभा की सेवा से ७ दिन की अवधि के लिये निलम्बित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बागड़ी : गांधी जी के नाम का खाते हैं और जब गांधी जी का सवाल आता है तो . .

अध्यक्ष महोदय : अब मैं हाउस की तरफ से यह हुक्म देता हूं कि चूंकि यह माननीय सदस्य सात दिन के लिए सदन से निकाल दिये गये हैं इसलिए वह बाहर चले जायें।

श्री बागड़ी: बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे मार्शल से निकलवा दें जिस से मैं शान से निकलूं . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं मार्शल को कहता हूं कि जा कर आनरेबिल मेम्बर को इस हाउस से बाहर निकाल दे।

†**श्री बागड़ी :** मार्शल मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, लाल बहादुर शास्त्री को भेजो जो . . .

मार्शल श्री बागड़ी को सभा-भवन से बाहर ले गये।

श्री यादव : मुझे बड़ा दुख है कि इस प्रश्न पर जहां गांधी जी का नाम आता है और बिड़ला भवन के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आता है तो आप एक माननीय सदस्य को सदन से निकाल देते हैं। इस का मुझे बहुत दुःख है और मैं मजबूर हो कर सदन से बाहर जाता हूं।

श्री राम सेवक यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम कार्य-सूची का अगला विषय लेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

एलिजाबेथविल में हुई दुर्घटना

†**श्रीमती मैमूना सुलतान (भोपाल) :** नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर माननीय प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और प्रार्थना करती हूं कि उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> एलिज़ाबेथविल में कथित रेल दुर्घटना और उस के फलस्वरूप भारतीय सैनिकों को आई चोटें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : एलिज़ाबेथविल में संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी कैम्प से दक्षिण कासाई जाने वाली एक ट्रेन १६०० बलुबा शरणार्थियों को ले कर जा रही थी । उस की रक्षा के लिये ४ राजपूताना राइफिल्स की एक टुकड़ी भी साथ थी । वह ट्रेन एलिजाबेथविल के शरणार्थी कैम्प से २० मई १९६२ को डेढ़ बजे दोपहर (स्थानीय समय) में रवाना हुई थी । लगता है कि कुछ सौ गज़ चलने के बाद ट्रेन के बीचों-बीच डिब्बों को संयोजित रखने वाली कड़ी—कपलिंग—टूट गई थी । आगे का भाग कुछ दूर तक उसी तरह बढ़ता रहा, पर पीछे के डिब्बे कट जाने की बात पता लगने पर उसे रोक लिया गया । पीछे के डिब्बे पहले की गति से गतिशील बने लुढ़कते आ ही रहे थे । वे आगे के हिस्से से लड़ गये और कुछ डिब्बे एक-दूसरे में घुस गये ।

दुर्घटना के फलस्वरूप रक्षा-टुकड़ी के ३४ सैनिक और ५० शरणार्थियों को चोटें पहुंचीं । छोटी-मोटी चोट खाने वालों का वहीं प्राथमिक उपचार कर दिया गया और शेष को एलिज़ाबेथविल ओन्क अस्पताल में पहुंचा दिया गया था । अस्पताल में उन की परीक्षा से पता चला है कि अस्पताल में भर्ती किये जाने वाले सैनिकों को केवल मामूली चोटें ही लगी थीं ।

एक को छोड़ कर, शेष सभी सैनिकों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है । अस्पताल में जो एक सैनिक है, उस की हालत में संतोषजनक सुधार होता जा रहा है ।

†**श्रीमती मैमूना सुलतान** : क्या दुर्घटना में जख्मी होने वाले सैनिकों को कोई प्रतिकर दिया जायेगा, यदि हां, तो किस अभिकरण द्वारा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : उन पर सेना के साधारण विनियम ही लागू होंगे ।

†**श्री अ० ब० राघवन** (बडागरा) : क्या दुर्घटना किसी तोड़ फोड़ के कारण हुई थी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी, नहीं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, १९६२

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक ५ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३३ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (चतुर्थ संशोधन) योजना, १९६२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१३७/६२]

आंकड़ों को इकट्ठा करना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : मैं आंकड़ों को इकट्ठा करना अधिनियम, १९५३ की धारा १४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ५ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३०९ में प्रकाशित आंकड़ों को इकट्ठा करना (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१३८/६२]

अनुदानों की मांगें—(जारी)

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खाद्य और कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगें लेंगे। श्री विश्राम प्रसाद।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज): अध्यक्ष महोदय, कल मैं सीक्योरिटी आफ टैन्योर, ओनरशिप टेनैन्ट्स रेगुलेशन आफ रेंट्स और सीलिंग औन लैंड्स के ऊपर भाषण कर रहा था। इसी सिलसिले में . . .

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : मंत्री महोदय किस समय जवाब देंगे यह मालूम हो जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी बतलाता हूं।

श्री विश्राम प्रसाद : मैं इस सिलसिले में रिपोर्ट औन इंडियाज फूड क्राइसिस ऐंड स्टेप्स् टू मीट इट बाई फोर्ड फाउंडेशन स्कीम से थोड़ा सा रेफ्रेंस देना चाहता हूं कि भूमि सुधार कानून को तुरंत पास करने और उसे शीघ्र ही कार्यान्वित काने की आवश्यकता अविलम्बनीय है।

यह रेकमेंडेशेंस् दी गई हैं। मेरा कहना यह है जब तक इस जमीन का बंटवारा या जमीन के एरेंजमेंट के सिलसिले में सुधार नहीं होगा तब तक हमारे देश की पैदावार नहीं बढ़ सकती है। जो दरअसल खेती करता है व पैदा करता है उसके पास जमीन नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि जमीन का बंटवारा समुचित रूप से हो।

दूसरा प्रश्न प्राइस कंट्रोल और स्टैबलाइजेशन आफ प्राइसेज का आता है। जब तक किसान को यह न मालूम हो जाय कि वह जो फसल पैदा करता है उस का उसे क्या मूल्य मिलने वाला है तब तक उसकी पैदावार नहीं बढ़ पाती है।

इस सिलसिले में इस रिपोर्ट में यह मैंशन किया गया है कि उत्पादन वृद्धि के लिये कृषकों के उत्पादों के मूल्यों में स्थायित्व लाना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : मुझ से अभी सवाल किया गया था कि मिनिस्टर साहब किस वक्त बोलेंगे तो मैं बतलाना चाहता हूं कि मैं उन्हें जवाब देने के लिए तीन बजे बुलाऊंगा।

श्री विश्राम प्रसाद : जब तक किसान को यह न मालूम हो जाय कि जो फसल वह बो रहा है उस की वह क्या प्राइस पाने जा रहा है तब तक वह अपनी खेती के अंदर परमानेंट इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता और प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं चाहता।

इस के बाद सोआयल सर्वे का सवाल आता है। सोआयल सर्वे की दिशा में हमारे देश में बहुत काम हुआ है तो भी एग्रीकलचरल डिपार्टमेंट यह बताने को तैयार नहीं है कि किस इलाके में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है और उसमें क्या डैफीशिएंसी या क्या एफिशिएंसी है और उस में किस तरह की क्रौप्स उगाई जा सकती हैं और किस तरह के फर्टिलाइजर्स दिये जा सकते हैं और किस मात्रा

†मूल अंग्रेजी में

में दिये जा सकते हैं । किसानों को इसके बारे में जानकारी दी जाये ताकि ठीक व उचित फसल उगाई जा सके और उचित फर्टिलाइजर्स उनको दिये जा सकें । सोग्रायल सर्वे ठीक से कराया जाय ताकि किसान को अपनी मेहनत का उचित पैसा मिल सके ।

कंट्रोल ग्रौन शूगरकेन प्रोडक्शन के बाबत भी मुझे कुछ कहना है । ग्राज जब इरीगेशन फेसिलिटीज बढ़ रही हैं और देश के ग्रंदर गन्ने की खेती बढ़ती जा रही है तो यह किसी तरह भी रोकी नहीं जा सकती है क्योंकि गन्ने में किसान को अधिक पैसा मिलता है इसलिए वह गन्ने की खेती अवश्य करेगा । जब हमको एनक्रीज्ड फुड प्रोडक्शन करना है तो हमें ऐसा तरीका अपनाना होगा ताकि किसान को उसकी पैदावार का मुनासिब मूल्य मिले, उसको ज्यादा पैसा मिले ताकि फूडग्रेस के कल्टीवेशन में ज्यादा एरिया आये ।

इर्रीगेशन के ऊपर मैं कह चुका हूं लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि सरकार को मेजर इर्रीगेशन स्कीम्स् के साथ साथ माइनर इरीगेशन स्कीम्स् की तरफ भी ध्यान देना चाहिए । अब तक ७० मिलियन एकड़ रकबा सिंचाई के अन्दर आया है और बाई दी ऐंड ग्रौफ थर्ड फाइव इयर प्लान ९० मिलियन एकड़ जमीन सिंचाई व्यवस्था के ग्रंदर ग्राजायगी जोकि इस देश के कल्टीवेटेड ऐरिया का एक चौथाई हिस्सा है । इस यार्डस्टिक के ग्रंदर ऐडीश्नल फूड प्रोडक्शन के लिए मिनिस्टर महोदय ने जो फ़ीगर्स दिये हैं उसमें हम पाते हैं कि किसी स्टेट में एक एकड़ पर ५६ और कहीं कहीं २५ टन प्रतिएकड़ प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर ४६० मिलियन एकड़ कल्टीवेटेड ऐरिया में से तीन चौथाई भाग जो अभी ग्रंडर- इर्रीगेशन नहीं है अगर उस पर काफी तवज्जह दी जाय तो हमारे देश की पैदावार बहुत हद तक बढ़ सकती है ।

ज्यादा न कह कर मैं यह जरूर कहूंगा कि समय पर जलसंभरण सस्ती दर पर होना चाहिये, ताकि हमारी खाद्य समस्या पूरी तरह से हल हो सके। फर्टिलाइजर्स के बारे में मुझे यह कहना है कि सा्‌ ६१—६२ में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स २६ ' ७१ लाख टन और फौसफोटिक ५ • ६६ लाख टन की जरूरत थी जिसमें से कि हमा ी सरकार १५ ' १ लाख टन सप्लाई कर सकी यानी ११ लाख टन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हमारे किसानों को नहीं मिला है । जो यार्डस्टिक ऐडीश्नल फूड प्रोडक्शन की है उसमें औसत जो पड़ता है वह फौर वन टन ग्रौफ एमोनियम सल्फेट टु टंस् ग्रौफ फूडग्रेंस् है । इस के मानी यह हैं कि ११ लाख टन फर्टिलाइजर्स कीं कमी की वजह से २२ लाख टन गल्ले की कमी इसकी शौर्ट सप्लाई से हुई है ।]

फर्टिलाइजर्स के साथ-साथ मुझे यह कहना है कि यह जो एमोनियम सल्फेट, या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पर जोर दिया जा रहा है, एग्रीकलचर डिपार्टमेंट को देखना होगा क्योंकि उनकी ऐप्लीकेशन से हमारी मिट्टी का टैक्सचर और स्ट्रक्चर खराब होता जायगा क्योंकि यह नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स मिट्टी केऊपर एसिडिक रिऐक्शन पैदा करेंगे । इस लिए मेरा सुझाव है कि नाइट्रोजनस के साथ साथ फौसफेटिक फर्टिलाइजर्स पर भी अधिक जोर दिया जाय ।

ग्रौरगैनिक मैन्योर जो ज्यादातर काऊडंग से तैयार होता है वह बेकार चला जाता है । अब देहातों के अन्दर लकड़ी कहां से आये इसलिए किसान मजबूर हो जाते हैं कि वे अपने गोबर के कंडे बना कर जलायें । जब तक कोई इस तरह की व्यवस्था न की जायगी कि किसानों को डेली फयूल मिले तब तक किसान इस के लिए मजबूर रहेगा कि वह गोबर को जलाने के काम में लाये । गोबर एक बहुत ही अच्छे किस्म की खाद होती है और इसका असर मिट्टी के ऊपर १५ साल तक रहता है । किसानों के लिए डेली यूज की फ्यूल के अभाव में यह गोबर जोकि चीपैस्ट और बैस्ट मैन्योर है बराबर जलाया जाता रहेगा ।

[श्री विश्राम प्रसाद]

ग्रीन मैन्योरिंग जोकि बहुत ही चीपेस्ट मैन्योर है और साथ ही पैदावार भी बहुत बढ़ाता है उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक टन एमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर का दाम जोकि अभी ३४४.५० नये पैसे था उस को कम करके ३३० रुपये प्रति टन किया गया है. . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री विश्राम प्रसाद : चूंकि मेरे पास समय नहीं है इस लिये मैं अधिक न कह कर सिर्फ यही कहूंगा कि अच्छे किस्म के बीजों के वितरण, चावल की खेती के जापानी तरीकों, उन्नत कृषीय प्रथाओं, फसल प्रतियोगिताओं और जल तथा भूमि-संरक्षण की तरफ ध्यान दिया जाय।

एग्रीकलचरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में एक मर्त्तबा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इन की होली जला दी जानी चाहिए। मेरा कहना यह है कि वहां पर कोई कमी है। यह डिपार्टमेंट आफ एग्रीकलचर इस तरह के इम्प्लीमेंट्स नहीं बनाता जोकि किसानों के काम के लिए हों। वह इतने मंहगे होते हैं कि वह उनको खरीद नहीं पाता है। जब तक इस तरह के सस्ते और काम के इम्प्लीमेंट्स नहीं बनते हैं तब तक यह देसी हल किसानों के पास बराबर मौजूद रहेंगे। मेरा यह सुझाव है कि एग्रीकलचरल डिपार्टमेंट सस्ते और अच्छे किस्म के और काम में आने वाले इम्प्लीमेंट्स किसानों के वास्ते बनाये।

एग्रीकलचरिस्ट्स को जो लोन मिलता है उस के बारे में मुझे यह कहना है कि बहुत सी तकलीफें उनको कर्ज लेने में होती हैं। मेरा यह सुझाव है कि उन्हें अच्छे और साधारण ढंग से बहुत ज्यादा मेहनत न करने के बाद भी कर्ज मिलने की व्यवस्था हो।

सब से आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है। जिस तरह से हमारे किसान भाई डिस्क्रीमिनेटेड हैं उसी तरह से यह एग्रीकलचरल डिपाटमेंट के एम्प्लायीज भी डिस्क्रिमिनेटेड हैं और उन्हें उतनी सुविधा नहीं मिली हुई है जितनी कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लायीज को या और एम्प्लायीज को मिला हुई हैं। एक असिस्टेन्ट इंजीनियर या डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के लिए तो बंगला खड़ा हो जाता है, उस के लिए आफ़िस की व्यवस्था कर दी जाती है और उस को सब तरह की सहूलियतें दी जाती हैं, लेकिन इस की तुलना में एग्रीकलचर डिपार्टमट के एम्प्लाईज़ की बिल्कुल उपेक्षा की जाती है और उन को वे सुविधायें उपलब्ध नहीं की जाती हैं।

एग्रीकल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि स्टेट्स के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में तीस से अस्सी परसेंट तक पोस्ट्स टेम्पोरेरी हैं। इस के अतिरिक्त एग्रीकल्चर से सम्बन्धित आफ़िसर्ज की कोई आलइंडिया सर्विस भी नहीं है। इसके बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ऐसी सेवा के निर्माण से अधिकारियों के आदान प्रदान में सुविधा हो जायेगी। मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार फ़ारेस्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, हैल्थ, स्टैटिस्टिक्स और इकानोमिक्स आदि विभागों की आल-इंडिया सर्विसिज़ हैं, उसी प्रकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी एक आल-इंडिया सर्विस होनी चाहिए और उस के एम्प्लाईज़ को एक कैडर से दूसरे कैडर में जाने की सुविधा और अवसर दिया जाना चाहिए। उन को एकामोडेशन आदि की फ़ैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए।

जहां तक डाल्डा और वनस्पति घी के कलरिंग का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया में साइंस में इतनी प्रगति और डेवेलपमेंट हो चुका है कि एटम बम और हाइड्रोजन बम बनाए गए हैं, लेकिन हमारे देश में आज तक कोई भी साइंटिस्ट वनस्पति को रंग देने के लिए कोई उपयुक्त

†मूल अंग्रेजी में

रंग और तरीका नहीं मालूम कर सका है । इस का कारण क्या है ? मेरे सुनने में यह आया है कि चूंकि वनस्पति घी के कलरिंग के बाद असली घी में मिलावट करना बहुत कठिन हो जायगा, इस लिए जितना रुपया गवर्नमेंट वनस्पति घी के कलरिंग के लिए सकती है, उस से ज्यादा रुपया डाल्डा कम्पनी वाले दे देते हैं । इस लिए वनस्पति घी का कलरिंग नहीं हो पाता है । मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाये कि डाल्डा और वनस्पति घी को कलर किया जाये, ताकि एडल्ट्रेशन न हो सके ।

देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए यह भी आवश्यक है कि यहां की फूड हैबिट्स को बदला जाए । आज हमारे यहां ज़यादा प्रैशर गेहूं और चावल पर है । एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में लोगों की फूड हैबिट्स को चेंज करने की बात कही जाती है । इस लिए एजुकेटिड लोगों से इस की शूरूआत करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे आम लोगों की फूड हैबिट्स बदलें और गेहूं और चावल पर प्रैशर कम हो । इस देश में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जो कि गेहूं और चावल का स्थान ले सकती हैं ।

अन्त में मैं दूध के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । यद्यपि दुनियां में सब से ज्यादा कैटल हमारे देश में हैं । लेकिन हम को ४·७६ औंस पर डे पर कैपिटा दूध मिलता है, जब कि मेडिकल डिपार्टमेंट की रीकमेंडेशन है कि कम से कम १० औंस दूध रोज़ाना एक आदमी को मिलना चाहिए । आज सिर्फ़ १२५ कैटल ब्रीडिंग स्टेशन, ३०,००० बुल काव्ज़ और ५,००० बुल्ज़ रेज़ करने से हमारे देश के कैटल की तरक्की नहीं हो सकती है । हमारे देश में लगभग छः-साढ़े छः लाख गांव हैं । मैं चाहता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हर एक गांव में एक इम्प्रूव्ड बुल ज़रूर पहुंचाए, जिस से हमारे कैटल की नस्ल सुधर सके और दूध की मात्रा बढ़ सके ।

खाद्य और कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं श्री ढेबर की इस बात से सहमत हूँ कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था प्रमुखतः कृषि प्रधान है । हमें कृषि के वैज्ञानिक विकास में पूरी आस्था रखनी चाहिये। पहले की भांति अभी हमारी अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार पशु हैं । परन्तु खेती के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाये बिना संसार के अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते ।

आज भी हमारे देश के जो भी राज्य कृषि के मामले में समृद्ध नहीं हैं, वे सामान्यता निर्धन हैं । कृषीय रूप से उन्नत राज्य ही अधिक समृद्ध हैं । पश्चिमी और बिहार में बड़े-बड़े औद्योगिक उपक्रम तो हैं, पर वे आपके राज्य जितने समृद्ध नहीं हैं । इस लिये हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही होनी चाहिये हमारी कृषि अर्थ-व्यवस्था का विकास आधुनिक ढंग से हो ।

कल कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि हमें इतनी भूमि खेती के लिये नहीं देनी चाहिये थी । देश में खाद्याभाव के कारण हमें अपनी चरागाहों पर तक खेती शुरू कर देनी पड़ी है ।

श्री गुह और श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा को तो इस पर भी संदेह है कि हमारे कृषीय उत्पादन में कोई वास्तविक, कोई गुणात्मक वृद्धि हुई है । लेकिन इस में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि १९५१–५२ से १९५५–५६ तक के काल में खाद्यान्नों की फ़सलों के अन्तर्गत क्षेत्र का देशनांक १०८·६ था और १९५६–५७ से १९६०–६१ तक के काल में वह ११७ रहा है, जिसका अर्थ है कि कृषि के क्षेक में ७·७ प्रतिशत विस्तार हुआ है और उत्पादन में १०९·५ से १२८ तक अर्थात् १६·९ प्रतिशत वृद्धि हुई है । इस प्रकार कृषि के परिमाण और गुण दोनों में वृद्धि हुई है ।

खाद्य और कृषि मंत्री ने खाद्य और कृषि विभागों में काफी गतिशीलता पैदा कर दी है और उसके फलस्वरूप कृषि में पर्याप्त सुधार हुआ है । कृषीय उत्पादन का देशनांक १९५७-५८ से १९६०-६१ तक १०९·४ से १४७·३ तक पहुंच गया है; गैर-खाद्यीय फ़सलों की वृद्धि १२९·४ से १४७·३ तक पहुंच गयी है ।

[डा० राम सुभग सिंह]

मैं यह सब इस लिये बता रहा हूं कि भारत की जनसंख्या दिन-दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन यदि किसानों को पूरी तौर से सुरक्षा मिले और वे आश्वस्त हों तो वे तृतीय योजना की आवश्यकता के लायक कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तृतीय योजना का लक्ष्य १० करोड़ टन के करीब है। उसके लिये हमें अपना उत्पादन ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाना पड़ेगा।

आपको मालूम है कि अभी २५.५ प्रतिशत भूमि पर खेती होती है, जो तृतीय योजना की समाप्ति तक २८ प्रतिशत हो जायेगी। श्री विश्राम सिंह ने अभी-अभी कहा है कि यदि हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ वर्ष बाद हमारी भूमि अनुर्वरक हो जायेगी। हमारे यहां किसान लोग रासायनिक उर्वरकों को अन्य खाद्यों के साथ मिला कर देते हैं। इस लिये आशंका निराधार है।

भारत में सामान्यतया चार प्रकार की भूमि है; पर्वतीय और वनीय, मैदानी, रेगिस्तानी और डेल्टा की। पर्वतीय और वनीय भूमि पर भी काफी खेती होती है। अभी तक योजना आयोग या अन्य किसी अभिकरण में भी इस भूमि के विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है। हां प्रधान मंत्री ने लेह के निकट एक बीज फार्म खुलवाया है। यदि सभी पर्वतीय प्रदेशों में ऐसे बीज फार्म खुल जायें तो पर्वतीय इलाकों की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी हो सकती हैं। अब यह सिद्ध हो चुका है कि हम वहां हर प्रकार के पौधे उगा सकते हैं। संसार के विभिन्न पौधे वहां उगाये जा चुके हैं। वहां कई परीक्षण चल रहे हैं। यदि हम रुचि लें तो लद्दाख क्षेत्र में भी काफी उपज की जा सकती है। चूंकि किसान अपने बूते पर तो कनाडा या रूस से पौधे नहीं ला सकते, इसलिये सरकार को यह काम संभालना चाहिये। इन क्षेत्रों में उपयुक्त पौधों और सिंचाई के उपयुक्त साधनों की आवश्यकता है। इससे हमारी रक्षितता भी दृढ़ होगी। और सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को प्रशिक्षित भी किया जा सकेगा। श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा ने कहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में गुट बाजी चल रही है। वहां अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। वे अपनी प्रतिभा इन्द्रजीत मल्होत्रा द्वारा बताये पौधों और बीजों के सम्बन्ध में अनुसंधान-कार्य कर रहे हैं। वे पशुओं के सम्बन्ध में भी अनुसंधान-कार्य कर रहे हैं। श्री डेबर ने ठीक ही कहा है कि पशुओं और बीजों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

लेकिन मैं उनकी एक बात से सहमत नहीं। श्री डेबर ने कहा है कि देश में अभी सात करोड़ भैंसों की जरूरत है, लेकिन उनकी संख्या केवल छः करोड़ है। उन्होंने कहा है कि कृषकों को अभी बहुत काफी दिनों तक बैलगाड़ियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि कि कृषकों को भावी पीढ़ी को तो अभी से बुलडोजर और ट्रैक्टर चलाना भी सीखते चलना चाहिये। नहीं तो कृषि की अवस्था १८ वीं या १७ वीं शताब्दी की ही बनी रहेगी।

जैसा कि मैंने अभी बताया है कि लद्दाख के कृषकों को आज स दो वर्ष पहले भी मालूम नहीं था कि पांच मील की दूरी पर क्या हो रहा है। और आज वे जैट विमानों के युग में पहुंच चुके हैं। पहले वे खच्चरों पर चलते थे और अब विमानों पर यात्रायें करते हैं आज भारत में ३२,००० ट्रैक्टर चल रहे हैं। वे बैलगाड़ियों का स्थान लेते जा रहे हैं।

मैंने कृषि अनुसंधान संस्था में कई अच्छे किस्म के औजार देखे हैं। मैंने पंजाब के गांवों में स्वयं जा कर देखा है कि निराई का काम कुछ लकड़ी के औजारों द्वारा किया जा रहा था।

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : हमने तो जोत को अधिकतम सीमा निर्धारित करने की नीति अपना ली है। हम ट्रैक्टरों और बुलडोजरों का उपयोग फिर कैसे कैसे करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : श्री पटेल को न तो कांग्रेस और न सरकार की ही नीति की जानकारी है। कांग्रेस ने नागपुर में सहकारी खेती का प्रस्ताव पास किया था और इस सभा ने भी उसको संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया है। श्री रूराफ का कहना है कि चावल जैसी फसलों की सहकारी खेती नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि चावल, इत्यादि की खेती में बड़ी-बड़ी मशीनों का उपयोग करना अत्यन्त कठिन होगा। लेकिन श्री पटेल की बात ग़लत है। छोटी-छोटी खेतों पर सहकारी ढंग से खेती की जा सकती है।

†श्री बसुमतारी (ग्वालपाड़ा) : अभी तक कितने सहकारी फार्म बनाये गये हैं?

†डा० सुभग सिंह : वह तो सहकार मंत्रालय बतायेगा। मंत्रालय ने २८५ फार्म स्थापित किये हैं।

यदि कृषक लोग सहकारिता के विचार को एक दम नहीं अपनाते, तो इस में उनका दोष नहीं है। उनको इसे अपनाने में कठिनाइयां ही कठिनाइयां दिखती हैं। इस लिये आवश्यकता इस बात की है कि सहकारिता का विचार अत्यंत ही स्पष्ट रूप में उनको समझाया जाये। तब वे इसे अस्वीकृत नहीं करेंगे।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में जो अच्छे किस्म के औजार हैं, उनका देश भर में प्रचार किया जाना चाहिये। हमने एक योजना बनाई है कि देश के विभिन्न भागों से कृषक लोग आकर उन औजारों को देखें और उनको चलाने के तरीके सीखें। उन पर कोई चीज थोपनी नहीं चाहिये। यदि किसान असुरक्षित महसूस करेंगे तो सारा देश असुरक्षित रहेगा।

हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था को एक ऐसी संस्था बनाने जा रहे हैं जहां सभी अनुसंधान-कर्ताओं और किसानों के लिये स्थान हो और जहां कृषकों को उनकी भाषा में समझाया जायेगा कि अच्छे किस्म के उन औजारों का का इस्तेमाल कैसे किया जाये।

श्री चटर्जी, श्रीमती लक्ष्मी बाई और श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा ने वनीय समस्याओं पर अत्यधिक जोर दिया है। इससे पहले मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि मंत्रालय में या किसी संस्था में कोई गुट कहीं होगा तो उसे खत्म कर दिया जायेगा। लेकिन श्री मल्होत्रा को पहले हमें विश्वास तो दिलाना चाहिये कि गुट वास्तव में मौजूद भी है। मेरा ख्याल है कि हालत इतनी बुरी नहीं है।

वन-रोपण कार्यक्रम सम्बन्धी नीति के बारे में मेरे वरिष्ठ सहयोगी बतायेंगे। नदी परियोजनाओं और रांची मशीन टूल्स जैसे बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना का वनों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसकी क्षति की पूर्ति हमें अन्य स्थानों में वृक्षारोपण कर के करनी चाहिये। हम रेलवे मंत्रालय को सुझाव देने वाले हैं कि पूरी रेलवे लाइनों के दोनों और वृक्ष लगाये जायें। आशा है हमारा सुझाव स्वीकार किया जायेगा। इसी प्रकार हम सिंचाई मंत्रालय से कह रहे हैं कि सभी नहरों के दोनो ओर वृक्ष लगाये जाये। उससे वनों की क्षति की एक हद तक पूर्ति हो सकेगी।

मैदानी इलाकों में भूमि के कटाव की समस्या इतनी कठिन नहीं है। ये क्षेत्र काफी विशाल हैं। लेकिन फिर भी इनके संरक्षण की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० राम सुभाग सिंह]

श्री विश्राम प्रसाद का कहना है कि किसान लोग गोबर में से भी अनाज के दाने निकाल लेते हैं। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम इतनी सफाई का ध्यान तो रखता है। फसल कटने के दौरान में कृषक मजदूरों की बड़ी कमी रहती है। २ रुपये रोज पर भी उनका मिलना मुश्किल हो जाता है। वे लोग ही अनाज, जमीन से उठाते हैं जो कृषि सम्बन्धी कोई कार्य नहीं करते। भूसे में से अनाज निकालते समय ही अनाज जमीन पर गिर जाता है और उस समय ही अनाज उठाया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता।

हमारे पास उर्वरकों की कमी है। लेकिन हम अपना उत्पादन बराबर बढ़ा रहे हैं। बहुत से कारखानों की स्थापना के लिये अनुज्ञप्तियां दे दी गई हैं और प्रत्येक राज्य में अवश्य ही कोई न कोई कारखाना बनाया जायेगा।

जहां तक भूमि के परीक्षण की बात है। अब तक २४ भूमि परीक्षण स्टेशनों की स्थापना की गई है। पैकेज कार्यक्रम के अधीन कुछ स्टेशन और भी खोले जाने वाले हैं। लेकिन जो भी किसान अपनी भूमि का परीक्षण इन स्टेशनों पर कराने जायेंगे उन्हें पूरी पूरी सुविधा दी जायेगी। हमारा यह प्रयत्न है कि भूमि परीक्षण के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति ही रखे जायें क्योंकि यदि अज्ञानकार व्यक्ति रखे गये तो सब काम चौपट हो जायेगा। प्रशिक्षित व्यक्तियों की हमारे पास बहुत कमी है। अतः कुछ कृषि कालिज तथा दो पशुचिकित्सा वाले कालिज खोले जायेंगे।

अत्यधिक उन्नत देशों के अनुभव से यह पता चलता है कि यदि खेती का यंत्रीकरण किया जाये तो इससे बेरोजगारी बढ़ती नहीं है। यंत्रीकरण करने से यह लाभ होगा कि जहां कृषि करने के लिये मनुष्यों की आवश्यकता कम हो जायेगी तो ये बचे हुए मनुष्य उन यंत्रों के बनाने का काम करने लगेंगे। अतः बेकारी के बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन हमारे यहां की व्यवस्था कुछ ऐसे ढंग की है कि हमारी यह पद्धति कुछ समय तक और भी चलती रहेगी। इसके लिये अच्छा होगा कि हम कृषि के काम में लाये जाने वाले औजारों में सुधार करें। इन औज़ारों में सुधार करने के लिये हम ने कुछ वर्कशाप खोली हैं। वहां कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। लेकिन यह काम धीरे धीरे ही होगा। लेकिन हमारा यह प्रयत्न होगा कि हम यह काम यथाशीघ्र ही निपटा लें। खेती का पूर्ण यंत्रीकरण उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि देश में औद्योगीकरण नहीं हो जाता। आजकल हमारे देश में ३२,००० ट्रैक्टर काम में लाये जाते हैं। हम आशा करते हैं कि इनकी संख्या प्रति वर्ष और भी बढ़ती जायेगी।

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में हम ने बिचौलियों के पास से सभी अतिरिक्त भूमि ले ली है। इस तीसरी योजना में हम ७ करोड़ भूमिहीन कृषकों को भूमि देने जा रहे हैं। बेकार भूमि समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इन व्यक्तियों के लिये २० लाख एकड़ भूमि का विकास करने की सिफारिश की है।

त्रिपुरा, मनीपुर और अन्य स्थानों के झूमियों से यदि उनकी भूमि ले ली गई है तो उन्हें शीघ्र ही उचित स्थानों पर बसाया जायेगा और यह प्रयत्न किया जायेगा कि भविष्य में उन्हें कोई और कष्ट न हो।

बरेली के आस पास के अफीम-उत्पादकों की कठिनाइयों के बारे में स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जायेगा। ताकि भविष्य में उन्हें कोई और कठिनाई न हो।

अन्त में मैं यह आश्वासन देता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी यहां कहा है उस पर अवश्य ही ध्यान दिया जायेगा। वैज्ञानिकों का भी सहयोग लिया जायेगा। साथ ही यह भी प्रयत्न किया जायेगा कि हर हालत में कृषि का उत्पादन बढ़े।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : सन् १९६१ के जनसंख्या प्रतिवेदन से पता चलता है कि हमारी जनसंख्या ४३८० लाख बढ़ गई है । कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले १० वर्षों में यह वृद्धि १·३ प्रतिशत हुई है । अतः यह स्वाभाविक है कि जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की कमी अनिवार्य है । कृषि के मामले में ऐसे अवसर आते हैं कि जब कि एक दो वर्ष तो खूब अधिक पैदावार होती है और एक दो वर्ष पैदावार कुछ कम हो जाती है । फिर भी हमें इस कमी का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये । अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा और देशों से हम खाद्यान्न का आयात कर रहे हैं । इस प्रकार हमने काफ़ी खाद्यान्न का आयात कर लिया है और तीसरी योजना में खाद्यान्न की जो कमी होगी उसका सामना हम अच्छी तरह कर सकेंगे । तीसरी योजना के अन्त तक हमें १००० से १०५० लाख टन तक खाद्यान्न चाहिये । यही हमारा उत्पादन लक्ष्य है । मैं आशा करता हूं कि इतना हम उत्पादन कर सकेंगे । किन्तु अनुभव से यह पता चलता है कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि हम तीसरी योजना के अन्त तक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त अन्न पैदा कर सकेंगे । खाद्य उत्पादन में जिस गति से वृद्धि हो रही है उस से तो यह आशा नहीं है कि हम अपना लक्ष्य पूरा कर सकेंगे ।

बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि उत्पादन बढ़े । हमारी योजनाएं आदर्शवादी हैं और शायद ही अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में सफल होती हैं । सरकार सहकारी खेती की चर्चा करती है । लेकिन यह 'समूहन' की ओर ले जाने वाली है । पूर्वी यूरोप के बहुत से देशों में यह असफल रही है । हमारे यहां के नेता आचार्य विनोबा भावे जैसे व्यक्ति भी इसके पक्ष में नहीं हैं । चीन जैसे विकसित देश में भी भुखमरी और अकाल का बोलबाला है । वहां भी नाना प्रकार की समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं । अतः मेरा निवेदन है कि यह हमारे यहां सफल नहीं होगा । हमें दूसरे देशों के अनुभव से लाभ उठाना चाहिये । हमें किसानों के हितों की सुरक्षा करनी चाहिये । किसानों की हालत आज बड़ी अजीब सी है । उन्हें यह तक पता नहीं है कि उनकी भूमि का क्या होगा, क्या वह भूमि उनके पास रहेगी अथवा सरकार ले लेगी ।

भूमि की चकबंदी के बारे में हम विधान बना रहे हैं, भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में हम विधान बना रहे हैं । अधिकतम सीमा निर्धारित करने का अभिप्राय तो यह हुआ कि हम भूमि के अनार्थिक टुकड़े बना रहे हैं । अतः ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलनी चाहिये । हमें इनके समाधान के लिये कुछ न कुछ करना चाहिये । मेरा निवेदन है कि भमि की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिये ।

खाद्यान्नों के मामले में राज्य व्यापार महंगा प्रयोग रहा है । मेरा निवेदन है कि यह क्षेत्रीय व्यवस्था भी समाप्त कर देनी चाहिये । इस क्षेत्रीय व्यवस्था से भ्रष्टाचार और पक्षपात और भी बढ़ता है । मंत्रालय का कहना है कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में स्थिति में सुधार हुआ है । उनका यह भी कहना है कि मूल्य स्थिर हुए हैं । लेकिन इस क्षेत्रीय व्यवस्था के कारण किसानों को उचित मल्य नहीं मिले हैं । इस कारण मेरा निवेदन है कि खाद्यान्न के मामले में इस क्षेत्रीय व्यवस्था को शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहिये ।

सहकारी संस्थाएं बिल्कुल ही असफल रहीं हैं । और ये समूहन की ओर ले जाने वाली हैं । भूमि पर किसानों का स्वामित्व ही एक ऐसा रास्ता है जिससे उन्नति हो सकती है । इससे ही किसानों की समृद्धि हो सकती है और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सकता है ।

ये बड़ी बड़ी नदी परियोजनाएं हमारी समस्याओं का समाधान करने के बजाय समस्याएं उत्पन्न ही कर रही हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[श्री प्र० के० देव]

इन पर बांध बनाने से न केवल बहुत से व्यक्ति ही बेघरबार हो जाते हैं बल्कि बहुत सी भूमि जहां पहले बहुत अच्छी पैदावार होती थी अब केवल जलमग्न होकर रह जाती है। इसलिये इसके बारे में कुछ सोचना चाहिये।

राजस्थान नहर बनाने का काम गम्भीरता से करना चाहिये ताकि राजस्थान मरुस्थल स्थल से बदल कर उपजाऊ बन जाये। मालूम हुआ है कि जैसलमेर क्षेत्र में ज़मीन के भीतर पानी पाया गया है। मेरा निवेदन है कि इस पानी का उपयुक्त रूप से प्रयोग किया जाना चाहिये ताकि राजस्थान में अच्छी तरह सिंचाई हो सके।

टिक्करपाड़ा बांध का काम क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि सिंचाई की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है। इससे बहुत कम क्षेत्र में सिंचाई होगी। और बहुत सा क्षेत्र जलमग्न हो जायेगा।

खेती के स्थान परिवर्तन से भूमि कटाव बढ़ता है। अतः मेरा निवेदन है कि उसे छोड़ देना चाहिये और जो लोग उसमें लगे हुए हैं उनको वैकल्पिक रोज़गार दिया जाना चाहिये।

महानदी की घाटी में दंडकारण्य है। वहां शरणार्थियों को बसाने के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है। मेरा सुझाव है कि वहां वनों को नहीं काटना चाहिये।

जंगली जानवरों के संरक्षण पर सरकार बहुत कम ध्यान दे रही है। सरकार को चाहिये कि वह उनके संरक्षण पर अधिक से अधिक ध्यान दे। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि कोई भी नस्ल खतम न हो जाये। अंधाधुंध शिकार को भी हतोत्साहित करना चाहिये। कस्तूरी का निर्यात बन्द किया जाना चाहिये। ताकि कस्तूरी मृगों की नस्ल को बनाये रखा जा सके। जंगली जानवरों की देखभाल के लिये एक बोर्ड बनाया गया था। उसने कुछ सिफारिशें की थीं लेकिन उन पर कोई अमल नहीं किया। इन जानवरों के संरक्षण के लिये कुछ राज्यों ने अधिनियम बनाये हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि इन जानवरों की सुरक्षा के लिये अवश्य ही कुछ न कुछ करना चाहिये।

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन) : बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हमें खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये यह उपाय किया गया है कि देश में यंत्रीकृत फार्म खोले जायें। राजस्थान के सूरतगढ़ स्थान पर यंत्रीकृत फार्म खोला गया है। और फार्म खोलने के लिये सरकार के पास प्रस्ताव आये हैं। मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। अतः सरकार को बेतूल जिले में एक यंत्रीकृत फार्म खोलने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चुना गया यह स्थान बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि वहां की भूमि बहुत ही अच्छी है जलवायु भी अच्छी है। सुना है कि राजस्थान में ही सरकार एक दूसरा फार्म बनाने जा रही है। मेरा सुझाव है कि इन फार्मों को प्रदर्शन का रूप भी देना चाहिये। अतः मध्य प्रदेश में निश्चय ही एक फार्म बनाना चाहिये ताकि अड़ोस पड़ोस के सभी राज्यों के लोग वहां आकर उस फार्म को देखें। अतः मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश में यंत्रीकृत फार्म बनाने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्ण रूप से विचार करे और वहां फार्म बनाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसे फार्म सभी राज्यों में बारी-बारी से स्थापित किये जाने चाहियें लेकिन सब से पहले मध्य प्रदेश को प्राथमिकता दी जाये ।

मध्य प्रदेश में चम्बल और उसकी सहायक नदियों की कगारों में काफी भूमि अनुपयुक्त पड़ी है । वहां लगभग छः लाख एकड़ भूमि का कृष्यकरण होना है ।

मध्य प्रदेश की समस्या बड़ी विशाल है और उसके संसाधन अत्यन्त सीमित हैं । इसलिये केन्द्र को उसकी सहायता करनी चाहिये । तृतीय योजना में इसके लिये केवल १० लाख रुपये रखे गये हैं । जब कि चम्बल की घाटियों की भूमि का कृष्यकरण करने में ६०० से १००० रु० प्रति एकड़ लगेंगे । मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विशेष परियोजना निधि से २·७४ करोड़ की सहायता लेने की अनुमति के लिये केन्द्र से पूछा था, पर केन्द्र ने सहमति नहीं दी ।

डाकुओं से आक्रान्त उस प्रदेश की समस्या तभी सुलझाई जा सकती है जब सामातु जनता के लिये रोजगार की कोई व्यवस्था कर दी जाये । लेकिन वहां उद्योग तो हैं नहीं, और भूमि तभी दी जा सकती है जब उसका कृष्यकरण हो जाये ।

सड़कों और संचार-सुविधाओं के विकास के बल पर उन प्रदेशों की असुरक्षा दूर की जा सकती है ।

दूसरी ओर मध्य प्रदेश में ही वनों का सब से बड़ा क्षेत्र है । लेकिन वहां कोई भी अनुसन्धान केन्द्र नहीं है । केन्द्र को वहां अपना अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की योजना तुरन्त कार्यान्वित कर देनी चाहिये ।

भारत सरकार को वहां वन अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव मान लेना चाहिये ।

कृषि विकास के लिये सब से अधिक महत्वपूर्ण यही है कि पौधों का परिरक्षण किया जाये । उनको रोगों और कीटों से बचाया जाय । ऐसे केन्द्र तो राज्यों में हैं, पर उनको अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिये ।

साथ ही, खाद्य भंडार को चूहों और बन्दरों से बचाने के लिये हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम सुभग सिंह ने जो आश्वासन दिया है कि वह सदस्यों के सुझावों पर विचार करेंगे, इसके लिए मैं उनका आदर करता हूं और इसी भावना से कुछ विचार उनके सामने रखना चाहता हूं ।

खेती के लिए भूमि तो आवश्यक है ही, पर भूमि के साथ दो चीजें अत्यन्त आवश्यक हैं, एक तो गाय और दूसरा जल । यदि किसान के पास भूमि है और गौ नहीं है तो उसकी खेती अच्छे प्रकार से नहीं हो सकती । गौ अत्यन्त आवश्यक है । अगर किसी चीज को किसान का प्राण कहा जा सकता है तो वह गौ है । गौ से ही बैल मिलते हैं जो कि हल भी चलाते हैं और दूसरा काम भी करते हैं । उनके गोबर से खाद मिलती है । जिससे खेती करने वाले का सारा काम होता है ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार बड़ी बड़ी चीजें बना रही है । बनाएं, मुझे उससे विरोध नहीं है । लेकिन जो खेती का काम छोटे पैमाने पर किया जाता है उससे जनता का अधिक लाभ होता है । उदाहरण के लिये जिस समय गन्ना पेला जाता है तो उस काम में मजदूर और किसान रात दिन लगे रहते हैं । रात दिन कोल्हू चलते हैं । और वह मजदूर जिनके पास खाने को नहीं है, गन्ने का

[श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती]

रस पीकर अपनी भूख मिटाते है। बहुत आदमी इस धंधे में लगे रहते हैं, कोई कोल्हू चलाता है, कोई पत्ती लाता है, कोई गन्ना लाता है, और इससे गांव में बड़ी रौनक रहती है। इससे एक बड़ा लाभ होता है कि जिन दिनों कोल्हू चलते हैं उन दिनों गांवों में चोरियां नहीं होतीं। तो मैं आपके सामने यह चीज रखना चाहता हूं कि छोटे पैमाने पर जो काम किए जाते हैं उनमें लोगों को ज्यादा मजदूरी मिलती है। अगर आप सैंकड़ों कोल्हू नष्ट कर के एक मिल खड़ी कर दें तो बहुत से मजदूरों की मजदूरी नष्ट हो जायेगी। हजारों आदमियों का रोजगार बंद होगा। यह ठीक है कि उससे कुछ को रोजगार मिलेगा परन्तु उस जनता को जिनको रोजाना खाद्य सामग्री चाहिए उनके लिए अच्छा यही है कि उनके लिए छोटे छोटे धन्धे खोले जायें जिनमें सबको समान रूप से काम मिल सके।

मैंने गौ के बारे में भी कहा था। गाय से दूध तो मिलता ही है और जिस खेत में गौ या बकरी बैठती हैं उस खेत के लोगों को क्षयरोग नहीं होता। गायों और बकरियोंको खेतों में बिठाना क्षय रोग का इलाज है। गाय जहां दूध देती है वहां यह काम भी कर देती है। अगर कपिला गाय का दूध दिया जाये तो कुष्ठ रोग नहीं हो पाता। मेरा सुझाव है कि गाय की उपयोगिता को देखते हुए कानुन द्वारा गोहत्या को बन्द कर दिया जाए। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो बीस साल के अंदर इतनी गाय हो जाएंगी कि मरने वाली गायों से ही आपको चमड़े की, हड्डी की, और इसी तरह की चीजों की जरूरत पूरी हो जाएगी। किसान के लिये मुख्य आधार गाय है।

संस्कृत में गौ भूमि को भी कहते हैं और गाय को भी कहते हैं, दोनों समान रूप से उपयोगी हैं। चूंकि खेती का आधार सब से पहले गाय पर है इसलिए आप किसान को प्रोत्साहित कीजिए कि अगर उसके पास दस बीघा जमीन है तो उसमें से एक बीघा वह गोचर भूमि छोड़े। उसमें उसके पशु भी चरेंगे और साथ में उसको लकड़ी भी मिलेगी जिससे उसको गोबर जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उसका वह खाद बना सकेगा जो कि बहुत लाभकारी है।

दूसरी समस्या जल की है। अब जल की समस्या के समाधान के लिये यह ठीक है कि नहरें भी चाहिए और बड़े बड़े बांध भी बनने चाहिएं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि शायद डा० राम सुभग सिंह को यह मालूम होगा कि किरातार्जुनीय ग्रंथ में यह घटना आती है कि महाभारत काल में दुर्योधन के राज्य में देवमात्रिक खेती होती थी अर्थात् वर्षा के आधार पर खेती होती थी। तब कोई अकाल अथवा दुष्काल नहीं पड़ा करता था। उस समय यह भावना किसानों में विद्यमान थी और उनको सब आवश्यक साधन सुलभ थे। गौ का थोड़ा सा घी और उसी प्रकार से उत्तम, उतम पदार्थ यदि प्रत्येक घर में अग्नि में डाले जायें तो अपने आप बादल बनेंगे और ठीक समय पर वर्षा होगी। गाय रखने से किसान को दूध और खाद्य मिलेगी। दूध पीने से एक बड़ा लाभ भी होगा कि जो भाई घी और दूध पीयेंगे और उनके शरीर में मल कम बनेगा और जब मल कम बनेगा तो सडांद कम बनेगी। वे और उनके बच्चे स्वस्थ होंगे और इस तरह से तमाम देश का स्वास्थ्य अच्छा होगा।

जल के लिये जसा मैंने आप से निवेदन किया, हमें नहरें बनानी होंगी। और नहरें बनाने के साथ साथ हमें यह भी करना चाहिये कि जहां नहरों के साथ में जमीन छोड़ी गई है उसे गौ आदि पशुओं को चरने के लिये छोड़ दिया जाये। कई बार यह किया जाता है कि अगर किसी किसान का पशु उधर आ जाता है तो उसको दंड दिया जाता है। यह तो भगवान ने सब को सब चीजें दी हुई हैं। ऐसे ही जंगल हैं। जंगल में भी किसानों को इसका अधिकार होना चाहिये कि वह वहां से अपनी जरूरत लायक लकड़ी काट कर ला सकें। थोड़ी बहुत लकड़ी जंगल से काट लाने का उनको अधिकार होना चाहिये वह कोई शहतीर तो काट कर लाते नहीं हैं जिस पर कि ऐतराज किया जा सके। ऐसी व्यवस्था होने

से जहां उस किसान का लाभ होगा वहां किसान के साथ जो मजदूर बंधा हुआ है उसको भी लाभ होगा और व्यापारी को भी लाभ होगा ।

चीनी की एक बड़ी समस्या हमारे सामने मौजूद है। आज लोगों की कुछ एक ऐसी मनोवृत्ति हो गई है कि वे गुड़ और शक्कर नहीं खाना चाहते मानो गुड़ और शक्कर उन्होंने कभी पहले देखी ही न हो । मैं अन्य महानुभावों की बात न कह कर स्वयं कांग्रेस शासक दल के लिए कह सकता हूं उनमें बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि गुड़ और शक्कर खाना पसन्द करते हैं और चीनी खाना पसन्द नहीं करते हैं। चीनी जिसको कि कन्द की खांड कहा जाता था उसे लेना नहीं चाहते। चीनी से पहले ही हमारे लोग इसलिये भी परहेज करते थे कि उनके अन्दर यह भावना थी कि इसको हड्डी मिलाकर साफ किया जाता है। इस तरह की चीजें थीं लेकिन अब तो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वह बात रही नहीं है और लोग आम तौर पर चीनी का व्यवहार करने लगे हैं।

चूंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है इसलिए मैं इस अवसर पर और अधिक कुछ न कहूंगा। मैंने आपके सामने जो बातें ऐसे कही हैं यह केवल किसानों के लिए ही लाभकारी नहीं हैं बल्कि किसानों के साथ जो मजदूर बधा हुआ है और जो व्यापारी बन्धा है उन सभी के लिए लाभप्रद हैं।

किसान ही नहीं वरन् उनके बालबच्चे और स्त्री आदि सभी काम कर लेते हैं। एक किसान को देखिये । ७० वर्ष का बुड्ढा भी खेत में काम करता है और ८ वर्ष का बच्चा भी खेती का काम करता है । उनके घर की देवियां भी सब काम करती हैं। अगर उन सब की मजदूरी लगाई जाय तो यह जो गन्ने का दाम दिया जाता है वह बहुत थोड़ा है। गेहूं का दाम भी थोड़ा दिया जाता है। हरा गन्ना जिसकी चीनी खाते हैं उसका दाम किसान को केवल १ रुपया दस आने मन दिया जाता है ऐसी हालत में वह किसान सूखी लकड़ी जलाने के लिये ४रुपये मन खरीदने की कैसे हिम्मत कर सकता है? यह कितने अन्धेर की बात है कि एक मन गन्ने का दाम तो उसे मिले केवल १ रुपया १० आने लेकिन सूखी लकड़ी और कंडा जो जलाया जाता है वह किसान को चार रुपये मन के हिसाब से बेचा जाय। यह तो किसान के ऊपर घोर अत्याचार करना है। आप भले ही शौक से उसे एक मन गन्ने का १ रुपया दस आने हो मूल्य दें लेकिन साथ ही इसका भी तो प्रबन्ध करें कि किसान को उसकी आवश्यकता की चीजें कपड़ा आदि मुनासिब दाम पर मिलें। यह बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले दिल्ली के बाजार को मंहगा कर देते हैं। किसान गाड़ी भर गन्ना या अनाज जो वह मंडी में बेचने को ले जाता है उसके बदले में वह केवल थोड़ा सा कपड़ा कंधे पर डाल कर घर लौटता है। मंडी की यह हालत है कि उस बेचारे किसान को यह भी पता नहीं रहता कि वह अपना गल्ला या गन्ना किस भाव पर बेच रहा है। क्या भाव चल रहा है और क्या भाव नहीं चल रहा है उसको कुछ पता नहीं रहता है बस वहां तो यही रहता है कि दे, दे, ले ले। सरकार का यह कर्तव्य है कि उधर ध्यान दे। किसानों को उनकी उपज के मुनासिब दाम मिले। साथ ही सरकार इसका भी कुछ प्रबन्ध करे कि किसानों को उनकी आवश्यकता की चीजें कपड़ा, खेती के काम आने वाले औजार आदि मुनासिब दामों पर मिलें। भारत चूंकि एक कृषि प्रधान देश है इसलिये यदि यहां का किसान खुशहाल बनेगा तो राष्ट्र समृद्धिशाली बनेगा। वर्तमान युग के एक बड़े महापुरुष महर्षि स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में कहा भी है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना) : मैं केवल एक ही चीज लेता हूं। कृषि की समस्या भी उतनी ही पेचीदा है जितनी कि आण्विक युद्ध की समस्या।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगदेव सिद्धान्ती]

संसार में १७५० से १८५० के बीच कृषिक्रान्ति हुई थी । उसने समूचे संसार की कृषि का ढांचा ही बदल कर रख दिया है ।

लेकिन भारत की कृषि व्यवस्था पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वह पिछले २,००० वर्ष से ज्यों की त्यों बनी हुई है ।

हमारे गांवों की दशा ज्यों की त्यों बनी हुई है । देश के वैज्ञानिक विकास का गांवों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है ।

इसका कारण यह है कि प्रशासन का ही दृष्टिकोण अभी क्रांतिकारी, उग्रपरिवर्तन के लिये तैयार नहीं है । हमारे प्रशासकों में अभी समस्या को पूरी तौर से समझने की क्षमता ही पैदा नहीं हुई है ।

दोष कृषकों का नहीं, हमारा स्वयं का है, जो परिवर्तन से प्रभावित नहीं हुए हैं ।

सब से पहली चीज तो यह कि आपको लोगों को हर तरह का काम करने के लिये प्रशिक्षित करना चाहिये । ग्राम के स्तर पर कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण होना चाहिये, उससे आगे बढ़ कर कृषि-कालेज और कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण ।

दूसरी चीज हमें ध्यान में यह रख लेनी चाहिये कि कृषि उत्पादन देश की आवश्यकताओं से अधिक होना चाहिये। उत्पादन तभी बढ़ेगा जब कि कृषकों को अपने उत्पादन का उचितमूल्य मिले।

मूल्यों की समतुल्यता का आधार सामाजिक न्याय होना चाहिये । मजदूरों और कृषकों को अपने श्रम और अपने उत्पादों का इतना मूल्य मिलना चाहिये कि उनके रहन-सहन का स्तर समान रह सके ।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी की तरफ से जो डिमांड्ज फ़ार ग्रान्ट्स पेश हुई हैं, मैं उन का समर्थन करता हूं । लेकिन उस के साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पास उचित प्लानिंग नहीं । उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि पहले सरकार ने कहा कि गन्ना बोओ, लेकिन जब लोगों न गन्ना बोया और खेतों में फ़सल खड़ी थी, तो सरकार ने आदेश दिया कि चीनी बनाने में दस परसेंट की कमी कर दी जाये । इस का नतीजा यह हुआ कि किसानों में बचैनी फैली । यह ठीक है कि सरकार ने , मंत्री महोदय न और फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ध्यान दिया है, लेकिन तथ्य यह है कि जब गन्ना पैदा हो गया, तो सरकार को आर्डिनेन्स निकालने की जरूरत नहीं थी । सरकार के पास इतना बड़ा महकमा और स्टाफ रहते हुए भी प्रापर प्लानिंग नहीं है और उस के कारण किसानों को बड़ी तक्लीफ हो रही है और उनको बहुत तरह का घाटा हो रहा है ।

खेती के महकमे की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि १९६०–६१ में फूडग्रेन्ज़ का प्राडक्शन बढ़ कर ७९ ·३ मिलियन टन तक पहुंच गया । प्रौडक्शन तो बढ़ गया है, लेकिन मैं आप को बताना चाहता हूं कि सरकार हर साल कितने रुपये का ग़ल्ला बाहर से मंगा रही है । १९६० में सरकार ने १,८००० लाख रुपये का ग़ल्ला बाहर से मंगाया । इसी तरह तेरह बरस की स्वाधीनता की जिन्दगी में सरकार ने १६०९ ·०२ करोड़ रुपये का ग़ल्ला इस देश में मंगाया और उस के बाद जब से देश में प्लानिंग हो रहा है, उस दस बरस की अवधि में १५४ · १० करोड़ रुपये का ग़ल्ला मंगाया गया । मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार कहती है कि देश में ग़ल्ले की पैदावार बढ़ रही है तो फिर बाहर से इतना ग़ल्ला मंगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है । सरकार का यह कसा प्लानिंग है कि इन तेरह

---

†मूल अंग्रेजी में

बरसों में—और प्लानिंग शुरू होने के बाद भी—इतना ग़ल्ला बाहर से मंगाना पड़ा ? मैं अनुभव करता हूं कि खेती के महकमे की तरफ़ हम को जितना ध्यान देना चाहिये, उतना नहीं दिया गया है। कल-कारखानों की ओर हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन खेती पर जो ध्यान देना चाहिये, वह नहीं दिया जा रहा है। इस में लिखा हुआ है कि आप ने प्लानिंग के ऊपर १६,००० करोड़ रुपया खर्च किया है इतना रुपया खर्च कर चुकने के बाद भी आप को बाहर से गल्ला मंगाना पड़ रहा है। आप कहते हैं कि आप का गल्ले का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जो गल्ले की पोज़ीशन है वह सैटिसफ़ैक्टरी है। कल ही हमारे थामस साहब कह रहे थे कि उन की फ़िगर्ज़ ठीक हैं। लेकिन मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि किदवई साहब जो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वे कहा करते थे कि सरकार की जो फिगर्ज़ हैं वे रिलाएबल नहीं हैं। जिन माननीय सदस्यों ने किदवई साहब के भाषण को सुना है वे जानते हैं कि उन के फ़िगर्ज़ के बारे में क्या विचार थे। हमारे थामस साहब को फ़िगर्ज़ पर बड़ा नाज़ है। लेकिन मैं उन को यह भी बतलाना चाहता हूं कि राव साहब जो हिन्दुस्तान के एक माने हुए इक़ोनोमिस्ट हैं, उन का कहना यह है कि हमारा गल्ले का प्राडक्शन नहीं बढ़ा है, वह नहीं बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस तरफ ध्यान दें।

हमें देखना होगा कि हमारे पास जितनी जमीन खेती की है उस में से कितनी इरिगेटिड है और कितनी नान-इरिगेटिड। इरिगेटिड लैंड पर हमें ज्यादा ध्यान दे कर पैदावार को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये। बहुत से माननीय सदस्य फर्टिलाइज़र पर बहुत जोर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप पानी वाली ज़मीन में फर्टिलाइज़र दे दें लेकिन जब तक आप गोबर नहीं देंगे आप का खेत कुछ दिनों के बाद ऊसर हो जायगा। इस वास्ते गोबर देना बहुत जरूरी है। हमारे ढेबर भाई जी ने बैलों का ज़िक्र किया था। उन की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप कहते हैं कि आप बाहर से बुलडोज़र मंगायगे। लेकिन क्या क्या चीजें आप बाहर से मंगा सकते हैं ? अगर आप बुलडोज़र मंगा भी लें तो बुलडोज़र गोबर तो नहीं दे देंगे। मेरा यह निश्चित मत है कि जब तक गोबर नहीं जमीन में डाला जायेगा, खेती की उन्नति होना असम्भव बात है। आर्गेनिक खाद बहुत जरूरी है। जहां गोबर का खाद दिया जाता है, वहां अगर पानी कम भी होता है तो भी फसल रह जाती है लेकिन अगर फर्टिलाइज़र दे दें और पानी न आये तो फसल खराब हो जाती है। इस वास्ते गोबर की खाद का इंतज़ाम होना बहुत जरूरी है।

अब मैं लैंड रिफार्म्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे डाक्टर साहब ने कहा कि लैंड रिफार्म्स हुई हैं। बिहार में भी लैंड रिफार्म्ज़ हुई हैं। लेकिन अभी तक भी वहां पर जमींदारों को उन का कम्पेंसेशन नहीं दिया जा सका है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी सतर अस्सी रुपया पाने वाला एक जमींदार हूं। आठ बरस हो गये हैं मेरी जमीन को लिये हुए लेकिन आज तक मुझे कम्पेंसेशन नहीं मिला है। आप कहते हैं कि आप ज़मीन पर सीलिंग लगायेंगे। आप सीलिंग तो लगायें लेकिन सीलिंग लगाने के बाद आप मुआवज़ा तो देंगे या नहीं देंगे और अगर देंगे तो क्यों नहीं दिया जाता है।

सब से जरूरी बात को मैं कहना चाहता हूं यह है कि सीलिंग के साथ साथ बिहार में एक लैवी लगा दी गई है। लैवी क्या है और किस तरह यह लगाई गई है, यह मैं आप को बतलाता हूं। जिस आदमी के पास बीस एकड़ ज़मीन है, उस को कम सरकार को मुफ्त में ज़मीन देनी होगी और इस का उस को सरकार की तरफ से कोई मुआवज़ा नहीं दिया जायेगा। एक एकड़ से ज्यादा जिस आदमी के पास ज़मीन है, उस को भी लैवी देनी होगी। हमारे ढेबर भाई सदाकत आश्रम गये थे और उन्हों ने वहां भाषण किया था। हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि समाजवादी समाज की स्थापना के बारे में हमारा जो प्रस्ताव है, उस में हम पेंटलैस सोशलिज्म नहीं चाहते। लेकिन यह पेंटलैस सोशलिज्म नहीं तो क्या है जिस के पास कम ज़मीन है, उस को लैवी के रूप में कम देनी पड़ेगी और जिस के पास ज्यादा है, उस को ज्यादा देनी पड़ेगी। जिस के पास कोई तीन एकड़ है, उस को कम देनी पड़ेगी लेकिन

[श्री विभूति मिश्र]

जिस के पास बीस एकड़ या उस से ऊपर है, उस उस जमीन का छठा हिस्सा लैवी के रूप में देना पड़ेगा। इस बीस एकड़ वाले को तीन साढ़े तीन एकड़ जमीन लैवी के रूप में देनी पड़ेगी। इस में लिखा हुआ है कि इस में १/२०वां हिस्सा देना पड़ेगा।

आगे चल कर लिखा है कि वन सिक्स्थ चला जाता है बीस एकड़ में से।

उपाध्यक्ष महोदय : टाइम खतम हो रहा है।

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, आप के ऊपर "धर्म चक्र प्रवर्तनाय" लिखा हुआ है। यह कैसा धर्म हुआ कि किसी माननीय सदस्य को तो पंद्रह पंद्रह मिनट दे दिये जायें और किसी को दस भी न दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : तीन बजे मिनिस्टर साहब को बुलाना है।

श्री विभूति मिश्र : यह तो आप के अधिकार में है, जब आप चाहें उन को बुलायें। लेकिन किसी माननीय सदस्य को पंद्रह पंद्रह मिनट मिल जाते हैं और किसी को दस भी नहीं मिलते हैं, यह कैसा "धर्मचक्र प्रवर्तनाय" है।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्यों को तो वह भी नहीं मिलता है।

श्री विभूति मिश्र : लेकिन कई कई माननीय सदस्य ऐसे भी हैं, जो तीन तीन बार बोल चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो एक बार भी नहीं बोल सके हैं और उन को वक्त नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप खत्म करने की कोशिश करें।

श्री विभूति मिश्र : मैं अभी खत्म कर रहा हूं।

जो लैवी लगाई है उस का नतीजा यह होगा कि जिस के पास एक एकड़ या दो एकड़ जमीन है, उस को कम देनी पड़ेगी और जिस के पास बीस एकड़ है, उस को तीन साढ़े तीन एकड़ जमीन देनी पड़ेगी। समझ में नहीं आता है कि इस तरह से किसान कैसे ज़िन्दा रह सकता है। एक तरफ तो आप चार चार और तीन तीन हज़ार रुपये महीना तनख्वाह देते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना इतना या इस से भी अधिक कमाते हैं और उन पर कोई सीलिंग नहीं है और दूसरी तरफ ये बेचारे गरीब किसान हैं, जिन से मुफ्त में जमीन ली जा रही है। ये जो चार चार और तीन तीन हजार कमाने वाले हैं, इन के बारे में हमारे विनोबा जी भी नहीं बोलते हैं। मेरी उन से यह शिकायत है। उन के साथ मैं ने एक महीना रह कर काम किया है। लेकिन वह भी ये जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाने वाले हैं, बड़े बड़े कारखानेदार हैं, जो शहरी लोग हैं, उन के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। यह जो लैवी लगाई जा रही है, यह ठीक नहीं है। जिस के पास दो एकड़ जमीन है या तीन एकड़ जमीन है, और जिस के यहां बीस आदमी खाने वाले हैं, पचीस आदमी खाने वाले हैं और जिन को रोटी खाने को नहीं मिलती है उन के ऊपर बिहार में लैवी लगाई जा रही है। यह पैंटलैस सोशलिज्म नहीं है तो क्या है।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान जो पैदा करता है, उस चीज़ की उस को पैरिटी प्राइस मिलनी चाहिये। किसान इतनी मेहनत करता है लेकिन उस को पैरिटी प्राइस नहीं मिलती है। दूसरे जो कल-कारखानों वाले हैं वे जो सामान पैदा करते हैं, उन की चीजों के उन को दाम अधिक मिल जाते हैं लेकिन किसान को कम मिलते हैं। आज एक कटोरी का दाम ज्यादा है और दूध का

दाम कम है। कटोरी के बिना तो हम जिन्दा रह सकते हैं लेकिन दूध के बिना जिन्दा नहीं रह सकते हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि खाने पीने की चीजों के उचित दाम उस को मिल सकें, इस प्रकार की आप को व्यवस्था करनी चाहिये।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : एक औचित्य प्रश्न है। कुछ माननीय सदस्य चिटों पर लिख कर अध्यक्ष महोदय के पास भाषण करने की अनुमति मांगते हैं। यह सभा का अवमान है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। न यह अवमान है।

श्री कोया भाषण करें।

†**श्री कोया** (कोझीकोडे) : मैं कुछ ऐसे विषय लेना चाहता हूं जिन पर माननीय सदस्यों ने कुछ भी नहीं कहा है।

देश की खाद्य समस्या के संदर्भ में मछलियों की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण है। तृतीय योजना में बताया गया है कि मछलीमारी और उस के सहायक उद्योगों में लगभग दस लाख व्यक्तियों को रोजी चलती है। सरकार उसे यंत्रीकृत करने का प्रयत्न कर रही है। यदि उसे उचित रूप में विकसित किया जाये तो बहुत लोगों की रोजी चल सकती है। साथ ही पोषक तत्वों की कमी भी एक हद तक पूरी की जा सकती है।

केरल के कालीकट निर्वाचन क्षेत्र में मछुओं के अनेक गांव हैं। समुद्री मछलीमारी में केरल का योगदान एक-चौथाई है। उसमें अभी सुधार की बड़ी गुंजाइश है। यदि उनकी नौकाओं का यंत्रीकरण कर दिया जाय, तो वे समुद्र में १५-२० मील तक मछलीमारी करने जा सकते हैं। अभी वे केवल २-३ मील तक ही जाते हैं।

और, अभी मछलीमार लोग ताजा मछली बाहर नहीं भेज पाते। यह तभी हो सकेगा जब मद्रास-मंगलौर मेल तानुर में रुकने लगे।

अभी बिना किसी विकास के, यह भी निश्चित नहीं रहता कि मछली कितनी हाथ लगेगी। कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। कुछ ऐसा मौसिम भी होता है जब मछलियां नहीं मिलतीं। उन दिनों मछुओं के लिये किसी दूसरे काम की व्यवस्था की जानी चाहिये। हमें उनके लिये वैकल्पिक रोजगार जुटाने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

मछलियों को सहेजकर रखने की भी व्यवस्था जरूरी है।

मछलियों के परिवहन के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये।

मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मलाबार तट के मछुओं की हालत हरिजनों से भी बुरी है। उन के लिये उचित ढंग के मकानों की व्यवस्था की एक योजना तैयार की जानी चाहिय।

†**श्री लीलाधर कटकी** (नवगांव) : मैं माननीय उपमंत्री की इस बात से सहमत नहीं कि देश में खाद्य की परिस्थिति अब सुविधापूर्ण हो गई है। यदि हम पिछले दो वर्षों के उत्पादन के आंकड़े देखें, तो उत्पादन में कोई अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। पिछले वर्ष का उत्पादन केवल ७९३ लाख टन था जबकि तृतीय योजना की समाप्ति तक १० करोड़ टन का लक्ष्य है। फिर हम आत्म-निर्भर कैसे बनेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री लीलाधर कटकी]

हमारा देश अभी भी विदेशों से खाद्यान्नों का आयात कर रहा है। कितनी लज्जा की बात है कि भारत जैसा कृषि प्रधान देश भी विदेशों से खाद्यान्न का आयात करे।

यदि योजना आयोग द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजना में दिये गये निदेशों का राज्यों ने पालन किया होता तो हम तृतीय योजना के अन्त तक खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकते थे। तृतीय योजना के १९वें अध्याय में जिला, खण्ड और ग्राम स्तरों पर योजना तैयार करने का निदेश दिया गया है। परन्तु राज्यों ने इसका कोई भी पालन नहीं किया।

सघन खेती का निदेश भी अधिकांश राज्यों ने नहीं माना है।

तब फिर हम अपने लक्ष्य की पूर्ति किस प्रकार कर सकेंगे ?

हम अभी तक अपनी कृषि सम्बन्धी योजनाओं में सहयोजना पैदा नहीं कर सके हैं। आवश्यकता है कि सभी मिलकर एकजूट प्रयास करें। हमें पंचायतों और सहकारी समितियों को अधिक सक्रिय बनाना चाहिये। कृषीय कार्यक्रमों को तीव्रता के साथ लागू करना चाहिये।

हमारी अब तक की प्रगति विशेष उत्साहवर्धक नहीं रही है।

श्री अ० चं० गुह ने मछली के बारे में कलकत्ता की दुर्दशा का जिक्र किया था। आसाम की हालत तो उस से भी बुरी है। वहां ८ से १० रु० सेर मछली मिलती है। उस पर भी मिलती नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी में मछली पकड़ने की कोई समुचित व्यवस्था है नहीं। ऊपर से आसाम की आबादी ३४.१ प्रतिशत बढ़ गई है। इसलिये आसाम की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

आसाम में दुग्ध का उत्पादन भी बहुत थोड़ा है। मंत्रालय को आसाम की गाय भैंसों की नस्ल में सुधार करने का प्रयास करना चाहिये।

†श्री त्यागी : मैंने अपना जीवन एक चरवाहे के रूप में आरम्भ किया था। मुझे याद है कि उन दिनों के गांव आज के सोवियत संघ के अच्छे से अच्छे कम्यूनों से भी बढ़कर थे। सभी काम सामूहिक रूप से किये जाते थे।

लेकिन अब हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि भूमि की कमी पड़ गई है। और, हम प्रति वर्ष १२५ करोड़ रुपये के मूल्य के खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं। यह स्थिति बड़ी खतरनाक है।

यदि हम इन १२५ करोड़ रुपये की आधी राशि भी कृषि पर व्यय करें, तो देश खाद्यान्न में आत्म-निर्भर बन सकता है। समस्या तुरंत हल की जा सकती है।

असल में मंत्रालय ने इतने सारे संगठन और विभाग इसके लिये खड़े कर डाले हैं कि काम चलना मुश्किल हो गया है।

कैम्पों में १०-१५ दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करके, हमारे कार्यकर्ता कृषकों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं ? जो गेहूं और बाजरे के पौधों में फर्क नहीं कर सकते, व कृषकों को क्या सिखायेंगे ? इससे ज्यादा अच्छा तो यह रहे कि नये उर्वरकों, इत्यादि के बारे में ब्यौरेवार पैम्फलेट प्रकाशित किये जायें। उन से कृषकों को ज्यादा सहायता मिल सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

हम आजकल क्रांतिकारी होने की बजाय संकल्पकारी हो गये हैं। हम संकल्प पर संकल्प पारित करते चले जाते हैं। केन्द्रीय मंत्रालय की कठिनाई यह है कि उसे राज्य सरकारों के जरिये काम करना पड़ता है। वह सीधे-सीधे काम नहीं कर पाता।

उर्वरकों की कमी की समस्या ही लीजिये। किसी राज्य के पास उर्वरक अधिक मात्रा में हैं, तो किसी के पास उसकी कमी पड़ जाती है।

गाय-भैंसें भी महंगी हो गई हैं। एक जोड़े की कीमत १५० से १५०० रुपये तक पहुंचती है। और किसन लोग ट्रैक्टर भी नहीं रख सकते। इसलिये राज्य को ट्रैक्टरों का प्रबन्ध करना चाहिये। किसान जिसे किराये पर ले सके।

किसानों की सुविधा के लिये इस प्रकार की कई मशीनें किराये पर चलानी चाहिये।

हमारे देश में सिंचाई की सुविधायें भी बड़ी अपर्याप्त हैं। काफी भूमि बिना सिंचाई के पड़ी हैं। हमें एक योजना बनानी चाहिये कि दो वर्ष में सारे भारत में सिंचाई का प्रबन्ध हो जायेगा, चाहे नहरों से हो, या नल-कूपों से।

लेकिन इसके लिये जी-जान से जुटने की आवश्यकता है।

योजना आयोग के सदस्यों में से किसी को भी कृषि का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। उनका ज्ञान किताबी है।

हमें बीज-फार्म बनाने के बजाय, कुछ जोन बना देने चाहिये और प्रत्येक ज़ोन में एक ही किस्म के बीज बोने चाहियें। तभी बीज अपने शुद्ध रूप में बने रह सकेंगे।

सरकार को तैयार कृषीय औजारों की व्यवस्था करनी चाहिये, जिनको किसान खरीद सकें।

प्रत्येक किसान को मन पसन्द की फसल बोने की स्वतंत्रता नहीं रहनी चाहिये। खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलों का एक निश्चित अनुपात रखना आवश्यक है। इतना नियंत्रण रखना चाहिये।

सीमा निर्धारित करना तो ठीक है किन्तु अलाभप्रद भूमि के टुकड़ों के बारे में क्या व्यवस्था है। या तो हमें विधि बनानी चाहिये कि बेटों की चाहे कितनी संख्या, भूमि एकक के रूप में रहेगी और अलाभप्रद टुकड़ों में नहीं बांटी जायेगी और यदि आवश्यक हो, तो सहकारी संस्थाओं को देनी चाहियें।

सर्वोदय भूमि सहकारी संस्थाओं को देनी चाहिये। यदि कोई भूमिहीन मजदूर उसे लेना चाहे, तो उसे सहकारी संस्था का सदस्य बनना चाहिये।

***श्री मुत्तू गोंडर** (तिरुपत्तूर): कहा गया है कि १९६०–६१ में खाद्यान्न उत्पादन ७९३ लाख टन हुआ है, किन्तु हम देखते हैं कि मूल्य अब भी बढ़ रहे हैं। जनसंख्या १ प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ रही है और खाद्यान्न में वृद्धि ६ प्रतिशत है। इसलिए यह समझ में नहीं आता कि खाद्यान्नों के मूल्य कम क्यों नहीं हो रहे। हमें एसी व्यवस्था करनी है कि लोग अनाज कम खायें और सब्जियां तथा विटामिन अधिक खायें। अधिक मछली, अंडे, फल, मांस आदि पैदा करने से लोगों के खाने की आदतें बदली जा सकती हैं। और उन्हें संतुलित भोजन मिल सकता है।

---

*मूल तामिल के अंग्रेजी अनूवाद से अनुदित

[श्री मुत्तु गौंडर]

मैसूर में टेपियोका और मूंगफली के आटे का जो सस्ता खाद्य बनाया जाना था, वह अभी तक बाज़ार में नहीं आया। यदि इसे उपलब्ध करा दिया जाये, तो चावल की मांग कम हो सकती है।

प्रत्येक नगरपालिका की एक पक्की दुग्धशाला होनी चाहिये।

उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों की दशा में सुधार करना आवश्यक है। उन्हें उचित मूल्य मिलने चाहिये और सरकार को उन में कमी नहीं करनी चाहिये। यदि जनता ऊंचे दामों पर खाद्यान्न न खरीद सके तो सरकार को मूल्यों में सहायता देनी चाहिये।

कुंओं का पानी प्रयोग करने वाले किसानों की कठिनाई की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये उन किसानों को कुंएं खोदने चाहिये, बिना सूद के ऋण देने चाहिये और ये सब जातियों के गरीब किसानों को देने चाहियें। छोटे किसानों के लिए भूमिकर माफ होना चाहिये।

मुर्गीपालन का काम संतोषजनक नहीं है और अंडों के दाम बढ़ रहे है। खंड विकास अधिकारी कृषि स्नातक होना चाहिये और अनुभवी होने चाहिये। प्रति एकड़ उपज के मुकाबलों को उदारता से इनाम मिलने चाहियें। ग्रामों के डिपोओं मे उर्वरक रखने चाहियें, जो कि किसानों को नकद दामों पर या उधार पर दिये जायें।

†**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** (खम्मम): श्री ढेबर ने कल ठीक कहा था कि देश का आधार कृषि है और गाय कृषि की जननी है। यदि हम गाय की रक्षा न करें, तो हमारे बच्चों को पोषण कैसे प्राप्त होगा। आज कल देखा जा रहा है कि स्वस्थ पशू भी बूचड़खानों में भेजे जा रहे हैं। सरकार का यह फ़र्ज़ है कि वे उपयोगी पशुओं को बचाने का प्रबन्ध करे।

हम खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर नहीं हैं, इस के लिए खेद प्रकट किया गया है। खाद्यान्न आयात करने में कई नुक्सान हैं। हम बहुत सी विदेशी मुद्रा खाद्यान्न विशेषतया चावल आयात करने में ज़ाया कर रहे हैं। चावल का उत्पादन मांग से बहुत कम है, जो कि बढ़ती जा रही है। हमें कम से कम समय में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेनी चाहिये।

श्री अ० म० थामस ने कल बताया था कि कुछ राज्यों में खाद्यान्नों के स्थान पर पटसन जैसी वाणिज्यक फसलें उगाई जा रही हैं। सरकर को इस बात को रोकने के लिए तरीके सोचने चाहियें। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो भारत सदा के लिए विदेशों पर निर्भर रहेगा।

पहली पंचवर्षीय योजना के समय से सरकार कहती रही है कि खाद्यान्न के लक्ष्य पूरे होते रहे हैं। किन्तु यह पूर्ण रूप से सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि हम ८०० लाख टन खाद्यान्न के लक्ष्य के होते हुए ४०० लाख टन बड़ी फ़सलें और ४०० लाख टन छोटी फसलें पदा करते हैं, तो इसे लक्ष्य की पूर्ति नहीं कहा जा सकता क्योंकि बड़ी फसलों का हमारा लक्ष्य ६०० टन है।

हमारी कृषि योजना में यह त्रुटि है भूमि उपयोग को फसलों के फेर बदल के अनुकूल नहीं किया गया। इसके लिए आवश्यक है कि तीसरी योजना के ग्राम योजनाओं को कड़ियों में बांटा जाये, जिसके अनुसार लोगों से कहा जाये कि वे अपनी भूमि का एक भाग लक्ष्यों के अनुसार फसलें उगाने के लिए अलग रख दें और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए हमें उन्हें उत्पादन तथा फसलें बेचने की सुविधाएं देनी चाहियें। उत्पादन के समय उर्वरक उपलब्ध करना चाहिये बोने के मौसम से पहले एक बुनियादी मुल्य निर्धारित कर देना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

मैं इस बात पर सदस्यों से सहमत हूं कि हमें अपने लोगों को अधिक घनी कृषि करने के लिए प्रेरित करना चाहिये । उवर्रक के सम्भरण के मामले में हमें छोटे छोटे कारखाने स्थापित करने चाहियें, जिन में स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग हो सके और इसके प्रचार की पुस्तिकाएं स्थानीय भाषाओं में होनी चाहियें ।

कृषि श्रम की ओर, विशेषकर स्त्री कृषि श्रमिकों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । देखा गया है कि यद्यपि वे मरदों से अधिक काम करती है, उन्हें मज़दूरी कम दी जाती है । यह शोषण बन्द होना चाहिये ।

भूमि सुधार कार्यक्रम को शीघ्र से शीघ्र क्रियान्वित करना चाहिये, क्योंकि कृषि परिवारों की संख्या बहुत बढ़ रही है ।

श्री मरंडी (राजमहल) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है । भारत में अधिकतर लोग खेती से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं । जितने भी जीवधारी हैं सब को खाने की जरूरत होती है । इस लिये कृषि ही एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया के सब लोगों के लिये जरूरी है । मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कृषि प्रधान देश होने पर भी यहां की जनता गरीब है । न तो उन के रहने के लिये सुन्दर मकान हैं और न पहनने के लिये सुन्दर वस्त्र हैं । यह बात ठीक है कि हमारी सरकार कृषि को आगे बढ़ाने के लिये बहुत कोशिश करती है, लेकिन हमारे काम करने वाले लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं । हमारे सन्थाल परगना में इस के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं हुआ है । जिस तरह से वह पहले था उसी तरह से अब भी है, बल्कि दिन दिन वहां के लोग गरीब होते जा रहे हैं । वहां की कृषि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । वहां पर रहने वाले अधिकतर आदिवासी लोग हैं । वे मूर्ख हैं लेकिन गरीब हैं, और सरकारी कर्मचारी वहां पर मनमाना काम करते हैं, जिस के कारण वहां की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है ।

सरकारी रिपोर्ट में मैं हमेशा देखता हूं कि देश में अन्न की वृद्धि हुई है, लेकिन अगर सही रूप से देखा जाय तो हमारे दक्षिण बिहार और सन्थाल परगना में अन्न की कोई वृद्धि नहीं हुई है । जो भी वृद्धि हुई है वह सरकारी रिपोर्ट में हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि योजना बनाने से ही जनता की भलाई नहीं होगी । सही रूप में सेवा की भावना से यह काम होना चाहिये क्योंकि जन सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है, और हमारे इस आजाद देश में तो वह और भी चाहिये। सन्थाल परगना के गरीब होने के कारण वहां पर बिहार सरकार ने एक महाजनी कानून बनाया है । लेकिन वह महाजनी कानून सिर्फ कागजों पर ही है, उसे सन्थाल परगना में लागू नहीं किया गया है । इस लिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उस महाजनी कानून को, जो कि बिहार सरकार ने बनाया है, वहां भी लागू किया जाय । इस से वहां की जनता का फायदा है ।

[श्री मरंडी]

हमारे सन्थाल परगना के लिये जो भी योजनायें बनती हैं वे नहीं के बराबर हैं। जितनी भी सिंचाई योजनायें बनी हैं वे बिल्कुल नहीं के बराबर हैं यहां तक कि एक बूंद पानी उन से मिलना मुश्किल है। रिपोर्ट में वहां के आदिवासियों की भलाई करने के लिये, वहां की जनता की भलाई करने के लिये, लाखों रुपये दिये गये हैं, लेकिन सही मानों में वहां की जनता की कोई भलाई नहीं हो रही है। इस लिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे वहां की गरीब जनता को ऊपर उठाने के लिये तन और मन से ध्यान दें। वहां पर जितनी भी छोटी छोटी नदियां और तालाब हैं उन से सिंचाई का काम लिया जाना चाहिये। चूंकि हमारा पहाड़ी इलाका है इस लिये थोड़ा भी पानी अगर होता है तो वह बह कर चला जाता है। जब तक उस को रोकने की व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक वहां कृषि के काम में कोई फायदा नहीं हो सकता है।

हमारे सन्थाल परगना में तीन किस्म की मिट्टी है। एक पथरीली मिट्टी है दूसरी बलूई मिट्टी है और तीसरी करारी मिट्टी है। जब भी हम सिंचाई के लिये करारी मिट्टी में कोई कुंआं आदि बनवाते हैं तो मिट्टी बैठ जाती है और कुंआ धंस जाता है। इस के लिये एस्टिमेट आप के पास नहीं है। और यही कारण र कि ज्यादा रुपया खर्च हो जाता है और लोग सिंचाई के लिये कुंएं नहीं बनवा सकते हैं। दूसरी मिट्टी पथरीली है। उस के लिये बहुत ज्यादा रुपया चाहिये अगर हम वहां कुंआं बनबाना चाहें। पथरीली होने की वजह से सिंचाई के कुंएं की जो भी स्कीमें हैं वे सफल नहीं हो सकती हैं। तीसरी किस्म की मिट्टी बलूई होती है। उस में लोग कुछ काम कर सकते हैं। संथाल परगना में जहां भी बलूई मिट्टी है वहां पर थोड़ा बहुत काम हुआ है। सरकार की ओर से कृषि कार्य के लिये लोहे के हल दिये जाते हैं, लेकिन सन्थाल परगना में जो हल दिये जाते हैं वे करारी मिट्टी में नहीं चल सकते हैं। हम लोग जब बीदर चलाते हैं तो वह करारी मिट्टी में कोई फायदा हमारा नहीं कर पाता है। इसलिये उस करारी मिट्टी के लायक हमारे प्रयत्न होने चाहियें ताकि हम वहां अच्छी तरह से खेती कर सकें और ज्यादा अन्न पैदा कर सकें। हमारे यहां बड़ी बड़ी सिंचाई योजनायें तो बनती नहीं हैं, इस के लिये वहां की लाखों जनता ने आवाज उठाई है कि उस स्थान में कोई बड़ी योजना बनाई जाय, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कृषि को आगे बढ़ाने के लिये जब तक वहां की छोटी छोटी नदियों का भी उपयोग नहीं किया जायेगा तब तक कृषि से ज्यादा अन्न नहीं उत्पन्न हो सकता। अन्न मनुष्यों के लिये बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि उस को ही खाकर वे जीवित रहते हैं।

तीसरी पंच वर्षीय योजना में कृषि के वास्ते जो धन रखा गया है वह बहुत ही कम हे। हमारे भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिये इस सम्बन्ध में सब से ज्यादा रुपया रखा जाना चाहिये था। मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय का ध्यान इधर जायेगा और वे सब से ज्यादा रुपया इस के लिये रखेंगे ताकि अधिक अन्न हमारे यहां उपजे और लोग सुखी हो सकें क्योंकि अन्न में ही आनन्द है।

अन्त में मैं फिर निवेदन करूंगा कि बिहार में महाजनी कानून अच्छी तरह लागू करना चाहिये ताकि जनता का फायदा हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आज वक्ता को बोलने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि कोई सदस्य तीन तरीकों से अध्यक्ष को अपने बोलने की इच्छा प्रकट कर सकता है। ये अध्यक्ष द्वारा निदेशों के निदेश संख्या ११५क में दिये गये हैं। पहला यह है कि उन के नाम दलों के द्वारा दिये जायें,

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा यह है कि वह सीधे ही अध्यक्ष को लिख सकते हैं और तीसरा यह है कि वह खड़े ही कर अध्यक्ष का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। मैं इन तरीकों का प्रयोग कर रहा हू।

श्री शिवनारायण (बांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज ११ बजे से साढ़े तीन बजे तक अपनी बारी की प्रतीक्षा में बैठा हूं तब मेरी बारी आयी है। यही दशा आज किसानों की है, न खाना है न कपड़ा है, न रहने को मकान है, और जो गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करती वह समझे कि उसकी क्या पोजीशन है। मैं कहना चाहता हूं कि सन् १९१९ में जब जर्मनी और इंगलैंड की लड़ाई हो रही थी तो जर्मनी ने कहा था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे खाने और कपड़े आदि की जिम्मेदारी ले ले तो हम सरेंडर करने को तैयार हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके लिए तैयार नहीं हुई। आज हमारी सरकार को यही समस्या हल करनी है।

यह हमारा सौभाग्य है कि आज इस सदन में कांग्रेस के एक्स प्रेसीडेंट मौजूद हैं जिनके नेतृत्व में हम ने काम किया। आज कांग्रेस की ही बदौलत यह सरकार यहां बैठी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यही नारा लगाकर काम किया था कि गरीबों को रोटी मिले, गरीबों का भला हो। देश की आजादी के लिए इसी हाउस में बम फेंका गया था, किसी जमाने में। उस को हमें नहीं भूलना चाहिए और उसे किसी इतिहासकार को नहीं भूलना चाहिए। संयोग से मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हू। मैं कहना चाहता हूं कि मैं बलरामपुर और नैपाल के बार्डर से आ रहा हूं जहां से मेरी एक बहिन भी आयी हैं। हम लोग गोलियों के बीच में से गुजरे हैं। जो हमारी बहिन सुचेता कृपालानी जी आज उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर हैं उन्होंने कैसे कैसे दिन देखे हैं। इन पर जो बीती है वह वही जानती हैं।

मान्यवर, यहां पर स्वतंत्र पार्टी के नेता जी बैठे हैं। मैं उन से कहना चाहता हूं कि कमाते तो हम हैं और वह २० पर सैंट लोगों के लिए खर्च होता है।

हमारे ढेबर भाई ने कहा है कि गवर्नमेंट को गोसम्वर्धन की स्कीम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वह खेती की उन्नति में बहुत सहायक हो सकता है। मैं ने भी इसी सिलसिले में सन् १९५२ में उत्तर प्रदेश में कहा था कि सरकारी कर्मचारी काम ठीक नहीं करते और सरकार की कब्र खोद रहे हैं। जो अधिकारी वर्ग है वह पूरा काम नहीं करता। आपके लाखों आदमी गांवों में खाद बनाने के लिए और दूसरे कामों पर लगे हैं लेकिन वे कुछ नहीं करते। मैं कहता हूं कि गवनमेंट गांवों से जो एक रुपया लेती है उसमें से चार आना गांवों को वापस कर दे तो गांधी जी की कल्पना का राम राज्य आ सकता है। हम हरिजन लोग कमाते हैं और थोड़े से सफेद पोश लोग उस पर मौज करते हैं। मैं विश्राम प्रसाद जी को जवाब देना चाहता हूं कि जो उन्होंने पंडित जी को अटैक किया था। वह ऊंचे जाना चाहते हैं। वह समाज में उन्नति लाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि पुराने सिस्टम को बदलो : उनकी नीति देश को आगे बढ़ाने की है। वे हमारी कांस्टीट्यूऐंसी में गये थे और देश के कोने कोने में गये थे। आज वह ७३ वर्ष की उम्र में कितनी मेहनत करते हैं और हम लोग जो ४५ और ५० से नीचे हैं क्या करते हैं ?

तो मैं खेती की बात कहना चाहता था। मेरे बाप दादों ने खेती की है और मैं भी खेती करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट माइनर इरींगेशन पर ज्यादा ध्यान दे। ट्यूब वैल्स की जो नालियां हैं उनसे पानी इधर उधर बह जाता है इसका ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे खेत में पानी लग रहा है और बीच में किसी और ने काट लिया। यह हमारे देश का मारल है। इसको हमें ऊंचा उठाना चाहिए।

[श्री शिवनारायण]

मैं अपने भाई श्री राम सुभग सिंह को बताना चाहता हूं कि गोबर में से गेहूं निकाल कर आज भी गरीब हरिजन किसान खाता है, जो कि हल चलाता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि उसको पेट भर खाना नहीं मिलता। मैं कहना चाहता हूं कि किसान की पैदावार इसी लिए लिमिटेड हो रही ह कि उसको पूरा रिटर्नन नहीं मिलता। अगर उसको अपनी पैदावार का पूरा रिटर्न नहीं मिलेगा तो वह अपनी जरूरत की चीजें, खाना, कपड़ा आदि कहां से लायेगा। आज ऐसे लोगों के पास जमीनें हैं जो खेती करना नहीं जानते। राजे, और ताल्लुकदार खेती के बारे में क्या जानते हैं। मैंने मिडिल स्कूल में एग्रीकल्चर में पड़ा है कि फस्ल रोटेशन से करनी चाहिए तब अच्छी होती हैं। यह नहीं होना चाहिए कि एक खेत में बराबर गन्ना ही बोते जायें। इससे फसल कम होती है।

आज गन्ना खेतों में सूख रहा है। मैं कहता हूं कि सरकार, जो हम को इस गन्ने की कीमत पौने दो रुपये मन या एक रुपये आठ आने मन देना निश्चय करती है, इस सारे गन्ने को क्रश करने की जिम्मेदारी पूरी करें। किसान जितना गन्ना बोता है उसको क्रश करने की जिम्मेदारी सरकार की है।

हमारे ढेबर भाई ने जो कहा कि एनीमल हसबेंडरी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मैं उस बात का समर्थन करता हूं। इससे किसान को बड़ा लाभ होगा। अगर किसान गाय पालेगा तो उससे दूध होगा और मट्ठा होगा। हम एक गिलास मट्ठा और उसके साथ चना चबाकर अपना निर्वाह कर सकेंगे। त्यागी जी ने कहा कि मजदूर गन्ने का रस पीते हैं। वह ठीक है। गन्ने के पेलने के मौसम में मजदूर को एक मटका रस पीने को मिल जाता है और थोड़ा सा दाना और उससे किसान का दिन कट जाता है।

देश में बड़ी गरीबी है और आबादी तेजी से बढ़ रही है। आप कहते हैं कि ग्रो मोर फुड, लेकिन उधर बच्चों की पैदावार ज्यादा हो रही है। आज कल १६ साल के लड़के का विवाह कर दिया जाता है और जब तक वह २५ साल का होता है तो तीन बच्चे पैदा कर देता है जिसके कारण हमारे देश की आबादी बढ़ रही है और भोजन की समस्या कठिन होती जाती है। अगर लड़के का विवाह २५ वर्ष पर किया जाये तो तीस वर्ष का होने पर उसके एक बच्चा होगा। यही हमारी भारतीय संस्कृति है जिसको हमने भुला दिया है। अगर ज्यादा उम्र पर विवाह किये जायें तो आबादी पर कंट्रोल हो सकता है।

जनसंघ वाले हमारे मंत्री को गालियां देते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि वह फलें फूलें। उनके प्रयत्न से गल्ले का उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने बड़े बड़े काम किये हैं। अभी छोटे काम ज्यादा करने की जरूरत है। जैसा कि हमारे पंडित जी ने कहा है कि छोटे कामों के लिए गवर्नमेंट को हिला दो। यह करना हमारा काम है। मैं एक एलची हूं जो समाज के निम्न वर्ग की बात आप तक लाया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आपका अधिकारी वर्ग ठीक काम नहीं कर रहा है। आज जब कि हमारे देश के चारों ओर लड़ाई के बादल मंडला रहे हैं, हम को अन्न के लिए देश देशान्तर से भीख मांगनी पड़ती है जिससे हमारा सिर नीचा होता है। अभी आप ने अमरीकी सिनेट का नक्शा देखा है। पहले उन्होंने हमारी सहायता कम कर दी लेकिन जब देखा कि भारत तगड़ा है तो फिर उसको वापस कर दिवा। हमें अपने देश को मजबूत क बनाना चाहिए ताकि हमारा बाहर भी सम्मान हो।

हमारे देश में व्रत करने की प्रथा है। अगर साले लोग इतवार के दिन व्रत रखें तो चालीस करोड़ पाव अन्न बच सकता है और हमारी समस्या कुछ हद तक हल हो सकती हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं

करेंगे क्योंकि हमारे देश में तो साहबी का जोर है। अंग्रेज चला गया मगर अंग्रेजियत नहीं गयी। इसका मुझे दुःख है। हम हिन्दी का उपयोग कम करते हैं जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे एक दक्षिण के भाई ने अपनी भाषा में भाषण दिया। उससे मुझे खुशी हुई। हमें अपने देश की भाषा में बोलना चाहिए। मैं किसी पर हिन्दी सीखने के लिए जोर नहीं डालना चाहता कि हिन्दी पढ़ो। लेकिन देश की भाषा का उपयोग हमको करना चाहिए। इससे राष्ट्र की एकता बढ़ती है।

मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। आज किसान चकबन्दी के कारण बड़ा परेशान है। उत्तर प्रदेश में वह काम चल रहा है और दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। उससे किसान की तबाही हो रही है। जमींदारों और ताल्लुकेदारों के समय में जो उनको जमीन हलवाहे का काम करने के बदले में मिली थी वह भी निकली जा रही हैं। मैं आपको अपना ही उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस दिन मुझे पार्लियामेंट के लिए नामिनेशन दाखिल करना था उसी दिन मेरे चकबन्दी के मुकदमे की तारीख डाल दी गयी। मैंने नामिनेशन दाखिल किया और चकबन्दी के मुकदमे को छोड़ दिया यह सोच कर कि भगवान चाहेगा तो हमें फिर खेत मिल जायेगा और हमारा लाभ दिन दूना रात चौगुना होगा। तो मैं एक सही तस्वीर इस मामले में आपके सामने रखना चाहता हूं। इससे किसान को बचाया जाये।

मैं चाहता हूं कि हमारे फुड मिनिस्टर सुखी हों। उनकी और श्री राम सुभग सिंह की अच्छी जोड़ी मिली हैं। श्री राम सुभग सिंह स्वयं एक प्रैक्टिकल किसान हैं। ये दोनों मिल कर देश की समस्या को हल कर सकेंगे इसका मुझे विश्वास है। ईश्वर न करे कि कहीं युद्ध छिड़ जाये। उस समय हम को बाहर से कोई सहायता नहीं मिल सकेगी और अपने ऊपर ही निर्भर रहना होगा। इसलिए हमको मेहनत करने अपने को भोजन के मामले में आत्म निर्भर बना लेना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि हमारे देश के नौजवानों ने जो कि आई० एन० ए० में थे पत्ते खा खा कर जापानियों का सामना किया था और देश की रक्षा की थी। हमको भी आज एक सूत्र में बंध कर देश को मजबूत बनाना चाहिए। हम सब को एक सूत्र में बंधना चाहिए। हमने बड़ी कुरबानियां और मेहनत करके इस देश को स्वतंत्र किया है।

मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश के प्रान्त से आते हैं और हमारी शिकायत है और शिकवा है कि उत्तर प्रदेश को उसका ड्यू कोटा नहीं मिलता है और उसके साथ उपेक्षा का बर्त्ताव होता है। इस बारे में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द ने और वर्त्तमान मुख्य मंत्री श्री सी० बी० गुप्त ने भी इसी चीज की शिकायत की है कि हमारा उत्तरप्रदेश हमेशा नैगलेक्टेड रहा है। दोनों मुख्य मंत्रियों ने बराबर इसकी मांग की है सेंटर से जो कोटा पूरा नहीं मिलता है वह कोटा उन्हें पूरा मिले। मैं भी यह मांग करता हूं कि यह गवर्नमेंट इक्वैल डिस्ट्रिब्यूशन करे। समय के अभाव के कारण में डिटेल मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि हमारे यहां कोई खास इंडस्ट्री नहीं है और जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है उसमें हमारा प्रांत बहुत पीछे है। इसलिय मैं चाहता हूं कि जितना भी आप पैसा दें उसका इक्वैल डिस्ट्रिब्यूशन आप करें।

मैं एक हरिजन होने के नाते यह चाहता हूं कि १८ परसेंट रिजर्वेशन जो आपने हरिजनों को दिया है उसकी पूर्त्ति होनी चाहिये। मैं उससे बेशी नहीं मांगता हूं। जो आपने स्वयं दिया है उतना ही हम मांगते है। यह १८ परसेंट हम गरीबों को नहीं मिलता है। जमीनें जो खाली होती हैं वह गरीब हरिजनों को मिलने के बजाय पंच लोग अपने भाई भतीजों को बांट देते हैं और गरीब लोगों को और लैंडलेस लोगों को जमीनें नहीं मिलती हैं। इस तरह की धांधली पंचायत समितियों में चल रही है। हमारी बहिन श्रीमती सुभद्रा जोशी जो कि इस मर्तबा बलरामपुर से चुन कर लोक सभा में आई हैं उनको मेरी समझ में इसका अनुभव हुआ होगा।

[श्री शिवनारायण]

गवर्नमेंट आफ इंडिया की जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसने अपनी रिपोर्ट में यह चीज कही है कि सबसे गरीब इलाका बस्ती जिले का है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है । इस गवर्नमेंट ने उसके लिये क्या किया ? रिपोर्ट आपकी जेबों में पड़ी हुई है ? । आपके अफसरान की फाइलों में वह रिपोर्ट पड़ी हुई सो रही है ।

मैंने अपनी ओर से कुछ न कह कर आपकी इजाजत से प्रधान मंत्री महोदय श्री जवाहरलाल नेहरू ने सन् १९४६ में बस्ती के नेगलेक्टेड ऐरिया के बारे में जो कहा था कि यहां बस्ती के इंजीनियर्स कैसे निकम्मे हैं आज फिर उन्हीं के उसी जुमले को रिपीट करता हूं। बस्ती आज भी पिछड़ा हुआ और पस्ती के आलम में है । गोरखपुर का पुल ठीक नहीं है। पंडित जी ने सन् ४६ में कहा था कि कैसे यहां के इंजीनियर्स निकम्मे हैं। वह पुल जिस पर कि हमारा करोड़ रुपया खर्च हुआ वह पुल बह गया । अगर सरकार अब भी न चेती और उसने गम्भीरतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करके सक्रिय कदम न उठाये तो फुड प्राबलम हल होना मुश्किल है और न ही हम अन्य काम कर पायेंगे । जिन बुजर्गों ने अपने त्याग और तपस्या से देश को स्वराज्य दिलाया है क्या हम उसे अपनी निष्क्रियता और असावधानी से खो देना चाहते हैं ? मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे खाद्य मंत्री महोदय मेरे चन्द एक सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके आवश्यक कदम शीघ्र उठायेंगे । बस में और अधिक न कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं और कामना करता हूं कि हमारे खाद्य मंत्री सुखी रहें, फलें, फूलें और देश का कल्याण कर सकें ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं सदन का आलोचनाओं के लिये और कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लाभदायक सुझाओं के लिये बहुत धन्यवादी हूं । कुछ आलोचनाओं का उत्तर मेरे माननीय सहयोगियों डा० रामसुभग सिंह और श्री अ० म० थामस ने दिया है। मैं उन प्रश्नों पर नहीं बोलूंगा । मैं संक्षेप में कृषि के विषय कुछ कहूंगा । कुछ बातों का ब्यौरा देते समय हम भारतीय कृषि की पूरी तस्वीर जैसे समझनी चाहिये और कार्यान्वित करनी चाहिय, का ध्यान नहीं रखते ।

हमारे संविधान में कृषि राज्य-विषय है । मैं उत्तरदायित्व न मानने के लिय ऐसा नहीं करता, परन्तु सदस्यों को समझाने के लिये कि हमने संविधान में कुछ विषय केन्द्रीय सरकार के लिये, कुछ राज्यों के लिये और कुछ समवर्ती विषय है। कृषि के विषय में राज्यों का उत्तरदायित्व है। हम उन्हें सलाह दे सकते हैं और उन की कार्यवाईयों का समन्वय कर सकते हैं । जब उन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो तो, हम सहायता करेंगे । हम उन्हें यथा सम्भव प्रविधिक सहायता भी देंगे । इसके अतिरिक्त, यदि सदस्य यह चाहें कि मैं प्रत्येक गांव को जाऊं और प्रत्येक किसान से मिलूं ऐसा असम्भव होगा । मैं यह हमेशा करता रहा हूं कि कृषि के मामले में सरकार ने अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व से अधिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया हुआ है । फिर भी मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि यदि हमें कुछ कर सकें जिस से कृषि को बढ़ा सकें चाहे यह कम ही हो, परन्तु जनहित के लिये हो, तो हम करेंगे ।

बहुत से भाषण जो यहां हुए हैं, विधान सभाओं में होने चाहिये थे । प्रत्येक सदस्य जो यहां बैठा है, उसके क्षेत्र से विधान सभा में ६-७ सदस्य होंगे। मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि जब तक राज्य सरकारें कृषि की ओर ध्यान न दें और इसे विशेष महत्वपूर्ण न समझें तो कृषि में कुछ नहीं हो सकेगा । मैं जो चाहूं करूं, आप जो भी करें, हमारी नीतियां कुछ भी हों, यदि इन का कार्यान्वियन करने के लिये सम्बन्धित प्राधिकार अपने उत्तरदायित्व को न निभायें, तो निश्चय कृषि तरक्की नहीं कर सकता ।

†मूल अंग्रेजी में

इसीलिये प्रधान मंत्री से लेकर हर कोई यह कहता रहा है कि कृषि विभाग मुख्य मंत्री के पास होना चाहिये। यह बात नहीं कि वह कृषि की देख भाल के लिये सब से अच्छा आदमी है, परन्तु इस देश में कृषि की स्थिति ऐसी है, कि ऐसा होना चाहिये। गरीब किसान ने काफी तकलीफ उठाई है। उसे वापस उस की समाज में आदर पूर्ण अवस्था पर लाना है। ऐसा करने में राज्यों को अधिक कोशिश करनी चाहिये।

मैं इस बात का जिक्र इस लिये नहीं करता कि मैं उत्तरदायित्व से टलना चाहता हूं, परन्तु जब आप पूछते हैं 'आपने क्या किया है'। आपने किसी विशेश गांव में कूंआ लगाया है? इत्यादि, तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह केन्द्रीय सरकार का उतरदायित्व नहीं है, चाहे हम इसे करना भी चाहें, परन्तु राज्य का उतरदायित्व है।

अब मैं और महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मित्र श्री ढेबर के बहुत लाभदायक भाषण का उल्लेख करूंगा। दुर्भाग्य से मैं यहां नहीं था, परन्तु मैं ने उन का भाषण पढ़ा। उन्होंने ठीक कहा कि इस देश की अर्थव्यवस्था में कृषि को सब से बड़ा स्थान प्राप्त है। यथार्थ में हमारी अर्थव्यवस्था कम से कम आगामी ५० वर्ष के लिये कृषि अर्थव्यवस्था का आश्रय लेगी। भारत से कृषि ले लीजिए। शेष कुछ नहीं रहेगा। हमारी राष्ट्रीय आय का ५० प्रतिशत इस से आता है। हमारी जनसंख्या का ७० प्रतिशत अर्थात ४० करोड़ में से ३० करोड़ कृषि के सहारे रहते हैं। ६०० लाख परिवार कृषि पर गुजारा करते हैं। वह इस पर पूर्णतया निर्भर हैं या नहीं यह भिन्न प्रश्न हैं।

मैं उद्योग के विरूद्ध नहीं हूं। कृषि भी उद्योग है। दोनों में बैर भाव नहीं है। वे एक दूसरे के अनुपूरक और संपूरक हैं। इसी लिए कृषि को सब उद्योगों की जननी कहा जाता है।

यदि आप विश्व के किसी भाग में भी पिछले १०० वर्षों में उद्योग के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि पहले आने वाले उद्योग कृषि से ही निकले थे। आप जिन देशों को उद्योग में प्रगतिशील समझते हैं जैसा कि अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी और जापान तो विश्लेषण से आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वे उद्योग में इस लिए खुशहाल हैं क्योंकि वे कृषि में खुशहाल और आत्मनिर्भर हैं। उन्हों ने उद्योग आरम्भ करने से पूर्व अपनी कृषि सम्बन्धी समस्याओं को हल करना आरम्भ कर दिया। अमेरिका का इतिहास लीजिये। वहां आज ११ प्रतिशत जन संख्या व्यापारिक और खाद्यान्न फसलों की लगभग ३०० प्रतिशत आवश्यकताओं को उत्पन्न करते हैं। ४८ वर्ष पूर्व ५० प्रतिशत लोग कृषि में लगे हुए थे, क्योंकि उद्योग नहीं थे। चूंकि वे कृषि के प्रश्न को हल कर सके इसलिए वे दूसरे प्रश्न भी हल कर सकें। आज वह सर्वप्रथम औद्योगिक शक्ति है। जापान के बारे में भी यही सब है।

जर्मनी को लीजिए। क्या आप पश्चिम जर्मनी में कृषि की अवस्था को जानते हो? कृषि से सम्बन्धित आत्म-निर्भरता और कृषि सम्बन्धी आधिक्य के लिए दुनिया में सब से अच्छे राज्यों में से हैं। इंगलैंड जैसे देश में यहां बहुत भूमि नहीं हैं, उनका प्रति एकड़ उत्पादन दुनिया में सब से बड़ा है।

इस लिए कृषि उन देशों में ऊपर के ढाचों का आधार है।

अपने देश में हम औद्योगिकरण बड़ी तेजी से कर रहे हैं। परन्तु हमारे देश के संसाधन समिति हैं, तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। हम ने पहली दो योजनाओं में ६५,०० करोड़ रुपये खर्च किए हैं और तृतीय योजना में लगभग १००० करोड़ रुपये खर्च करेंगे। यदि ७५०० करोड़ रुपये खर्च करके आप यह समझें इस से कृषि और उद्योग के अनुपात में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो आप की गलती है। मैं आपको आंकड़े दूंगा।

[श्री स० का० पाटिल]

योजनाएं आरम्भ होने से पहले ७० प्रतिशत लोग कृषि करते थे। दो योजनाओं अर्थात दस वर्ष बाद ७० प्रतिशत से ६८ प्रतिशत बन गया है। इसलिए लगभग ७००० करोड़ रुपये जो आयोग पर खर्च किए हैं----यह आवश्यक था यहां तक इस में नौकरियां पैदा करने की गुप्त शक्ति थी कृषि श्रम को औद्योगिक श्रम बनाने का सम्बन्ध था------सारी समस्या पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सके हैं। इस लिए उस गति से १०० साल में भी हम उतनी प्रगति कर सकें जितनी अमेरिका ने की है। एक आयय २४ य २५ आदिमियों के लिए खाद्यान्न इत्यादि उत्पन्न करता है। इस के अतिरिक्त दूसरे पूर्व युरोप के देश जैसा कि रूस, पौलैंड, जैकोसलावेकिया और दूसरे देश हैं यहां कि २५ प्रतिशत लोग कृषि करते हैं और दूसरे ७५ प्रतिशत दूसरी चीजें। भारत इस आवस्था में ५० वर्षों में भी नहीं पहुंचेगा। मुझे इसके लिए अफसोस नहीं है। कृषि उद्योगों की मां है। इतना नहीं, हमारा निर्भर इस पर है, हमने इस का विकास करना है। इसकी ओर हमारा सर्व प्रथम ध्यान होना चाहिए। इस लिए मुझे खुशी है कि सदन यह समझता है कि कृषि इतना महत्वपूर्ण होना चाहिये। मुझे चर्चा के ढंग में परिवर्तन मालूम पड़ता है।

मैं इस सदन में कई वर्षों से चर्चा देखता हूं। हर बार मैं यह देखता हूं कि खुराक पर समय का तीन चौथाई खत्म हो जाता है। इस बार देखता हूं कि ५० प्रतिशत बहुत अच्छे भाषण कृषि पर हुए हैं। इन बोलने वालों में से कई स्वयं कृषक थे। अतः उन्हें यही जानकारी है। इस चर्चा से पता चलता है कि माननीय सदस्य कृषि में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं।

हमारे देश में बहुत अधिक भूमि नहीं है। जितनी भूमि पर खेती हो रही है वह भी अधिक है। आम अनुपात जो कि सही है और जो कि चीन के प्रधान या० सी० तुंग ने बताया है वह यह है कि भूमि का वितरण एक तिहाई, एक-तिहाई और एक-तिहाई होना चाहिये अर्थात एक तिहाई भूमि पर जंगल होने चाहिये, एक-तिहाई पर कृ और एक-तिहाई मरूभूमि, चिरागाहों और खाद्य इत्यादि के लिए होना चाहिये। यह सही बात है।

इस देश में किसी समय एक-तिहाई भूमि पर जंगल हुआ करते थे। भारत में १०¹/₄ लाख वर्ग मील भूमि है। यह ८००० लाख एकड़ से कम है। हमारे पास ८००० लाख एकड़ से कम भूमि है जिस में पहाड़, दरिया और भी चीजें हैं। उस में से ३५०० लाख एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है। यह ४१,४२ या ४३ प्रतिशत है जो कि विश्व के १५० राष्ट्रों से अधिक है। हमारे बाद इण्डोनेशिया आता है, वहां २९ प्रतिशत है। कुछ प्रगतिशील देशों में जैसा कि अमेरिका में १४ प्रतिशत है। कनेडा और आस्ट्रेलिया में जोकि दुनिया के अन्न के भंडार है ३ प्रतिशत है। अर्जेनटाईना में इस से भी कम है। मैं यह नहीं कहता कि हम अर्जेनटाईना का अनुसरण करें।

यदि हमारे पास कोई फालतू भूमि है तो वहाँ वनरोपण होना चाहिये।

भारत में जनसंख्या को २५०० लाख एकड़ भुमि पर रहना चाहिये और प्रतिएकड़ खुराक के उत्पादन को हमने बढ़ाना है। यदि हमारा उत्पादन आधा टन प्रति एकड़ है, तो दूसरे देशों का एक, डेढ़ और दो टन है। कभी कभी भारत में भी ४ टन हो जाता है। आन्ध्र प्रदेश में कुछ भूमि है यहां तीन या इससे भी अधिक उत्पादन होता है, परन्तु ये अपवाद है, हर स्थान पर नहीं। हमारी औसत उससे बहुत कम है। हमारे पास ३५०० लाख एकड़ भुमि है। इसलिये इसके लाभ हैं जो दूसरे राष्ट्रों को नहीं। अमेरिका और दूसरे युरुप के देशों में ऐसी जलवायू है कि दो या तीन फसलें हो सकती हैं। हमारे यहां एक, दो और तीन फसलें होती हैं। यह लाभ होते हुए भी यदि हम क्षेत्र को और बढ़ाएं, तो यह असम्भव है। यहां तक जंगलों का सम्बन्ध है, अनुपात २२ प्रतिशत से भी कम है। यह ३५ प्रतिशत होना चाहिये। जब हम जंगलों को काटते हैं तो वनरोपण नहीं करते हैं। जंगल जलवायू को नियमित करते

हैं भूमि को इकट्ठी करते हैं, रेत जमा होने से रोकते हैं इत्यादि । इसलिये कम से कम यह अनुपात रखना है । बहुप्रयोजनीय योजनाएं हैं और बड़ी नदी योजनाएं हैं और कई सौ वर्गमील भूमि——७५ या ८० प्रतिशत जंगल जल के अन्दर आ जाते हैं । हम डैम बनाते हैं; वे आवश्यक हैं परन्तु ऐसी कुछ कार्यवाई करनी चाहिए ताकि जंगल बढ़ जाएं । ऐसा नहीं होता है । भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि जंगल बढ़ने चाहियें । हम इसे बढ़ायेंगे, यदि कोई भूमि खेती से हटानी भी पड़े । यदि जंगल बढ़ जाएं तो दूसरी भूमि की रक्षा हो जाएगी । यदि हम जंगल इत्यादि को बढ़ा कर खेती के क्षेत्र को कम करके ३००० या २५०० लाख करें तो हमारा उत्पादन अब से वढ़ जाएगा । हम इससे और अधिक नहीं कर सकते । यदि हम ३५०० लाख एकड़ लें, तो काश्त वाली भूमि प्रति व्यक्ति तीन-चौथाई एकड़ होगी, क्योंकि परिवार के पास ३ या ४ एकड़ है । जैसा कि किसी सदस्य ने कहा पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों में भूमि बांट दी जाती है । गहन खेती ही एकमात्र हल है । हर प्रकार से गहन होनी चाहियें जैसा कि सिंचाई, उर्वरक, पौदे की खुराक, और संग्रह, धन, ऋण और ऐसी वस्तुएं हैं । इससे वह जिस एकड़ में आधा टन उत्पादन कर रहे हैं उसमें एक टन का उत्पादन कर सकेंगे । यदि १० या २० वर्ष ऐसा करें, तो हमारा खाद्यान्न उत्पादन दुगुना हो जाएगा ।

बहुत से सदस्यों ने शिकायत की और मेरे ऊपर आरोप लगाए कि हमारे पास काफी खुराक नहीं है, इसलिये हमें आयात करना है । इस बारे में मुझे भी कुछ कहना है । काफी खुराक से आपका क्या मतलब है ? हम कहते हैं कि ३,००० कैलोटीज़ होनी चाहियें, जब हम कहते हैं कि हमें मिल सकते हैं तो हम इसके लिये प्रसन्न होते हैं । इस विषय पर वैज्ञानिकों में काफी मतभेद है । मैं एक बड़े योग्य वैज्ञानिक का लेख पढ़ रहा था । उसका विचार है कि ३००० कैलोटीज़ तो बहुत खतरनाक हैं; उसकी राय में २३०० कैलोरीन से ज्यादा नहीं होना चाहिये । मुझे नहीं पता कि मेरे दिल के लिये क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं खुराक तो मुंह से ही खाई जाती है । 'कैलोटीज' खाद्यान्न में से ही नहीं मिल सकती हैं । पश्चिम देशों में एक मन गन्दम दस परिवार के लिये एक वर्ष के लिये पर्याप्त है । परिवारों में दो-तीन बच्चे होते हैं । हमारे परिवारों में भी बच्चे होते हैं । हमारी जनसंख्या लगभग ४४०० लाख है । हमारे ८० लाख टन खाद्यान्न उस हिसाब से ८००० लाख लोगों के लिये काफी है और मुझे विश्वास है कि किसी दिन हमारी जनसंख्या उतनी हो जाएगी । हमारे लिये यह काफी नहीं है क्योंकि हम केवल अन्न ही खाते हैं । दक्षिण में या बंगाल को जाइये, यहां चावल खाने वाले लोग हैं; चावल खाने वालों और अनाज खाने वालों का अनूपात ३ : १ है । एक व्यक्ति दो पौंड चावल खा ले, फिर भी वह महसूस करेगा, कि उसने काफी नहीं खाया है। यदि खुराक की आत्मनिर्भरता ऐसी होती है तो मैं उस से सहमत नहीं हूं । यदि आप अनाज खाने वाले पंजाब जैसे राज्य को चले जाओ तो एक व्यक्ति एक समय कभी कभी ५० चपातियां खा लेता है और इसे बहुत बहादुरी समझता है । आदमी महसूस करता है कि वह बहुत प्रसन्न और बलवान है क्योंकि उस ५० चपातियों का कुछ बनाया है । यह याद रखना चाहिये । यह आज से तृतीय योजना में हमारी कोशिश होनी चाहिये । ज्यादा अनाज खाने से आत्म-निर्भरता नहीं होती, परन्तु अपनी खुराक को एक ही क्षेत्र मिली जुली फसल उगाने इत्यादि से अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यप्रद बनाने से होती है । आप और चीजें भी ले सकते हैं । मैं यह नहीं कहता कि वे बाजार जाएं और खरीदें, यदि वहां उपलब्ध नहीं है, तो वे कहां खरीद सकते हैं ? उन्हें पौष्टिक खुराक खाने की आदत डालनी चाहिये । यदि कोई राष्ट्र केवल चावल या अनाज पर रहता है तो वह बलवान् नहीं हो सकती । इसलिये हमारे खाने की आदतों में समानता नहीं होनी चाहिये । इसको समय लगेगा सब आदतों में से खाने की आदत हटानी कठिन है । मैंने बड़े वैज्ञानिकों को पुस्तकें लिखते देखा है जो यह कहती हैं कि खुराक में विचित्र और पौष्टिक होनी चाहिये । यदि वह आप को खाने पर नियन्त्रित करें तो आप देखते हैं कि वह भी वही खाते हैं जो उनके क्षेत्र के अन्य लोग । जो उसने पुस्तक में लिखा है उसका उसके खाने की आदतों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**एक माननीय सदस्य** : क्या खाद्य मन्त्री के बारे में भी यह सच है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मन्त्री उस किस्म की खुराक बहुत कम खाता है। जो मैं या आप खाते हैं भिन्न है। व्यक्ति विशेष को छोड़ कर मैं एक प्रस्तावना करता हूं कि राष्ट्र के लिये स्वतन्त्र होना और आत्म-शासक संस्थाएं बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। इसे मजबूत भी बनाना है और अतः खुराक की और दूसरी आदतें मजबूत राष्ट्रों और सरकारों की तरह होनी चाहियें। इसे समय लगेगा। परन्तु आरम्भ तो करना है।

जब हम कहते हैं कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन ८०० लाख टन हो गया है, ये लोग बहुत प्रसन्न हैं। अगली बार जब मैं कहूंगा कि ८५० लाख उत्पादन हो गया तो यह सब समयों के लिये यादगार हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष यादगार का वर्ष होना चाहिये, क्योंकि हम प्रतिवर्ष इतना रुपया लगाते हैं और प्रत्येक वर्ष का उत्पादन पिछले वर्ष से अधिक होना चाहिये। हमारी खुराक में कई चीजें होनी चाहियें। यदि चावल उत्पादम क्षेत्र है तो लोगों को गन्दम भी खानी चाहिये और इससे उलट भी। कुछ पत्तों वाले पदार्थ भी खाने चाहियें। एक व्यक्ति के पास लगभग ५ एकड़ भूमि हो; वह २० प्रतिशत या १० प्रतिशत सब्जियों के लिये उपयोग में ला सकता है। कभी लोग ऐसा करते हैं। कभी वे फसल के बाद करते हैं। परन्तु यदि खुराक के साथ साथ वे पत्रों वाली चीजें, फल, जड़ें और इसी प्रकार की चीज़ें खाएं और एक ही समय सब कुछ जो पुष्टि के लिये चाहिये खाएं तो केवल अनाज पर ही निर्भरता समाप्त हो जाएगी।

अब मैं वह बात कहता हूं जो मैंने कई बार कही है कि यदि हम ८०० लाख टन पैदा कर रहे हैं तो इस वर्ष यह उत्पादन ८२० लाख टन हो जायेगा। तो क्या कारण है कि हम फिर भी आयात कर रहे हैं। सदन को याद होगा कि दो वर्ष हुए मैंने बड़ी गम्भीरता से एक प्रस्थापना सदन के समक्ष रखी थी जिसे स्वीकार कर लिया गया था। प्रस्थापना यही थी कि मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये अतिरिक्त भण्डार रखा जाय। यह दो वर्ष पूर्व की बात है, उस समय काफी अनाज था और मैं अपने सारे प्रयत्न कृषि उत्पादन की ओर लगा सकता था। सदन ने मुझे अमरीका जाने का आदेश दिया और मैं चला गया। वहां मैंने एक ही सौदे में १७० लाख टन के आयात की व्यवस्था की। सौदे के अनुसार इस माल को चार वर्षों में आना था। अब हम इस सौदे का प्रतिवाद नहीं कर सकते। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खाद्य का विदेशों से आयात देश में "अतिरिक्त स्टाक" के निर्माण के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस सभा ने उस कार्यक्रम का पहले ही अनुमोदन कर दिया है। सरकार कोई काम बिना विचार के नहीं करती है। चार वर्ष के बाद जब हम ५० लाख टन का "अतिरिक्त स्टाक" बना लेंगे तो आयात को बन्द कर दिया जायेगा। और जिस दिन ऐसा होगा वह दिन राष्ट्र के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। व्यापारी तरीके के अनुसार अब तो हमें आयात करना ही है। अपने पैरों पर खड़े होकर जब आत्म निर्भर हो गये तो आयात बन्द कर देंगे।

एक माननीय महिला सदस्य ने बहुत बढ़िया भाषण दिया है और कहा है कि हमें व्यवसायिक फसल बन्द करके खाद्य की फसल की ओर ध्यान देना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं सरकार की नीति बता देना चाहता हूं। व्यवसायिक फसल पैदा करने से हम विदेशी विनिमय प्राप्त करते हैं और विदेशी विनिमय प्राप्त करना राष्ट्र के हित की बात है। जैसे देश का प्रत्येक राज्य प्रत्येक बात में आत्म निर्भर नहीं हो सकता। हमें एक दूसरे पर आश्रित रहना ही होता है। इसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र हर चीज में आत्म नर्भर नहीं हो सकता। यदि मैं १०० करोड़ रुपया विदेशी विनिमय में पैदा करता हूं तो यदि कुछ अनाज के आयात में खर्च कर देता हूं तो कोई हानि की बात नहीं है। अतः हमारी नीति यह है कि

†मूल अंग्रेजी में

वह करो जो देश और देश के किसान के हित में है। मेरा निवेदन यह है कि व्यवसायिक फसल पैदा करना देश के अधिक हित की बात है।

आप रूई को ही ले लीजिये इससे हमें करोड़ों रुपये प्राप्त होते हैं। ४० वर्ष की बात है कि देश में ६० करोड़ रुपये के सूती कपड़े का आयात होता था। अब हम इस स्थिति में हैं कि ८० से १०० करोड़ रुपए के लगभग का कपड़ा निर्यात करते हैं। यह सब रूई के कारण हुआ। क्या इसमें कोई गलत बात है? जब लोग कहते हैं कि हम १२० करोड़ खाद्यान्नों पर खर्च करते हैं, परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि हम देश में ऐसी चीजें भी पैदा करते हैं जिसके निर्यात से हमें ५०० से ६०० करोड़ तक का रुपया प्राप्त होता है। आज भी हमारे विदेशी विनिमय का मुख्य भाग कृषि उत्पादित चीजों के निर्यात पर ही आश्रित है और जिन व्यवसायिक फसलों पर यह आश्रित है उनका हम विकास कर उसकी मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसे हम इतना खेंच लें जायें कि इसके द्वारा १०००करोड़ रुपये का बिदेशी विनमय प्राप्त हो सके।

कीमतों की वृद्धि की बात लगभग बहुत से माननीय सदस्यों ने की है। परन्तु यह कीमतें कौन बढ़ाता है। कृषि उत्पादन की कीमतों के बारे में एक बात हमें समझ लेनी चाहिये कि ७० प्रतिशत लोग किसान हैं, वे खरीदते नहीं। खरीद करने वाले तो केवल बाकी के ३० प्रतिशत किसान लोग हैं और यही ३० प्रतिशत लोग शहरों और कस्बों में रहते हैं। अतः मेरा कहना है कि किसान के हितों की उपेक्षा कर मूल्य आज से कम नहीं होने चाहियें। अतः कीमतों को इससे कम करने की मांग नहीं की जानी चाहिये। इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। चीनी के लिये हम १--१० प्रतिमन किसानों को देने का वायदा कर चुके हैं। एक माननीय सदस्य ने बताया है कि ४०० प्रतिटन में से २०० प्रतिटन मिल वालों की जेबों में चला जाता है। परन्तु माननीय सदस्य को यह भी याद रखना चाहिये कि लगभग ३४ प्रतिशत उत्पादन शुल्क के रूप में सरकार ले जाती है। इस मामले पर प्रशुल्क आयोग में तीन चार बार विचार किया गया। उनका कहना था कि यह जो मूल्य चल रहे हैं वह मुनासिब ही हैं। अब बताइये जब आयोग का यह फैसला हो तो क्या किया जाये। मैं यह चाहता हूं कि जो लोग देहाती क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं उन्हें इस बारे में मुझे अपना परामर्श देना चाहिये। वह मुझे यह भी बतायें कि किसान का हित किस बात में है। कीमतों के बढ़ते आंकड़े मेरे पास हैं। मैं इस समय उनका उल्लेख तो नहीं करना चाहता कि वह क्या हैं परन्तु मेरा निवेदन है कि कीमतों में जो वृद्धि हुई है वह बड़ी साधारण है। फसल के समय इस प्रकार के कुछ उतराव चढ़ाव हो ही जाते हैं। फिर भी सरकार इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि कीमतों का स्तर कायम रखा जाय। मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि इस समय खाद्य स्थिति पहले से बहुत अच्छी है।

इस वर्ष रूई और पटसन की ८० लाख गांठें पैदा हुई हैं। इस दिशा में उत्पादन किस प्रकार बढ़ता और घटता है उसके लिए पांच वर्ष के उत्पादन को देख कर ही परीक्षण करना होगा। यदि इस वर्ष ८० लाख गांठें पैदा हों और अगले वर्ष वह ५० लाख गांठें ही रह जायें तो वार्षिक उत्पादन तो ७० लाख गांठों से भी कम हुआ। इस वर्ष पटसन की खेती बहुत अच्छी हुई है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसी प्रकार मूंगफली के उत्पादन में भी १९६१-६२ में बहुत प्रगति हुई है। सामान्य उत्पादन में ३ लाख टन की वृद्धि हुई है। मूंगफली भी विदेशी विनिमय पैदा करने का एक साधन है। इसके लिए हम १५, १६ करोड़ रुपये के उर्वरक खरीद रहे हैं। जो भी रुपया मूंगफली से प्राप्त होगा उन्हें उर्वरकों पर ही खर्च किया जायेगा। बात यह है कि मूंगफली गरीबों की खुराक है परन्तु फिर भी उत्पादन की कुछ सीमा तो निर्धारित करनी ही होगी। हम इस बात की अनुमति नहीं दे सकते कि

[श्री स० का० पाटिल]

ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र मूंगफली की खेती के लिए घेर लिया जाय। बल्कि हमारी धारणा यह है कि जितने भी क्षेत्र में अब मूंगफली पैदा की जा रही है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाये। यही कारण है कि हम इसके लिए उर्वरकों के प्रयोग की सलाह दे रहे हैं।

गत वर्ष से इस वर्ष में गेहूं भी अधिक हुआ है। उसका उत्पादन १०० लाख टन से बढ़ कर ११० लाख टन हो गया है। चावल ३३५ लाख टन ही रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि इस वर्ष अनाज की स्थिति बहुत अच्छी है। सरकार के पास स्टाक है अतः यदि शरारती लोगों ने मूल्यों में वृद्धि करने का प्रयत्न किया तो इन 'स्टाकों' से माल को छोड़ कर उस प्रयत्न को निष्फल किया जायेगा। उसी प्रकार सरकार मूल्यों को एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं आने देगी। यदि गेहूं के मूल्य १३ रुपये प्रति मन से कम हुए तो सरकार मार्केट में आकर स्वयं इसकी खरीद करेगी। आगे से कृषि के समस्त क्षेत्र को रक्षा प्रदान की जायगी। सरकार मूल्यों को किसी बनावटी तरीकों से कम करने के विचार की विरोधी है। हमारे लोगों का ७० प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर करता है। उन्हें उस लाभ से वंचित करना न्यायपूर्ण नहीं होगा जो वे कृषि वस्तुओं के मूल्य में किसी वृद्धि से ईमानदारी से प्राप्त करने के हकदार हैं।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, इसका मूल्य प्रशुल्क आयोग ने निश्चित किया है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिये। इस पर उत्पादन शुल्क का कम करना वांछनीय नहीं है। सरकार उस आश्वासन पर कायम है कि गन्ने की खड़ी फसलों को सूखने नहीं दिया जायेगा।

बिहार के कुछ माननीय सदस्यों ने चीनी के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर भाषण दिये हैं। ये भाषण चुनाव में अच्छे हो सकते हैं चीनी के सम्बन्ध में इन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता। हमने चीनी के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई है वह ठीक ही है। यदि ऐसा न करके हम सारी चीनी बाजार में फैंक देते तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब मिलें सदा के लिये बन्द हो जातीं। किसान का भी अहित होता। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है एक बात समझ लेनी चाहिये कि इसका मूल्य प्रशुल्क आयोग ने निर्धारित किया है, इसे स्वीकार किया ही जाना चाहिये। इस पर उत्पादन शुल्क का कम करना उचित नहीं कहा जा सकता। खड़ी फसल के बारे में मैं यह स्पष्ट आश्वासन दे देना चाहता हूं कि सरकार गन्ने की फसल को किसी हालत में भी सूखने नहीं देगी। हर प्रकार से उसकी रक्षा की जायेगी। मुझे इस बात का अभिमान है कि गत दस वर्षों में हमने १४ लाख टन चीनी का विदेशों से आयात किया है, और अब स्थिति यह है कि हमारे देश में ही १४ लाख टन चीनी का ढेर लगा पड़ा है। ठीक ही कहा है सूखा पड़ने के स्थान पर यदि बाढ़ आ जाये तो अच्छा ही है। अतः मेरा इतना ही कहना है इस बारे में जो कुछ हमने किया वह उत्पादकों के हित में ही था।

हमारे पास स्टाक है और हम उसे उसी मंडी में अथवा नयी मंडियों में बेचना चाहते हैं। कुछ लोगों का सुझाव है कि उत्पादन शुल्क कम कर दिया जाये, ताकि लोग अधिक से अधिक चीनी खरीद कर खायें। इस बारे में मुझे दो आपत्तियां हैं एक तो यह कि कृत्रिम मांग पैदा करना राष्ट्रीय हित में अच्छी बात नहीं कही जा सकती। दूसरा यह कि यदि यह चीनी की आदत पड़ गयी तो शायद अगले वर्ष हम इसे पूरा न कर सकें। तो उस समय बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उत्पादन शुल्क के बारे में मेरा निवेदन है कि जो ५० करोड़ रुपया उत्पादन शुल्क के रूप में प्राप्त होता है उसमें से २५ करोड़ उनकी सहायता के लिए दे दिया जाता है जो चीनी विदेशों में बेचते

हैं। अतः उत्पादन शुल्क में कमी करने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। साथ ही हमें यह भी देखना है कि ऐसा करने से हमारी वित्तीय स्थिति पर तो विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता।

अब मैं स्टोर की ओर आता हूं। मुझे आशा है कि १९६५–६६ में हमारे पास देश भर में आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग का ३० लाख टन वाला स्टोर हो जायेगा। इस दिशा में निर्माण का कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। इस समय हमारे पास ३० लाख टन का संग्रह है। कुछ उधारा भी है। भाण्डागार निगम की भी कुछ चर्चा की गयी है। भाण्डागार निगम एक व्यापारी निकाय है। अतः वह बहुत हानि सहन नहीं कर सकता। हमने इसका निर्माण किसान के हित के लिए किया है। यद्यपि प्रत्येक गांव में इसकी स्थापना नहीं हो सकी परन्तु फिर भी हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इनकी स्थापना अधिक से अधिक संख्या में हो सके। इससे किसान को उसकी पैदावार का संरक्षण प्राप्त होता है तथा उसे धन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। उसे थोड़े ब्याज पर कर्जा भी प्राप्त हो जाता है। हम सबका यह कर्त्तव्य है कि हम किसानों में भाण्डागार निगम को लोकप्रिय बनायें। सरकार की ओर से इसे विकसित करने का समुचित प्रयास किया जा रहा है।

पैकेज कार्यक्रम भी बड़े महत्व की बात है। गत दो वर्षों से हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं। प्रयोग के लिये इसे बिहार के शाहाबाद और राजस्थान के पाली जिलों में इसे चलाया गया है। राज्यों में पैकेज कार्यक्रम को चलाने के लिये ऐसे जिले चुनने को कहा गया है जहां कि हालात उसके अनुकूल हों। उनको सिंचाई, उर्वरक इत्यादि की आवश्यक सुविधायें प्राप्त हों। जहां जहां यह कार्यक्रम चलाया जायेगा वहां उत्पादन ६० प्रतिशत बढ़ जायेगा। इसके लिए सात जिले चुने गये हैं। वहां हम सभी प्रकार की अपेक्षित सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इस योजना के लिए फोर्डफाउन-डेशन ने ५ करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय स्वीकृत किया है। पर हम यह प्रयत्न करेंगे कि यह धन अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ सकें। सहकारी संस्थायें और राज्य सरकारें इसका समुचित प्रयोग कर अनुसूचित कार्यक्रम को आगे ले जायें। इन सात जिलों के इलावा इसी कार्यक्रम के लिए ८ जिले और चुने गये हैं। हर राज्य से एक एक जिला लिया गया है। केरल के दो जिले लिए गये हैं ताकि उसे शीघ्र अतिशीघ्र खुराक के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

जिलों में जितना भी हमारा कार्यक्रम है उसके अनुसार कृषि उत्पादन ६० प्रतिशत बढ़ेगा जब कि योजना के अनुसार सामान्य वृद्धि ३१ प्रतिशत की है। कुछ जिलों में यह कार्यक्रम पूरा हो गया है और कुछ एक में अभी हाल होने वाला है। इसके अतिरिक्त चारे का प्रश्न है जिस पर कि सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। श्री ढेबर ने भी इस विषय पर अपनी राय प्रकट की है। मेरा निवेदन है कि चरागाहों का विकास किये बिना पशुधन का विकास सम्भव नहीं। हमारे पास काफी जंगल और चरागाहें नहीं हैं। हमारे पास २००० लाख मवेशी हैं, जिन्हें इसके कारण काफी परेशानी हो रही है। उनकी अवस्था इसलिये सोचनीय हो रही है क्योंकि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। अतः इस समस्या की ओर तुरन्त ध्यान देना बड़ा ही आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं ५०० से ६०० लाख एकड़ भूमि पर चारे की खेती हो रही है। यह भूमि ५ प्रतिशत है जब कि होना १० प्रतिशत चाहिये। हम ऐसा कर नहीं पाये, कारण यह कि आखिर भूमि हम कहां से लायें। किसानों को तो किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का हमारा इरादा नहीं है। परन्तु चरागाहों को बढ़ाना हमारे सामने है। चरागाहों के अभाव का यह भी एक परिणाम हुआ है कि गाय, भैंसों की कीमतें काफी बढ़ गयी हैं। भैंसों की काफी कमी हो रही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कृषि आयोग का उल्लेख किया है। यह ठीक ही है कि आयोग की घोषणा की जा सकती है। परन्तु मेरा विचार यह है कि यदि एक बार आयोग की घोषणा कर दी गयी तो फिर पांच वर्ष तक हम सो जायेंगे। आयोग के प्रतिवेदन को आते आते पांच वर्ष अवश्य लग जायेंगे।

[श्री स० का० पाटिल]

मैं नहीं चाहता कि कृषि के मामले में इतनी देर हो। यह भी हमें समझ लेना चाहिए कि आयोग की नियुक्ति ही सारी समस्याओं को हल नहीं कर देगी। कृषि नियन्त्रण के लिए एक मशीनरी चाहिए। खेती के बारे में हमें राष्ट्र के हित का ध्यान रखते हुए, विदेशी विनिमय इत्यादि का ध्यान रखते हुए सोचना होगा कि किस चीज की खेती की जाय। मैं चाहता हूं कि इस मशीनरी के सम्बन्ध में विधान निर्माण करने से पूर्व सब से इस बारे में सलाह कर ली जायें। माननीय सदस्यों को देश के व्यापक हित का ध्यान रखते हुए इस बारे में अपना मत व्यक्त करना चाहिए और हम इस दिशा में कुछ न कुछ करने का निश्चय किये हुए हैं।

हमको यह भी समझना चाहिए कि हमारी कृषि अब बहुत पुरातन ढंग की नहीं है। इस दिशा में हम काफी प्रगति कर चुके हैं। आज तो हम उस स्तर पर आ गये हैं कि वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जाये। इस सम्बन्ध में कृषि शिक्षा के बारे में मेरे सहयोगी ने कुछ विचार प्रस्तुत किये हैं जहां तक कृषि शिक्षा का सम्बन्ध है, हमें तीसरी योजना के अन्तर्गत २०,००० और उससे अगली योजना में ३०,००० कृषि स्नातकों की आवश्यकता है। बहुत से कालिजों की जरूरत है। लगभग सभी राज्यों में हम कालिज और बिश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। डा० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो विश्व-विद्यालय शिक्षा आयोग है, उसने भी देहाती कृषि बिश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय खोला गया है। सरकार ने तीसरी योजना में २ करोड़ रुपये का ऋण लिया है ताकि अभी हाल चार राज्यों में ऐसे चार विश्वविद्यालय खोले जायें। इसके लिये हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। जो राज्य खाद्य के मामले में आत्म-निर्भर हैं और फालतू अनाज पैदा करते हैं वहां पहिले विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। कृषि तथा मवेशी चिकित्सा कालेज खोलने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तीसरी योजना के अन्त तक ये सभी विश्व-विद्यालय स्थापित हो जायेंगे। फिर बात यहीं समाप्त नहीं होगी। चौथी योजना में और अधिक कालिज खोले जायेंगे।

राष्ट्रीय बीज विकास निगम की स्थापना कर दी गयी है। इन बीजों के उत्पादन में ४० से ५० प्रतिशत की वृद्धि कर सकेंगे। उससे मवेशियों को चारा मिलने में भी सहायता मिलेगी। मक्की की खेती को भी बढ़ाया जायेगा। अन्य देशों में प्रायः मक्की को मवेशियों के चारे के लिये प्रयोग किया जाता है। बीजों के मामले में सरकारी स्तर पर ही उपक्रम किया जाना चाहिए था। व्यक्तिगत रूप में इसके किये जाने में काफी कठिनाइयां हैं। सूरतगढ़ फार्म में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। राजस्थान के जेतसर में भी फार्म स्थापित किया जा रहा है। यह फार्म लगभग ३० हजार एकड़ का होगा। ये दोनों फार्म मिला कर ६० हजार एकड़ भूमि में हैं। इससे रुई गन्ना और गेहूं के बढ़िया बीज तैयार किये जायेंगे। यह भी सुझाव था कि मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार का एक फ़ार्म ३०००० एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाय। यह भी हमारे विचाराधीन है। मध्य प्रदेश १० लाख टन अनाज बचा कर देश को देता है। इसके बाद आन्ध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा और पंजाब हैं। इन अन्तिम दो राज्यों में भूमि तो है परन्तु उत्पादन प्रति एकड़ कम है, अतः उसकी ओर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस समय दस लाख टन के लगभग उर्वरक वितरित कर रही है और जब तक हम उनका उत्पादन नहीं कर सकते तब तक हमें उनका आयात करना ही होगा। उर्वरकों की वितरण व्यवस्था इस तरह से होगी कि जो लोग उनका वितरण करें उनको यह भी कहा जायेगा कि वे इसके बारे में किसानों को पूरा प्रशिक्षण दें। परन्तु एक बात यह भी है कि कम्पोस्ट की उपेक्षा नहीं की जा सकती। दोनों चीजों का प्रयोग साथ साथ ही किया ही

जायेगा । ५० वर्ष तक तो ऐसा करना ही होगा । विभिन्न राज्यों में 'कम्पोस्ट' के विकास के लिए भी प्रयत्न हो रहे हैं ।

उर्वरकों के प्रयोग के एक पहलू के बारे में कहता हूं । आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य हैं जिन्हें उनके प्रयोग का पता है, आप जा सकते हैं और चोर बाजारी से ये खरीद सकते हैं । उन्हें पता है कि उस उर्वरक के प्रयोग से ४० प्रतिशत उत्पादन बढ़ जाएगा । दूसरी ओर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब जैसे कुछ राज्य हैं, जिन्हें इन उर्वरकों के महत्व का नहीं पता । वे जिस अनुपात से उनका प्रयोग करना चाहिए उस अनुपात से नहीं जानते हैं । कुछ लोग कहते हैं कि आप उन को क्यों नहीं दे देते जो इसके प्रयोग को जानते हैं । इसका मतलब यह है कि मैं दूसरे राज्यों को पिछड़े हुए राज्य ही रखूं ।

इसलिए उर्वरकों का वितरण इस तरह से करना है कि जो उर्वरकों का वितरण करते हैं वे इसका प्रयोग किसानों को सिखाएं ।

क्या आपको पता है कि अमेरिका का उर्वरक उद्योग जो धन कमाता है---'नाइट्रोजनस' उर्वरक पर २७०० लाख डालर---परन्तु ५०० से १००० लाख डालर वे प्रशिक्षण के कार्यों में लगा देते हैं । वे उद्योग के लोगों का प्रशिक्षण करते हैं ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** (होशंगाबाद) : रूस के बारे में ?

†**श्री स० का० पाटिल**: मुझे नहीं पता है । रूस के पास उर्वरक नहीं है । वे उर्वरकों के विषय में कोशिश कर रहे हैं ।

मैं राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं कह रहा हूं । वे इसलिए करते हैं कि जो लोग उर्वरकों से सम्बन्धित हैं वे इस बात का अपना उत्तरदायित्व समझते हैं कि किसानों को उर्वरक का प्रयोग के लिए ठीक प्रशिक्षण देना चाहिये । ताकि वे इसे समझ सकें और इसका प्रयोग कर सकें । इसलिए हम यह तरीका बना रहे हैं कि उर्वरकों का वितरण इस तरह से होना चाहिये कि चाहे उर्वरक के सही प्रयोग के बारे में नहीं पता उन्हें बताया जाए ।

अब मैं जंगलों के विषय में कहूंगा । यह मामला श्री ढेवर, श्री चटर्जी और कुछ मित्रों ने उठाया है जहां तक वनों का सम्बन्ध है मैं हठधर्मी हूं । मैं समझता हूं कि हरे वृक्ष को काटना बहुत बड़ा पाप है जो मनुष्य कर सकता है मैं वन महोत्सव और दूसरी चीजों में करता रहा हूं । वन महोत्सव ही पर्याप्त नहीं है । हम उस दिन ऐसा कर सकते हैं । प्राथमिक अवस्था से ही बच्चों को किताबों में बताना चाहिए कि जानवरों और वृक्षों से प्यार उनके व्यक्तित्व का जो उन्होंने बनाना है का यथार्थतः एक अंग है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो पशु और वृक्ष से प्यार नहीं करता बुरा नागरिक ही होगा । अतः हमारी शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन लाना चाहिये । इसलिये जो बच्चों के लिए पुस्तकें लिखते हैं उनका उत्तरदायित्व है कि उनमें पशुओं और वृक्षों से प्यार की रुचि उत्पन्न करें । जो आदमी वृक्षों और पशुओं से प्यार नहीं करता अपनी स्त्री से भी प्यार नहीं करेगा । इसलिये इसे यथाशीघ्र करना चाहिये ।

किसी ने पूछा क्या हमारी वनों के सम्बन्ध में नीति है । हमने १९५२ में नीति सम्बन्धी संकल्प जारी किया था और उस नीति में ठीक अनुपात से भूमि के वितरण, वृक्षों के काटने को रोकना, क्षेत्रों के आक्रमण को रोकना इत्यादि बहुत सी बातें हैं । परन्तु इस पर अमल नहीं होता है । क्योंकि यह राज्यों का उत्तरदायित्व है । परन्तु बिहार राज्य ने वनों के संरक्षण के लिए कानून बनाया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

है। उसी राज्य में सब से अधिक वृक्ष कटते हैं। इसलिये कानून के होने से यह निश्चित नहीं हो जाता कि वृक्ष नहीं कटेंगे। इसलिए हमें काफी प्रचार करना चाहिए और यही किया जा रहा है। जहां तक वनरोपण का सम्बन्ध है पौधे अधिक लगाये जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदयः** : तो यह काम पत्नियों को क्यों नहीं सौंपा जाए ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हां, पत्नियों को आरम्भ करना चाहिए। यह अच्छा विचार है। उनके पास कुछ काम हो जाएगा और पतियों को कुछ शान्ति।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि जो वृक्षों से प्रेम करते हैं, पत्नियों से भी प्रेम करते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्माः** (गुरुदासपुर) : जिनकी पत्नियां नहीं हैं उनके बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री स० का० पाटिलः** प्रथम योजना में ७५,००० एकड़ वन थे। दूसरी योजना में ४,४०,००० एकड़ थे और तीसरी योजना का लक्ष्य ७,०२,००० एकड़ है। अतः हम आहिस्ता आहिस्ता प्रगति कर रहे हैं। हमारे पास भूमि नहीं है। यह कठिनाई है। यह सरकार की मानी हुई नीति नहीं है, परन्तु मैं कोशिश कर रहा हूं कि मरुभूमि जो कि ठीक की जा रही है, वह खाद्यान्न के उत्पादन के लिए प्रयोग में न लाई जाए, वे वनों के लिए प्रयोग में लाई जाए। हर स्थान पर जंगल हो सकता है।

अब राजस्थान नहर की बात लीजिये। जब मैं सिंचाई और विद्युत् मंत्री था तो मेरा भी इस में हाथ था। इसलिये उस समय मैं ने एक किस्म का कानून बनाया। उस समय यह नहीं पता था कि मैं वनों का भी मंत्री हूंगा। यह नहर ४३५ मील लम्बी है। लम्बाई के हिसाब से विश्व में दूसरे दर्जे पर है। दोनों ओर मरु भूमि है। हर जगह रेत है। निःसन्देह पानी होगा। वहां इकट्ठा करने के लिये क्या है ? केवल सीमेंट नहीं। निस्सन्देह सीमेंट समेकन करेगा। सीमेंट से भी ज्यादा, भूमि को भी इकट्ठा रखना है। वृक्ष ही भूमि को इकट्ठा रख सकता है। इसलिये हर ओर वृक्ष लगाने हैं। ४३५ मील जंगल हैं। यदि यह हो जाय, तो राजस्थान स्वर्ग की तरह लगेगा। अब स्वर्ग नहीं है क्योंकि रेगस्तान बढ़ रहा है। पाकिस्तान और भारत की सीमा पर हम ऐसी भूमि बना रहे हैं जिस का प्रत्येक व्यक्ति को अभिमान हो सकता है। इस के अतिरिक्त यह अन्न भण्डार बन जायगा। इस से लगभग २० लाख टन गंदम मिलेगी। इस से काफी हद तक हमारी समस्या का समाधान हो जायेगा। इसलिये ऐसा किया जा रहा है।

कुछ समय पूर्व वन गवेषणा संस्था और कालिजों ने शताब्दी समारोह मनाया है। सदन को पता है कि हम इस संस्था का दर्जा ऊंचा कर रहे हैं। यह विश्व की संस्थाओं में बहुत अच्छी संस्थाओं में से एक है। इसे बात से इस के देश के लिये लाभ का पता चलता है कि यह १०० वर्ष से है और इस ने काफी प्रगति की है। हम इसे विश्वविद्यालय बना रहे हैं। योजना आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुझाव दिया है कि ऐसा कानून से करना चाहिये। यदि कानून आवश्यक हुआ तो उस से कर दिया जायेगा।

मैं ने मध्यप्रदेश में कन्दरा भूमि को कृषि योग्य बनाने के बारे में कहा। वन पशुओं के संबंध में माननीय श्री ढेबर बोले।

†**कुछ माननीय सदस्य** : श्री प्र० के० देव।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : वन पशुओं की रक्षा करनी है इस का एक ही कारण नहीं होना चाहिये कि कुछ खाना चाहिये या नहीं । मुझे पता नहीं है । परन्तु यह आवश्यक है । जब जंगल हो, तब ही वन पशु अच्छे लगते हैं ।

†**श्री प्र० के० देव:** नहीं तो यह प्रकृति के संतुलन को खराब कर देता है ।

†**श्री स० का पाटिल** : मैं उस का पोषण करता हूं । वन पशुओं की रक्षा की जायेगी । वन्य पशु समिति है । मेरे विचार मे माननीय सदस्य उस के सदस्य नहीं हैं । मैं यह देखूंगा कि वे सदस्य बन जायें ताकि वे लाभदायक मंत्रणा दे सकें । शिकार के लिये नहीं, केवल मारने के लिये नहीं परन्तु उन जानवरों की किस्मों के लिये जो खत्म होने वाली हैं । सफेद शेरों की काफी मांग थी । हमारे पास दो सफेद शेर हैं । यदि एक मर जाय तो क्या होगा । एक नर है, एक मादा । अधिक सफेद शेर लाने की संभावना है । हम ने इस बात का ध्यान रखा कि वे अच्छी अवस्था में रखे जायें ताकि हमारे पास अधिक सफेद शेर हों क्योंकि पशुओं की जो किस्में खत्म होने वाली हैं उन की रक्षा करनी चाहिये । इसी तरह लाल सिर वाले पशु भी हैं । लाल सिर वाले हिरण भी हैं । हम उन की रक्षा करेंगे । हम ने तीसरी योजना में इस के लिये १५५ लाख रुपये कीव्यवस्था की है । हम इस संबंध में गंभीर हैं ।

हमें खुराक में विविधता लानी है । पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता है । इसलिये मंत्रालय का पोषक तत्व विभाग बहुत तेज बढ़ रहा है । उस चीज के त्यार करने से लाभ नहीं जो दूसरे लोग नहीं खाते । यदि मुझे कोई बिस्कुट दे और कहे इस के विषय में पता नहीं और कहे यह अच्छा है क्योंकि दुनिया के सारे विटामिन उस में हैं, तो मैं कहूंगा आप खाईए । मैं बिस्कुट इसलिये खाता हूं क्योंकि यह अच्छा है और यह खाने को अच्छा है । इसलिये हमें काम आने वाली चीजों का उत्पादन करना चाहिये । सहायक खुराकों के लिये बहुत कुछ करना है, ताकि हमें उचित 'क्वैलीटी' मिल जाये । हमें खाद्यान्न के उपभोग के साथ जोड़ कर ऐसा नहीं करना चाहिये, परन्तु सहायक खुराक के साथऐसा करें । हम भी इस पर काम कर रहे हैं । मैसूर में गवेषणा संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है ।

देहली दुग्ध योजना और दूसरी दुग्ध योजनायें चल रही हैं । देहली दुग्ध योजना पूरी होने के बाद दुनिया में सब से बड़ी होगी । आज यह लगभग ३,००० मन दूध बांटती है । २ या ३ वर्षों में यह ७,००० मन बांटेगी । इस की क्षमता १२,००० मन है । आरम्भ में कुछ तकलीफें होंगी । हमें भी वे तकलीफें हुईं, परन्तु ये कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और शायद तीन-चार वर्ष में बच्चों को दूध देने का मामला गम्भीरता से लिया जायगा ।

एक बार मैं ने खाद्य और कृषि संघटन (एफ० ए० ओ०) के एक वैज्ञानिक का भाषण सुना और उस ने आंकड़े दे कर सिद्ध किया कि $१^१/_२$ और $४^१/_२$ की आयु के बीच में अर्थात् उन तीन वर्षों में बच्चे को पर्याप्त दूध नहीं मिलता है और इसीलिये जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अन्दर कई चीजों में कमी रह जाती है इसीलिये कि हमें छोटी आयु में उतना दूध नहीं मिला, जितना चाहिये था; क्योंकि आजकल की फैशन करने वाली मातायें बच्चों को अपना दूध तो पिलाना नहीं चाहतीं; यह पहला कारण है; और दूसरा कारण यह है कि यह भी सच है कि बच्चों को दूध लेने के लिए और मौका नहीं मिला ; यदि दूध सस्ता होता, तो उन्हें मिल जाता, परन्तु वह भी नहीं था । अतः यह कहना हमारा उत्तरदायित्व है, कि उपभोग जो ४ या ५ औंस है कम से कम दुगुना हो जाये लगभग १० औंस तक हो जाये, यद्यपि १५ या १६ औंस तक नहीं जैसाकि न्यूजीलैण्ड और दूसरे देशों में है । इसे भी ध्यान में रखना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

इसलिये हर स्थान पर डेरियां खोलने की योजना है । जहां भी डेयरी की योजना आती है, हम उनकी सहायता करते हैं, और हम उनकी सहायता करते हैं, ताकि वहां अधिक से अधिक डेयरियां हों और दूध को रखने और लोगों को देने का वैज्ञानिक ढंग हो ।

अब मैं पशुपालन का जिक्र करता हूं । पशुपालन और गौ के बिना कृषि को कोई मतलब नहीं । इस देश में हमारे पशुपालन में गौ पर बल होगा, भैंस पर नहीं। भैंस के दूध में से चर्बी मिलती है। परन्तु मुझे पता नहीं कि भारत के अतिरिक्त दुनियां में और कहीं कोई भैंस का दूध पीता है । मैं भैंस के दूध के विरुद्ध प्रचार नहीं कर रहा हूं । दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में भैंसें लद्द जानवरों के रूप में प्रयोग की जाती हैं । कोई भैंस का दूध नहीं पीता । यथार्थ में, उत्तर वियतनाम के प्रधान ने हमारे प्रधान को ऐसा बताया था जब वे वहां गये थे । मैं भी साथ था । उनके पास गाय का दूध भी नहीं है और भैंस का भी नहीं, इसलिये उनके पास दूध ही नहीं है । हमें भी बच्चों के लिये दूध चाहिय, परन्तु दूध नहीं है । मैं भैंस क दूध के विरुद्ध नहीं हूं । देहली और बम्बई में हमारी डेयरियों को भैंसों का दूध मिलता है ।

जहां तक बैलों का संबंध है, वे काफी नहीं हैं । यदि हमें ७०० लाख बैलों की आश्यकता है, हमारे पास उतने नहीं हैं, हमारे पास १०० या २०० लाख कम हैं । परन्तु ये बैल कहां से आयेंगे ? हमारे बैलों की शक्ति कहां है ? हमारी गाय प्रति दिन आधा पौंड दूध क्यों नहीं देती ? गाय का दूध बछड़े के लिये भी काफी नहीं है । इस परिस्थित में सही किस्म के बैल नहीं उत्पन्न किये जा सकते । यदि अच्छे बैल न हुए जोकि कृषि के लिये बहुत आवश्यक हैं तो हमारे कृषि में कमी रह जायेगी और कई वर्षों तक वह बैल-शक्ति कम रहेगी । अगले १०० वर्षों तक कम से कम यह नहीं बढ़ सकता। इसलिये नसल को अच्छा बनाना बहुत आवश्यक है । इसलिये बैल दूसरे देशों के मंगवाते हैं । परन्तु हमारी सारी कृषि और पशुपालन गाय पर निर्भर है, इसलिये गाय की अच्छी नसल बढ़ानी चाहिये । इसलिये इस सम्बन्ध में हमें कुछ करना है ।

हमारा सौभाग्य है कि एक वर्ष पहले मैंने श्री ढेबर से केन्द्रीय गोसंवर्द्धन का प्रधान बनने के लिये प्राथना की और उन्होंने स्वीकार कर ली । मुझे आशा है कि वे अधिक व्यस्तता होते हुए भी वे इस संस्था के प्रधान रहेंगे और सरकार की ओर से मैं उन्हें आश्वाशन देता हूं कि पशुपालन का जहां तक सम्बन्ध है वे जो चाहें करें क्योंकि इस विषय के सम्बन्ध में मैं उनके प्यार को जानता हूं। यह सत्य है कि कभी जब कोई विषय लिया जाये तो धन काफी न हो। इसके लिये हम ने ६० करोड़ रुपये रखे हैं --५६ करोड़ रु० पशु-पालन के लिये और ३४ करोड़ रु० दूध इत्यादि के लिये । यदि और भी कुछ चाहिये तो धन मिल सकेगा क्योंकि इस देश में धन के बिना कोई अच्छी नहीं रह सकती और श्री ढेबर देश में पशुपालन के विकास के लिये मेरे से और मेरे सहयोगियों से जो चाहें करवा सकते हैं ।

जहां तक देश में खुराक की स्थिति का सम्बन्ध है मैंने सदन के सामने बहुत कम कहा है और यह कहा है कि कोई चिन्ता नहीं है । किसी को भी यह नहीं समझना चाहिये कि हम निश्चित बैठे हैं और यह नहीं सोच रहे हैं कि कल क्या समस्या होगी। हम कल की समस्या पर भी विचार कर रहे हैं। मेरे से यह कहना उचित नहीं कि यह क्या है ? यह क्यों नहीं होता ? जो ऐसा कहता है उसे अपने सम्बन्ध में देखना चाहिये कि उस ने कृषि के उत्थान के लिये जैसाकि होना चाहिये क्या किया है । अब तक कृषि के स्नातक बम्बई, कलकत्ता और दूसरे शहरों को नौकरी के लिये जाते थे । अब यह भारत का गर्व है कि कृषि के स्नातक गांवों में रहेंगे और कृषि को नया रूप देंगे ।

मैं ने कई बातों को नहीं छुआ है । खाद्य और कृषि जैसे बड़े विषय में हर मामले के विषय में कहना असम्भव है । यदि कुछ आलोचनाएं ऐसी हों जिन का उत्तर न दिया गया हो तो मैं अपने कार्यालय को उन का उत्तर और जो जानकारी हमारे पास है देने के लिये कहूंगा ।

आओ हम इस समस्या को भारत की सब से महत्वपूर्ण समस्या समझें । भारत कृषि से खुशहाल होगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३९	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	६१,५६,०००
४०	कृषि . .	२,८०,०९,०००
४१	कृषि अनुसंधान .	४,०७,०२,०००
४२	पशुपालन	८२,७१,०००
४३	वन	६७,५५,०००
४४	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	१५,५९,३९,०००
१२४	वनों पर पूंजी व्यय	१०,७३,०००
१२५	खाद्यान्नों का क्रय . .	१,४१,८०,८१,०००
१२६	खाद्यतथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	४७,१९,२९,०००

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा ।

वर्ष १९६२–६३ के लिये वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७९	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय .	२९,३१,०००
८०	पुरातत्व . .	९३,८०,०००
८१	भारत का सर्वेक्षण	२,७२,८०,०००
८२	वानस्पतिक सर्वेक्षण	२२,४७,०००
८३	प्राणिकीय सर्वेक्षण . . .	१८,७१,०००
८४	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य . .	१४,८८,५९,०००
८५	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	५२,४९,०००
१३४	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२,७३,०७,०००

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पोट्टेकाट्ट (टेलीचेरी) : समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जो योगदान दिया है निश्चय ही उसके लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। मेरा सुझाव है कि सांस्कृतिक कार्यों की देखभाल के लिये एक पृथक् मंत्रालय स्थापित किया जाना चाहिये। मंत्रालय के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि वह वैज्ञानिक अनुसंधान पर ही अधिक ध्यान देता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर कम।

राष्ट्रीय एवं भावक एकता के लिए राज्यों के बीच सांस्कृतिक एवं साहित्यिक आदान प्रदान आवश्यक हैं--विशेषकर उत्तर और दक्षिण के बीच में।

पांच राज्यों में ही अकादमी कार्य कर रही है राज्यों की साहित्य अकादिमियों में कोई समन्वय नहीं है और यही बात केन्द्र की अकादमी के बारे में है उन में भी कोई समन्वय नहीं है। यह देखने में आया है कि केरल की साहित्य अकादमी ने किसी भाषा की एक पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ पुरुस्कार दिया है तो केन्द्रीय अकादमी ने उसी अवधि में उसी भाषा की दूसरी पुस्तक को प्रथम पुरुस्कार दिया है। प्रथम पुरुस्कार देने के लिये साहित्य अकादमी जो तरीका अपनाती है वह बड़ा अजीब सा है। सुविख्यात एवं प्रसिद्ध लेखकों को ही पुरुस्कार दिए जाने चाहिये।

हमारे देश में लेखकों की बहुत बुरी हालत है। उनको उनकी पुस्तकों के लिये उचित राशि नहीं मिलती है। प्रकाशक उनका शोषण करते हैं। मेरा सुझाव है कि निर्धन लेखकों को अपनी रचनाएं प्रकाशित कराने में सहायता करने और उनके लिये पर्याप्त पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के लिय सरकार को लेखकों की सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिये। केरल में लेखकों की एक सहकारी समिति है जिसने मलयालम की अब तक कुल १८,६५,००० पुस्तकें छापी हैं।

सरकार ने केरल में एतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के अनेक स्मारकों की उपेक्षा की है। उन्हें उन स्मारकों के संरक्षण के लिये कदम उठाने चाहिये। तथा उन इमारतों को भी राष्ट्रीय संरक्षण में लेना चाहिये जहां कि महान पुरुष जैसे श्री शंकर तथा अन्य विदेशी लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया था।

कन्नानोर जिले में एलीमाला और पालघाट के निकट काल्लाटी करोड़ के पहाड़ी क्षेत्रों का वनस्पतिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिये क्योंकि वहां काफी मात्रा में जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। साथ ही निकटवर्ती स्थानों में जंगली जानवर भी पाये जाते हैं उनकी भी देखभाल की जानी चाहिये।

ऐसी चर्चा है कि विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां मंजूर करते समय दिल्ली या निकटवर्ती स्थानों के लोगों को ही अधिक प्राथमिकता दी जाती है। मेरा निवेदन है कि इस मामले में प्रादेशिक सन्तुलन एवं योग्यता का मुख्य विचार करना चाहिये।

भारतीय सर्कस व्यवसाय को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। भारत का नाम इस क्षेत्र में काफी दिनों से प्रसिद्ध रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार भारतीय सर्कस कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन करे। और उन्हे सभी प्रकार की वित्तीय एवं अन्य प्रकार की सहायता दे। साथ ही भारत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करे और विशेषत: तेल्लीचेरी में उस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये। और इस विश्वविद्यालय में सर्कस व्यवसाय के लिये प्रशिक्षण भी दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० के० देव: (कालाहांडी) : बराबर अनुरोध किये जाने के बाद सरकार ने उड़ीसा के लिये पृथक पुरातत्वीय "सर्किल" की स्थापना नहीं की है। इस राज्य में हर जगह कुछ न कुछ पुरातत्व के महत्व की वस्तु मिलती है।

पुरी के जगन्नाथ मन्दिर को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिये मैं गृह मंत्रालय से लिखापढ़ी कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि इस मन्दिर को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाये।

"इंडिया आफिस लाइब्रेरी" को भारत में लाने के लिये अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। सुना है कि पाकिस्तान ने भी उस लाइब्रेरी पर अपना दावा बताया है। यदि पाकिस्तान उन पुस्तकों की "माइक्रोफिल्म" प्रतियां दी जा सकती हैं। मूल पुस्तकें हम रख सकते हैं।

कोहनूर हीरा वापस लेने के लिये भी सरकार को पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिये।

तिब्बत तो अब हमारे हाथ से निकल गया है। लेकिन लद्दाख के मामले में हमें सतर्क रहना चाहिये। लद्दाख के विभिन्न मठों और उनके बहुमूल्य संग्रहों का संरक्षण किया जाना चाहिये। लेह अथवा किसी अन्य स्थान पर 'तिब्बत शास्त्र संस्था' (स्कूल आफ टिब्बटोलोजी) खोली जानी चाहिये।

अभी इस विभाग ने अपनी शताब्दी मनाई थी और उसमें जो चीज़ दिखाई गई थीं—उनसे पता चलता है कि इस विभाग ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस विभाग की केमीकल शाखा ने बहुत से चित्रों की देखभाल और उनके संरक्षण के लिये महान कार्य किया है। उड़ीसा की गुफाओं के चित्रों के संरक्षण के लिये कदम उठाने चाहिये। उत्तराखंड के मन्दिर का भी समुचित संरक्षण किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग को भी यहां से शीघ्र ही हटाना चाहिये। इस विभाग में बहुत सी अमर एवं बहुमूल्य पुस्तकें हैं उनका संरक्षण ठीक ढंग से किया जाना चाहिये। तथा उसे वाया-नुकूलित बनाना चाहिये ताकि पुस्तके ठीक से रह सकें। समस्त देश के स्थानावृत्त मानचित्र बिना अग्रतर विलम्ब के छापे जाने चाहिये। राष्ट्रीय एटलस भी यथाशीघ्र तैयार की जानी चाहिये।

राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान में देश के समस्त प्रकार के पेड़ पौधों का संग्रह होना चाहिये। कम मिलने वाली जड़ी बुटियों और उनकी चिकित्सा सम्बन्धी उपयोगिता के विषय में अनुसंधान किया जाना चाहिये।

पश्चिमी बंगाल सरकार को चाहिये कि वह शिवपुर के जड़ी-बूटी वाले बाग को राष्ट्रीय जड़ी-बूटी वाले बाग में परिवर्तित कर दे।

भारतीय जड़ी-बूटी के अनुसंधान की व्यवस्था की जानी चाहिये क्योंकि ये बूटियां बहुत ही महत्व की हैं। हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत कमी है। हमें समुद्र से भी खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि खाद्यान्न की यह कमी कुछ अंशों में तो दूर हो सके।

†डा० क० ला० राव० (विजयवाड़ा): संस्कृति का सम्बन्ध भूतकाल से और विज्ञान का भविष्य से है। विश्व में वैज्ञानिक उन्नति बहुत तेज़ी से हो रही है। यदि हमें उन्नति करनी है तो वैज्ञानिक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। वैज्ञानिक कार्यों के लिये केवल २० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो बहुत कम है। हमें इस राशि को बढ़ाना चाहिये। इस मंत्रालय को इंजीनियरों को

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० के० ल० राव]

काफ़ी प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि वे अच्छा कार्य कर सकें और उनमें आत्मविश्वास की भावना बढ़े ।

अच्छा होता यदि इस मंत्रालय का प्रतिवेदन तीन भागों में विभक्त होता । एक में वैज्ञानिक अनुसंधान और सर्वेक्षण को, दूसरे में प्राविधिक शिक्षा और तीसरे में सांस्कृतिक कार्यों को लिया जाता । उन पर अलग-अलग व्यय दिखाया जाता, तो कहीं अच्छी तरह चीज़ समझ में आती ।

हमारे यहां अभी २७ प्रयोगशालायें हैं और उनमें कुछ और भी जोड़ी जाने वाली हैं । इंगलैण्ड जैसे उन्नत देश में भी केवल १५ प्रयोगशालायें हैं ।

हमें इंगलैण्ड की तरह करना यह चाहिये कि अधिक व्यय अनुसंधान-कार्य को बढ़ावा देने पर हो, आलीशान इमारतों और उपकरणों पर नहीं । अनुसंधान कार्य बढ़ने पर ही प्रयोगशालाओं का प्रसार करना चाहिए ।

फिर यह कि निदेशकों को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए । उससे अपने विषय का सब से बड़ा प्राधिकारी माना जाना चाहिये । उसे शक्ति प्रदान की जानी चाहिये कि वह उपयुक्त कार्य-कर्त्ताओं को चुन सके । सहायक कार्यकर्त्ताओं के साथ समानता का बर्ताव होना चाहिये । निदेशकों को सभी के साथ विनम्र रहना चाहिये ।

और, निदेशकों के पद अधिक दिनों तक खाली नहीं पड़े रहने देने चाहियें । राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशक का पद एक वर्ष से भी अधिक काल से रिक्त पड़ा है ।

हमारी अनुसंधान योजनाओं को अधिक सफलता नहीं मिल पाई है । इसका कारण यह कि हमारा तरीका अवैज्ञानिक है । प्रयोगशालाओं का मुख्य कार्य-भार एक सक्षम निदेशक पर ही होना चाहिये । एक बड़ा संगठन बना कर उस पर अनुसंधान योजनाय लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिये ।

हम ने लन्दन में एक विज्ञान सम्पर्क कार्यालय खोला है । वह तो अच्छा है, लेकिन उसमें एक इंजीनियर भी रखा जाना चाहिय । उससे हमें इंजीनियरिंग सम्बन्धी टकनीक जानने में आसानी रहेगी ।

साथ ही, समितियों की संख्या और उनकी सदस्य-संख्या भी घटाई जानी चाहिये ।

समितियों की सदस्य संख्या अधिक होने से उन को अपने विषयों को समझने, उन का अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता । वे बड़ी दूर दूर से आते हैं और कुछ घंटे बैठकों में बैठ कर वापस चले जाते हैं । उन की संख्या कम रहनी चाहिये ।

इस मंत्रालय का सब से बड़ा कर्तव्य यही है कि वह ज्ञान का प्रचार करे । इसे हृदयंगम करने की जरूरत है । इसी पर मंत्रालय को सब से अधिक जोर देना चाहिये ।

उदाहरण के लिय हमारे देश में इंजीनियरों की संस्था शायद सब से बड़ी संस्थाओं में से एक है । देशभर में उस की १८ शाखायें हैं और कई छोटे छोटे पुस्तकालय हैं । उन पुस्तकालयों को प्राविधिक पुस्तकें दी जानी चाहियें । उन पुस्तकों को अधिकाधिक संख्या में अनूदित कराया जाना चाहिये ।

हमारे देश के लगभग ३,००० वैज्ञानिक और इंजीनियर विदेशों में हैं । हमें उन को अपने देश में वापस बुलाने का प्रयास करना चाहिये । उन के यहां आने पर, आज की तरह उन की नियुक्ति में ९—१० महीने नहीं लगने चाहियें । एक महीने के अन्दर कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिये ।

हमारे यहां के साधारण से इंजीनियर भी विदेशों में जा कर बड़े अच्छे सिद्ध होते हैं कारण यह है कि उन को विदेशों की प्रयोगशालाओं में अधिक सुविधायें और अच्छा वातावरण मिलता है। हमारे यहां उस को प्रशासकों की अधीनता बर्दाश्त करनी पड़ती है। विज्ञान के क्षेत्र से यह नौकरशाही दूर की जानी चाहिये।

हम इंजीनियरिंग शिक्षा का विस्तार करते चले जा रहे हैं। उस से इंजीनियरिंग शिक्षा का स्तर गिरने की संभावना है। इसे दूर करने के लिये आवश्यक है कि प्राध्यापक ऐसे रखे जायें, जो सचमूच उसी मानदण्ड को लेकर चल सकें जो उचित है। उन को प्रशिक्षण और उपकरण की अधिकाधिक सुविधायें दी जानी चाहियें। उन को औद्योगिक संस्थाओं और उपक्रमों से भी सम्बद्ध रखना चाहिये। इंजीनियरिंग के प्रोफैसरों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अग्रणी होना चाहिये।

हमारे देश में १६,००० इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन नमूनों और संगठनों के काम के लिये हमें एक विशेष प्रकार के इंजीनियर चाहियें। इंजीनियरिंग के एक दो ऐसे अग्रणी कालिज होने चाहियें, जहां विज्ञान के प्रतिभाशाली स्नातकों को भेजा जाये। एक बार अच्छे इंजीनियर पैदा हो जाने पर देश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होने लगेगी। उन को अतिरिक्त वेतन देने की भी व्यवस्था होनी चाहिये।

प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान कार्य करने वाले वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं में कुछ असन्तोष भी है। उसे दूर करने के उपाय किये जाने चाहियें उन उपायों को दो वर्गों में विभक्त करना चाहियें, ---दीर्घ-कालीन और अल्पकालीन उपाय। जो लोग विज्ञान संबंधी निबन्ध लिखते हैं, उन के नाम पत्रिकाओं में अवश्य दिये जाने चाहियें। नहीं तो उन को उत्साह नहीं रहता।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि देर तक काम करनेके इच्छुक कार्यकर्ताओं को पांच बजे के बाद भी प्रयोगशालाओं में काम करने की अनुमति रहनी चाहिये।

अनुसन्धान कार्य की डिग्रीधारी कार्यकर्ताओं को अधिक वेतन दिया जाना चाहिये।

दीर्घकालीन उपाय यह है कि अनुसन्धान कार्य सह-कार्य और सहयोजनापूर्ण ढंग से चलाया जाना चाहिये। अनुसन्धान कार्य के मूख्य स्रोत विश्वविद्यालय ही होने चाहियें। अनुसन्धान कार्य के लिये विश्वविद्यालय को एक ही मंन्त्रालय से अनुदान या निधियां मिलनी चाहियें।

साथ ही मंत्रालय को औद्योगिक अनुसन्धान कार्य की भी प्रेरणा देनी चाहिये। मंत्रालय ने यह किया है। इस के लिये में मंत्रालय को बधाई देता हूं। औद्योगिक अनुसन्धान के लिये मंजुरकी गई राशियां सचमुच व्यय की जानी चाहियें। विश्वविद्यालयीय अनुसन्धान और औद्योगिक अनुसन्धान के बीच राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को सहयोजनापूर्ण ढंग से एक कड़ी जोड़ने का काम करना चाहिये।

हमारे अनुसन्धान कार्य का सब से बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिये कि श्रम और सामग्री की दिन-दिन बढ़ती लागत किसी तरह कम हो। उदाहरण के लिये इस शताब्दी के आरम्भ में १ किलोवाट विद्युत् पर ३० पौंड कोयला खर्च करना पड़ता था। जब कि अब ०.७ या ०.८ पौंड से ही काम चल जाता है।

हमें अपने देश में आविष्कारों को पूरा पूरा प्रोत्साहन देना चाहिये। हमारे यहां इस भावना की कमी है। पाश्चात्य देशों में इस का बिल्कुल उल्टा है।

आविष्कारों के लिये मनन और पठन आवश्यक है। पर हमारे यहां इन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

[डा० क० ल० राव]

मैं एक बार फिर कहता हूं कि यदि हम विज्ञान और इंजीनियरिंग की ओर गम्भीरता से ध्यान नहीं देंगे तो हम पिछड़ जायेंगे ।

मंत्रालय के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मंत्रालय के अधिकारी और मंत्री इस कार्य में काफी रुचि ले रहे हैं ।

मैं उनकी अधिकाधिक सफलता की कामना करता हूं, क्योंकि उसी पर हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था का भाग्य निर्भर करता है ।

मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं । यदि वे प्रवेश्य हों ।

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
७९	१७	श्री स० मो० बनर्जी	भारत सर्वेक्षण को सैनिक असैनिक सर्वेक्षणों में विभक्त करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
७९	१८	श्री स० मो० बनर्जी	भारत सर्वेक्षण के अधीक्षक कर्मचारियों के व्यय में कटौती की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	१९	श्री स० मो० बनर्जी	भारत सर्वेक्षण के कर्मचारियों के वेतन क्रमों में असमानता	१०० रुपये
७९	२०	श्री स० मो० बनजी	पर्वतीय इलाकों में काम करने वाले सर्वेक्षण कर्मचारियों को सुविधाओं की कमी	१०० रुपये
७९	२१	श्री स० मो० बनर्जी	भारत सर्वेक्षण के कर्मचारियों को कार्मिक संघीय अधिकार देने की आवश्यकता	१०० रुपये
७९	२२	श्री स० मो० बनर्जी	नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवा को विनियमित करने की आवश्यकता	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३	४	५
८०	८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	दक्षिण के मन्दिरों के संधारण की आवश्यकता	१००रुपये
८०	९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	हरजी, जाम्बे नाथ और विजय-नगर मन्दिरों की मरम्मत की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	१०	श्री मे० क० कुमारन .	पांडिचेरी के निकट खुदाई शुरू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	११	श्री मे० क० कुमारन	तंजोर के कावेरी पट्टनम में खुदाई कार्य की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	१२	श्री मे० क० कुमारन .	खुदाई-कार्य के लिये गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	१३	श्री मे० क० कुमारन .	जिला गजेटियरों सम्बन्धी कार्य की प्रगति तेज करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	१४	श्री मे० क० कुमारन .	केरल में ऐतिहासिक स्मारकों की उचित देखभाल की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	१५	श्री मे० क० कुमारन	अन्जेंगो फोर्ट को समुद्री कटाव से बचाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	२३	श्री कोया . .	केरल में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
८०	२४	श्री कोया . .	केरल में पुरातात्विक खुदाई की आवश्यकता	१०० रुपये
८१	३५	श्री अ० व० राघवन .	संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का मानचित्र प्रकाशित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८२	२५	श्री कोया . .	केरल के बनस्पतीय सर्वेक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
८२	२६	श्री कोया . .	केरल की जड़ी-बूटियों के सर्वेक्षण और वर्गीकरण की आवश्यकता]	१०० रुपये
८३	२७	श्री कोया . .	कालीकट के निकट चिड़ियाघर की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
८४	२८	श्री कोया . .	दक्षिण में एक और खान-स्कूल खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
८४	२९	श्री कोया .	केरल में अधिक प्राविधिक संस्थाओं की आवश्यकता	१०० रुपये
८४	३०	श्री कोया . .	केरल में विज्ञान मन्दिरों की आवश्यकता	१०० रुपये
८४	३१	श्री कोया . .	मोपला लोक गीतों के संग्रह और प्रकाशन की आवश्यकता	१०० रुपये
८४	३२	श्री कोया . .	ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध मोपला के संघर्ष का बृहद् इतिहास लिखने की आवश्यकता	१०० रुपये
८४	३३	श्री कोया . .	दक्षिण प्रदेश के उर्दू भाषी लोगों में उर्दू के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
८४	३६	श्री अ० व० राघवन .	मलयालम में वैज्ञानिक साहित्य के प्रकाशन की आवश्यकता	१०० रुपये
८४	३७	श्री अ० व० राघवन .	केरल में अधिक विज्ञान मन्दिरों की आवश्यकता	१०० रुपये
८४	३८	श्री अ० व० राघवन .	कोजीकोडे में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण में तेजी की आवश्यकता	१०० रुपये
८४	३९	श्री अ० व० राघवन .	केरल में अखिल भारतीय प्रबन्ध प्रतिष्ठान की आवश्यकता	१०० रुपये
८४	४०	श्री अ० व० राघवन .	एक पुरातत्वीय एटलस की आवश्यकता	१०० रुपये

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हैं।

†**डा० मेलकोटे** (हैदराबाद) : डिग्री और टेकनिकल कालेजों में विद्यार्थियों की भरती ८०० प्रतिशत बढ़ गई है। इस के लिए मंत्रालय बधाई का पात्र है। फिर भी सुना जाता है कि हमारे देश में इंजीनियरों की आवश्यकता अभी बहुत है। और दूसरी तरफ यह सुना जाता है कि इंजीनियरिंग के स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को काम मिलने में काफी समय लगता है। इस प्रकार का असमन्वय क्यों है, यह समझ में नहीं आता।

†मूल अंग्रेजी में

एक वर्ष पूर्व प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिए पांच या छै विभिन्न केन्द्र चलाये थे। किन्तु अब कहा जाता है कि उसके पास अपनी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंजीनियरिंग कर्मचारी नहीं हैं। यदि ऐसा है, तो यह विभाग प्रविधिक कालेजों की--दोनों डिग्री और डिप्लोमा कालेजों की--संख्या बढ़ाये। मैं यह नहीं कहता कि प्रतिरक्षा विभाग ऐसा कालेज शुरु न करे। प्रतिरक्षा प्रविधिक कालेजों और असैनिक कालेजों में समन्वय होना चाहिये। यह भी समझ में नहीं आता कि प्रतिरक्षा विभाग अपने विद्यार्थियों को सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं में क्यों नहीं बैठने देता। उन्हें ए० एम० आई० ई० की परीक्षा में बैठने के लिए बाध्य क्यों किया जाता है।

प्रविधिक कालेजों में दाखिल होने वाले विद्यार्थी न केवल मैट्रिक होते हैं बल्कि स्नातक भी होते हैं। उन में से बहुत से विद्यार्थियों को डिग्री कालेजों में जगह नहीं मिलती। क्या सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि ४ सालों की पढ़ाई के बाद उन्हें बी० ई० की परीक्षा में बैठने दिया जाये। इस तरह उन्हें डिग्री और डिप्लोमा के अधिक उम्मीदवार मिल सकेंगे। इसके अतिरिक्त वर्तमान कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ानी चाहिये।

मैं डा० क० ल० राव से सहमत हूं कि बहुत से कालेजों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, केवल इस कारण कि उन में से पास हो कर निकलने वाले स्नातक उन कालेजों में अस्थायी तौर पर अध्यापक बन जाते हैं और समय आने पर सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में अच्छे वेतनों पर नौकरियां कर लेते हैं। इस के लिए यह भी आवश्यक है कि अध्यापकों के वेतन बढ़ाये जायें ताकि उन्हें वहां रहने का आकर्षण बना रहे।

हम इन कालेजों पर १० से १५ लाख रुपया खर्च कर चुके हैं और विद्यार्थियों को भी भरती कर चुके हैं। अब उन विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बिठाना आवश्यक है। मंत्रालय को इस पहलू पर तुरन्त ध्यान देना चाहिये और इन कालेजों की सहायता करनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि इंजीनियरिंग पास सरकारी पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनीय सेवा के सदस्यों के बराबर वेतन देना चाहिये, क्योंकि प्रविधिक शिक्षा बहुत महंगी होती है और उन्हें परीक्षा पास करने में अधिक समय लगता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं अपना भाषण कटौती प्रस्ताव संख्या १७ से २२ तक सीमित रखूंगा। मैं ने अपने कटौती प्रस्ताव में कहा है कि भारत भूमिति-विभाग को सैनिक और असैनिक सेवाओं में बांटा जाये और विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं पर जोर दिया जाये और इसे उच्च वैज्ञानिक शिक्षा वाले असैनिक पदाधिकारियों को सौंप दिया जाये। सवक्षण विभाग में बड़े अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि उन की पदोन्नति का कोई रास्ता नहीं है।

यह खेद की बात है कि दूसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद भी सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में सुधार नहीं किया गया। इस प्रयोजन के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिये। वेतन क्रमों में सुधार करन से तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

यह हर्ष की बात है कि १० हजार से २० हजार फुट की ऊंचाई वाली हिमालय पहाड़ियों का सर्वेक्षण शुरु कर दिया गया है, क्योंकि यह अत्यावश्यक है। मंत्री महोदय पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की मांगों की ओर ध्यान देने के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स०मो० बनर्जी]

लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं। किन्तु कुछ मामलों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। उदाहरणतया दुर्घटनाओं की हालत में उचित देखभाल होनी चाहिये। एक समिति बनाई गई थी किन्तु अभी तक मालूम नहीं हुआ कि ऊंचाई पर काम करने वाले लोगों की सेवा की शर्तों में कोई सुधार हुआ है या नहीं।

पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्य के दौरान तदर्थ भत्ते में २५ प्रतिशत वृद्धि दी जाती है किन्तु चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। यह विभेदकारी हैं। कोई कर्मचारी-परिषद् नहीं है और संघ द्वारा दिये गये सुझावों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं अनुभव करता हूं कि विभिन्न संघों को अभिज्ञात किया जाये।

सर्वेक्षण विभाग में एक और विचित्र बात है कि तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को १०० रुपया समेकित वेतन दिया जाता है। यह प्रणाली और कहीं नहीं है। उन्हें महंगाई भत्ता, मकान किराया, शहरी भत्ता नहीं दिया जाता। हैरानी की बात है कि अभी तक इस प्रणाली को नहीं हटाया गया। माननीय मंत्री को स्वयं इस मामले पर ध्यान देना चाहिये। वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रविधिक कर्मचारियों के लिए नये वेतन क्रम भी शुरु करने चाहियें।

विभागीय छुट्टी प्रणाली को हटाने का प्रश्न बहुत समय से विचाराधीन है। जब जीवन यापन व्यय बढ़ रहा है और महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जा रहा है, यह प्रणाली बन्द करनी चाहिये।

कानपुर की भारतीय प्रविधिक संस्था का नाम पंडित बालकृष्ण शर्मा के नाम पर रखने का सुझाव मैं ने बहुत पहले रखा था। लेकिन अभी तक यह बदला नहीं गया। कानपुर के लोगों की भी यह प्रबल इच्छा है। मेरा निवेदन है कि इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि संगीता सम्मेलन को, जो पश्चिम बंगाल की एक बहुत पुरानी सांस्कृतिक संस्था है, कोई दान दिया गया है या नहीं।

पालघाट के इंजीनियरिंग कालेज के बारे में भी बताया जाये कि वहां सामान आदि का प्रबन्ध किया गया है या नहीं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय एकता के निर्माण में जहां सांस्कृतिक स्तर पर कुछ यत्न किए जा रहे हैं वहां सामाजिक स्तर पर भी कुछ प्रयत्न हो रहा है। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय इसमें बड़ा योग दे सकता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के अनुदानों पर जब चर्चा चल रही है तो कुछ आवश्यक सुझाव देना चाहता हूं।

पहला सुझाव, जो कि मैं ने गत वर्ष भी जब इस मंत्रालय के अनुदानोंकी चर्चा चल रही थी, दिया था तो यह है कि संस्कृति शब्द को आप इतना हलका न बनाएं क्योंकि आज जब भी किसी सार्वजनिक समारोह में या किसी शैक्षणिक संस्था में सांस्कृतिक कार्यक्रम या कल्चुरल प्रोग्राम का नाम लिया जाता है तो उसका अभिप्राय यह समझ लिया जाता है कि कोई नृत्य और संगीत का कार्यक्रम होगा। भारतीय संस्कृति एक बहुत बड़ी विशाल और महत्वपूर्ण निधि अपने पीछे लिये हुए है।

एक वह समय भी था जब भारतीय संस्कृति के सन्देश वाहक बन कर हमारे देश से कण्व और पुलस्त्य बाहर गए थे, जब हमारे देश की संस्कृति के सन्देश वाहक बन कर स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ बाहर गए थे। आज भी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन पीछे दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति के सन्देश वाहक बन कर गए थे जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ा था। इस मंत्रालय की रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इस दिशा में कुछ प्रयत्न किया गया है और कुछ प्राध्यापकों और दूसरे लोगों को दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति और इतिहास पर भाषण देने के लिए भेजा गया है। इसके लिए मंत्रालय बधाई का पात्र है। लेकिन जब नृत्य मंडलियों और संगीत मंडलियों से जिनको बाहर भेजा गया इनकी तुलना की जाती है तो इनका अनुपात सौ में एक का बैठता है। तो ऐसी स्थिति में संस्कृति और विशेष कर भारतीय संस्कृति को, जो अपने साथ एक महत्वपूर्ण भूतकाल लिए हुए हैं, केवल संगीत और नृत्य तक ही सीमित न कर दिया जाए यह मेरा सुझाव है।

पीछे जब हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद एशिया के पड़ौसी राष्ट्रों का भ्रमण करने गए थे तो वहां से लौटने के बाद उन्होंने विशेषकर जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया और स्याम के बारे में कहा था कि मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां भारतीय संस्कृति के कितने स्मारक देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में जहां पर मुसलमानों की संख्या अधिक है फिर भी भारतीय धार्मिक कथाएं वहां के मुसलमानों के पास त्यों की त्यों पहुंची हुई हैं। मैं समझता हूं कि सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय इस दिशा में योग दे सकता है। ऐसे देशों में जहां पहले भारतीय संस्कृति का प्रसार था पर जहां धर्मान्तिर हो जाने के बाद भी वह संस्कृति बनी हुई है, उसको सुदृढ़ करने की दिशा में यह मंत्रालय बड़ा योग दे सकता हैं।

यह मैं इस लिए नहीं कह रहा हूं कि मैं नृत्य या संगीत का विरोधी हूं लेकिन जिन परिस्थितियों में हमारा देश इस समय है उनको देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम ललित कलाओं की ओर अपना ध्यान अधिक देने की अपेक्षा इस देश को सुदृढ़ बनाने की ओर अधिक ध्यान दें। मैं नृत्य का विरोधी नहीं हूं यदि वह तांडव नृत्य जैसा हो जिससे मन में कम्पन पैदा हो जाता है उसको प्रोत्साहन दिया जाए। संगीत हो तो वह ऐसा संगीत हो कि जैसा संत तुकाराम ने कंधे पर इकतारा रख कर महाराष्ट्र में लोगों को सुनाया था। वैसे संगीत को प्रोत्साहन दिया जाए। यदि कविता हो तो ऐसी कविता को प्रोत्साहन दिया जाए जैसे कि भूषण की कविता थी जिसको सुन कर छत्रसाल, छत्रसाल बुंदेला हो गए और शिवा जी छत्रपति शिवाजी हो गए। यदि एसी कविता, संगीत और नृत्य को प्रोत्साहन दिया जाए तो वह हमारे देश की परिस्थितियों में उसके लिए एक गौरव की चीज हो सकती है।

दूसरी बात जो विशेष रूप से मैं कहना चाहता था वह यह है कि आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हिन्दी के प्रसार और प्रचार का दायित्व शिक्षा मंत्रालय पर है। बाकी दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रसार का दायित्व सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय पर है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए ९९ लाख रुपया निर्धारित किया है। मैं इसके पक्ष में हूं कि सारी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन मेरा अपना विचार है कि भारतीय भाषाओं और हिन्दी जिसको हमने राज्यभाषा स्वीकार किया है, इनमें कुछ प्रतिस्पर्धा पैदा हो गयी है। यह प्रतिस्पर्धा व्यर्थ की है क्योंकि

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हिन्दी भी किसी क्षेत्रीय भाषा से प्रतिस्पर्धा ही नहीं है । हमारा तो केवल यह कहना है कि कल तक जिस स्थान पर अंग्रेजी थी उस स्थान पर हिन्दी को राज्यभाषा के रूप में आसीन कर दिया जाए । हिन्दी को किसी क्षेत्रीय भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं है ।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मलयालम में बड़ा समृद्ध साहित्य है, बंगला में बड़ा समृद्ध साहित्य है, तमिल में बड़ा समृद्ध साहित्य है । इन सारी भाषाओं को प्रोत्साहन देना आवश्यक है । लेकिन इन भाषाओं में लिपि भिन्न भिन्न होने से एक भाषा के जानने वाले को दूसरी भाषा सीखने में बड़ी कठिनाई सामने आती है । अगर इन भाषाओं की लिपि एक हो जाए तो लोगों को विभिन्न भाषाओं को सीखना बहुत आसान हो सकता है । मैं समझता हूं कि इस दिशा में यह मंत्रालय बहुत बड़ा योग दे सकता है । अगर मैं भूल नहीं करता हूं, तो मेरा अपना अनुमान है कि शायद हमारे सांस्कृतिक कार्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से देवनागरी के पक्ष में न हों, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने एक स्वर से इस विषय में अपनी सहमति व्यक्त की थी कि सभी भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के निकट लाने के लिए अगर देवनागरी को माध्यम बनाया जाये तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी ।

माननीय मंत्री जी को पता होगा कि पीछे स्वाधीनता-आन्दोलन के इतिहास की जो कापी प्रकाशित हुई थी, उसके विषय में कितनी कान्ट्रोवर्सी और आलोचना इस देश में हुई । मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में लिखा है कि दूसरी कापी लगभग तैयार हो चुकी है और वह प्रेस में जाने वाली है । लेकिन मैं यह चाहता हूं कि उस को प्रेस में देने से पहले माननीय मंत्री सब प्रान्तों से कम से कम एक एक या दो दो प्रतिनिधि प्रान्तीय सरकारों की ओर से आमंत्रित करें और उनके सामने दूसरी कापी रखें, क्योंकि छपने के पश्चात् सिवाय आलोचना के कुछ नहीं होगा । यदि गवर्नमेंट की ओर से इतिहास जैसी कोई पुस्तक प्रकाशित की जाये, जो कि नई पीढ़ी के हाथों में जायेगी, तो उसमें कोई विवादास्पद बात नहीं होनी चाहिय । मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय में इतनी शीघ्रता न करें। अगर इसमें व्यय अधिक हो, तो वह व्यय किया जाय, लेकिन चूंकि यह स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास है, जो कि हम नई पीढ़ी के हाथों में देने जा रहे हैं, इस लिए इसमें किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं रहनी चाहिए ।

अभी परसों माननीय मंत्री जीने प्रश्नोत्तर-काल में बताया था कि हमारा देश कृषि-युग से ऊपर उठ कर अब औद्योगिक युग में जाने की ओर अग्रसर हो रहा है । जब हम औद्योगिक युग में प्रवेश करना चाहते हैं,तो हमारे लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे देश में पालिटक्नीक स्कूलों और इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या में वृद्धि हो । हमें बताया गया कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के सहयोग से केवल सात इंजीनियरिंग कालेज खोले जायेंगे । उनके अतिरिक्त राज्य सरकारें, अपने पैसे से दस इंजीनियरिंग कालेज खोलने जा रही हैं, जिनमें चार इंजीनियरिंग कालेज व भी हैं, जो कि व्यक्तिगत सम्पत्ति के आधार पर स्थापित होंगे । इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि अगर हमने इस देश में औद्योगिक विकास करना है, तो इंजीनियरिंग कालेजों की यह संख्या अपर्याप्त है । इस आधार पर माननीय मंत्री इस निश्चय पर फिर से विचार करें। यदि हमने देश में टेक्नीशियन पैदा करने हैं, तो हमें इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या में वृद्धि करनी होगी, ताकि हमारे देश का प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस विद्या और ज्ञान को प्राप्त करने से वंचित न रह जाये ।

इस रिपोर्ट में यह बताया गया है, कि जिन प्रसिद्ध साहत्यकारों या लेखकों ने जीवन भर राष्ट्र की सेवा की है और जो अब किसी प्रकार से रुग्न हो गए हैं या विपन्न स्थिति में हैं, भारत सरकार उनको अनुदान और सहायता देती है । इस बात के लिए सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन इसके

साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों महाकवि निराला का देहावसान हुआ, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी चर्चा इस राष्ट्र में छिड़ी और सम्भव है कि सांस्कृतिक-कार्य मंत्री महोदय के कानों तक भी वह आई हो। इस वक्त महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन रुग्नावस्था में हैं और उनके सम्बन्ध में भी इस प्रकार की चर्चा है। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के जो अखिल-भारतीय व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र की सेवा में लगा दिया है, उन के बारे में प्रान्तीय सरकारों पर निर्भर न रह कर सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय इस बात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ले कि कम से कम अन्तिम समय में उन को कष्ट न हो, क्योंकि अब हमारा राष्ट्र स्वाधीन हो चुका है, इस लिए हमें उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि साहित्य अकादमी इस समय एक सराहनीय कार्य कर रही है। खासकर विभिन्न भाषाओं के साहित्य को देवनागरी लिपि के माध्यम से सब प्रान्तों में पहुंचाने का उसका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। लेकिन मैं देखता हूं कि साहित्य अकादमी के लिए ७,५०,००० रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जब कि उस की तुलना में संगीत नाटक अकादमी के लिए १५,१५,००० रुपए और ललित कला अकादमी के लिए ७,२७,००० रुपए की राशि निर्धारित की गई है। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि पिछली दो अकादमियों की अपेक्षा साहित्य अकादमी का राष्ट्र-निर्माण में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इसकी राशि को और बढ़ाया जाय और इसके कार्यक्षेत्र को विस्तृत किया जाये।

मेरे पड़ौसी मित्र ने कहा कि हमारे राष्ट्र का नाम भारत है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका नाम भारत क्यों पड़ा? महर्षि कण्व के आश्रम में शकुन्तला नाम की एक ऐतिहासिक देवी रहती थी, जिसके बालक भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। उस शकुन्तला के स्वप्न लेकर कालीदास ने अपने ग्रन्थों की रचना की, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि कालीदास और उसके साहित्य के ऊपर तो हम अनुसन्धान करते हैं, शक्ति लगाते हैं, जो कि उचित है-मैं उसको अनुचित नहीं कहता --लेकिन कालीदास ने जिसको देख कर स्वप्न लिए और जिसके आधार पर उसने अपने काव्य का निर्माण किया, उस शकुन्तला को आज सर्वथा उपेक्षित कर दिया गया है। जिस शकुन्तला के बालक भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उस की बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिजनौर में गंगा और मालिनी नदी के बीच में जहां महर्षि कण्व का वह आश्रम है, सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय को उसको एक महत्वपूर्ण स्थान समझ कर उसे एक गौरवशाली रूप देना चाहिये।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** : दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति को तरह संस्कृति के मामले में भी भारत एक तरह से तटस्थ रहा है। इस लिए यह जानना कठिन है कि विश्व संस्कृति में भारत ने क्या योगदान दिया है या भारतीय संस्कृति में क्या योगदान दिया है। इस लिए यह आवश्यक है कि हम भारत ज्ञान सम्बन्धी एक संस्था स्थापित करें जो हमारे संस्कृतिक विकास के इतिहास को आधुनिक स्थिति तक ले आये। भारतीय विचारधारा का पूरा इतिहास लिखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात लोक-सभा की बैठक शुक्रवार, २५ मई, १९६२/ज्येष्ठ ४, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, २४ मई, १९६२

३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२९९७—३०२६
तारांकित प्रश्न संख्या		
९९३	पाकिस्तान के साथ व्यापार	२९९७—९९
९९४	चाय का निर्यात	३०००—०१
९९५	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	३००१—०३
९९६	केन्द्रीय श्रम अनुसन्धान संस्था	३००३—०५
९९७	आण्विक विद्युत् केन्द्रों के सम्बन्ध में हायाथ समिति की रिपोर्ट	३००६—०८
९९८	समाचार पत्र उद्योग	३००८—०९
९९९	काश्मीर में कागज का कारखाना	३०१०—११
१०००	निर्यात	३०११—१४
१००२	हथकरघा और बिजली से चलने वाला करघा	३०१४—१५
१००४	महिला कर्मचारियों के लिए होस्टल	३०१५—१६
१००५	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में मजदूर की मृत्यु	३०१६—१७
१००६	अमरीका को कपड़े का निर्यात	३०१७
१००७	"आजाद भवन", दिल्ली के सामने मकानों का गिराया जाना	३०१८—१९
१००८	जाली पारपत्र	३०१९—२१
१००९	नकली रूई (स्टेपल फाइबर) के कारखानों की स्थापना	३०२१—२२
१०१०	पश्चिम एशियाई प्रदेशों में भारतीय राज्यदूतों का सम्मेलन	३०२२—२३
१०१२	राजहरा और नन्दनी खानें	३०२३—२४
१०१५	राज्य व्यापार निगम	३०२४
१०१९	बर्मा के साथ व्यापार	३०२४—२५
१०२०	पुर्तगाली जेलों में बन्दी भारतीय	३०२५—२६

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	३०२६—५६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१००१	त्रिपुरा और दूसरी पंचवर्षीय योजना	३०२६
१००३	साइकिलें	३०२६
१०११	प्याज का निर्यात	३०२६—२७
१०१३	सिंगरेनी कोयला खानें	३०२७
१०१४	गुआ में लौह अयस्क की खानें	३०२७—२८
१०१६	सिंगापुर की आयोजन के लिए प्रविधिक सहायता	३०२८
१०१७	पाकिस्तान में छुटे पावन स्थान	३०२८
१०१८	मद्रास राज्य में ग्रामीण आवास योजना	३०२८
१०२१	लक्ष्मीनारायण जूट मिल	३०२९
१०२२	गोआ में बम विस्फोट	३०२९
१०२३	पाकिस्तान में भारतीय व्यापारी	३०२९—३०
१०२४	बिहार में छोटे पैमाने के उद्योग	३०३०
१०२५	दिल्ली से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को बाहर भेजना	३०३०—३१
१०२६	एक्सरे उपकरणों का निर्माण	३०३१
१०२७	त्रिपुरा के लिए भवन निर्माण सामग्री	३०३१
१०२८	उद्योगों में प्रशिक्षार्थी इंजीनियरों की भरती	३०३२
१०२९	नेफा में कुटीर उद्योगों का विकास	३०३२
१०३०	कलकत्ते में परिचालित पाकिस्तान के नक्शे	३०३२—३३
१०३१	भारतीय कार्मिक संघों का चीन का दौरा	३०३३
१०३२	तिब्बत में भारतीय व्यापारी	३०३३—३४
१०३३	पाकिस्तान द्वारा पत्रकारों की अन्तर्राष्ट्रीय विशेषाधिकार संहिता का उल्लंघन	३०३४
१०३४	अश्लील सिनेमा पोस्टरों पर प्रतिबन्ध	३०३४
१०३५	ब्रिटेन आप्रव्रजन अधिनियम	३०३४—३५
१०३६	पुराने किले, नई दिल्ली के निकट भूदृश्य में सुधार	३०३५
१०३७	ईरान के उद्योगीकरण के लिए भारत से प्रविधिक सहायता	३०३६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८८९	पश्चिम बंगाल में काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध अनुसूचित जाति के लोग	३०३६
१८९०	चुनाव सम्बन्धी प्रसारण	३०३६–३७
१८९१	कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग .	३०३७
१८९२	हिन्दी टाइपराइटरों के की-बोर्ड	३०३७
१८९३	कोचीन बन्दरगाह में जहाजी कुलियों की हड़ताल	३०३७
१८९४	तामिलनाड में छोटे पैमाने के उद्योग	३०३८
१८९५	सरकारी भवनों में लोहे की चादरों से बने पाइपों का प्रयोग	३०३८–३९
१८९६	भारतीय चाय संस्था	३०३९
१८९७	त्रिपुरा में जूट का मूल्य .	३०३९
१८९८	अभ्रक निर्यात शुल्क दर . .	३०४०
१८९९	तिहाड़ ग्राम (दिल्ली) का पुनर्निर्माण . .	३०४०
१९००	बिहार के लिए आवास योजनायें . . .	३०४०–४१
१९०१	भारत-नेपाल व्यापार . . .	३०४१
१९०२	औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान . . .	३०४१–४२
१९०३	रबड़ के मूल्य . . .	३०४२
१९०४	चन्दन का तेल	३०४३
१९०५	प्रति व्यक्ति आय में कमी . . .	३०४३
१९०६	साड़ियों का निर्यात	३०४३–४४
१९०७	कर्मचारियों के लिए पे-स्लिप	३०४४
१९०८	राजहरा और नन्दनी खानें	३०४४–४५
१९०९	रत्नागिरि जिले में लौह अयस्क	३०४५
१९१०	काठमाण्डू-ढाका विमान सम्पर्क .	३०४५
१९११	कोलम्बो प्लान में भूटान की सदस्यता	३०४५
१९१२	निःशस्त्रीकरण सम्मेलन .	३०४६
१९१३	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् .	३०४६–४७
१९१४	कच्छ में अणु शक्ति के उत्पादन . .	३०४७
१९१५	मर्मागाओ पतन	३०४७
१९१६	गोआ में खनिजों का सर्वेक्षण .	३०४८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१६१७ पश्चिम बंगाल में अम्बर चरखा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम . . ३०४८
१६१८ हैदराबाद में सिलाई की मशीनों का कारखाना ३०४८
१६१६ आन्ध्र प्रदेश के लिए तकुग्रों का आवंटन . . . ३०४८–४६
१६२० विदेशों में भारतीय राजनयविज्ञों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध ३०४६–५०
१६२१ मुकेरियां पंजाब में कागज का कारखाना . . . ३०५०
१६२२ जिला सैलम (मद्रास) में कृष्णगिरि में कताई मिल . . ३०५०
१६२३ जम्मू व काश्मीर में कपड़ा और प्लाईवुड फ़ैक्टरियां ३०५१
१६२४ हथकरघे के वस्त्र का निर्यात ३०५१
१६२५ निर्बाध व्यापार क्षेत्र में उद्योग ३०५१
१६२६ गुजरात में उद्योग . . ३०५२
१६२७ आसाम के चाय कर्मचारियों की संयुक्त बैठक ३०५२
१६२८ औद्योगिक बस्तियां . . ३०५२
१६२६ दूसरी योजना में मद्रास में रोजगार . ३०५३
१६३० मद्रास में औद्योगिक बस्तियां . . . ३०५३
१६३१ पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को ऋण और अनुदान . ३०५४
१६३२ गोआनी . . . ३०५४
१६३३ पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों सम्बन्धी जल-चित्र . ३०५४
१६३४ मद्रास में कुटीर उद्योग ३०५४–५५
१६३५ सरायरुहीला (दिल्ली) में मकानों का निर्माण . ३०५५
१६३६ चलचित्रों का निर्यात संबर्धन . . ३०५५
१६३७ सूती कपड़े कर उत्पादन शुल्क ३०५५–५६
१६३८ मध्य प्रदेश में 'पावर एल्कोहल' संयंत्र . ३०५६

सदस्य का निलम्बन ३०५६–५८

श्री मनीराम बागड़ी को सात दिन के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३०५८–५६

श्रीमती मैमूना सुल्तान ने एलीजाबेथविल की कथित रेल दुर्घटना और भारतीय सिपाहियों को उससे पहुंचने वाली चोटों की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०५६

(१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १६५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक ५ मई, १६६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३३ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (चतुर्थ संशोधन) योजना, १६६२ की एक प्रति ।

(२) आंकड़ों को इकट्ठा करना अधिनियम, १६५३ की धारा १४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ५ मई, १६६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३०६ में प्रकाशित आंकड़ों को इकट्ठा करना (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १६६२ की एक प्रति ।

अनुदानों की मांगें ३०६०–३१०६

(१) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई ।

(२) वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, मई २५, १६६२/४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा । गैर-सरकारी सदस्य के विधेयकों पर भी चर्चा ।

GMGIPND—LSII —1077(Ai)LSD—31-7-62—150

विषय-सूची--(क्रमशः) पृष्ठ

अनुदानों की मांगें--(जारी)

श्री मरेंडी . . . ३०७९-८१

श्री शिवनारायण ३०८१-८४

श्री स० का० पाटिल ३०८४-९७

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय ३०९७-३१०९

श्री पोट्टेकाट्ट . . ३०९८

श्री प्र० के० देव ३०९९

डा० क० ल० राव ३०९९-३१०२

डा० मेलकोटे . . ३१०४-०५

श्री स० मो० बनर्जी . . ३१०५-०६

श्री प्रकाशवीर शास्त्री . ३१०६-०९

श्री कृ० चं० शर्मा . . . ३१०९

दैनिक संक्षेपिका ३११०-१३

P.L.S. 41. III. 29. 62.
150

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवा संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।